अगस्त 2001 मूल्य : सात रुपये

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

पंचायत में महिलाएं : बदलती तस्वीर

नई सदी में महिलाओं की शिक्षा : एक मुख्य चुनौती

पर्यावरण की पहरेदार ग्रामीण महिलाएं

मरुस्थलीय क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा और आंध्र प्रदेश को धनराशि जारी

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों को ग्रामीण पेयजल के लिए 8.77 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस धनराशि का उपयोग राज्य सरकारों को मरुभूमि विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए करना होगा।

हरियाणा के मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए त्वरित ग्रामीण आपूर्ति कार्यक्रम के तहत पहली किस्त के तौर पर 4 करोड़ 54 लाख 32 हजार रुपये की राशि जारी कर दी गई है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के लिए इसी कार्यक्रम के लिए 4 करोड़ 22 लाख 84 हजार की राशि पहली किस्त के रूप में जारी कर दी गई है।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रयासों में सहायता देकर ग्रामीण लोगों को स्वच्छ तथा पर्याप्त पेयजल सुविधाएं प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं : जल की गुणता से प्रभावित इलाकों में स्वच्छ पेयजल की गुणता बनाए रखना और कैचमेंट क्षेत्र दृष्टिकोण अपनाकर जल गुणता निगरानी को संस्थागत बनाना और दुर्गम क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में जल पहुंचाना।

मध्य प्रदेश और नगालैंड के लिए बंजर भूमि विकास परियोजनाएं

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी और छिंदवाड़ा जिलों तथा नगालैंड के कोहिमा जिले में बंजर भूमि के विकास के लिए 225 लाख रुपये की धनराशि जारी कर दी है। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाडा और मोरवेद ब्लाकों में केन्द्र प्रायोजित योजना "समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना" के कार्यान्वयन के लिए 81.72 लाख रुपये दिए गए हैं। वर्ष 2001–2002 में शिवपुरी जिले में बंजर भूमि विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 96.67 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं। जिला पंचायत से इस धन राशि का 50 प्रतिशत उपयोग किए जाने की रिपोर्ट, तिमाही प्रगति रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अगली किस्त जारी की जाएगी।

मंत्रालय ने नगालैंड सरकार को कोहिमा जिले में वर्ष 2001–2002 में चल रही बंजर भूमि विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 47 लाख रुपये जारी कर दिए हैं।

समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजग़ार के अवसर बढ़ाना है ताकि बंजर भूमि का सुधार किए जाने में लोगों की भागीदारी बढ़ सके और इस क्षेत्र का आर्थिक विकास करने में मदद मिले। यह शत–प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम है।

इस योजना का मूल उद्देश्य समेकित बंजर भूमि विकास कार्य गांव/माइक्रो–वाटरशेड योजनाओं के आधार पर शुरू करना है। ये योजनाएं साझेदार (स्टाक होल्डरों) द्वारा भूमि की क्षमता, स्थल स्थितियों और स्थानीय आ़वश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयारी की जाती हैं। यह योजना सभी स्तरों पर बंजरभूमि विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन में भी सहायता करती है। इससे लाभ के समान वितरण तथा सतत् विकास में सहायता मिलती है।

साभार : पत्र सूचना कार्यालय

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय
की
प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष 46 अंक 10

श्रावण–भाद्रपद 1923

अगस्त 2001

संपादक
बलदेव सिंह मदान

उप संपादक
जयसिंह

संपादकीय पता
संपादक, 'कुरुक्षेत्र',
ग्रामीण विकास मंत्रालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : 3015014
फैक्स : 011–3015014
तार : ग्राम विकास

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
डी.एन. गांधी

विज्ञापन प्रबंधक
पी.सी. आहूजा

आवरण सज्जा
अलका नय्यर

फोटो साभार :
आई.ई.सी. डिवीजन, ग्रामीण विकास मंत्रालय

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

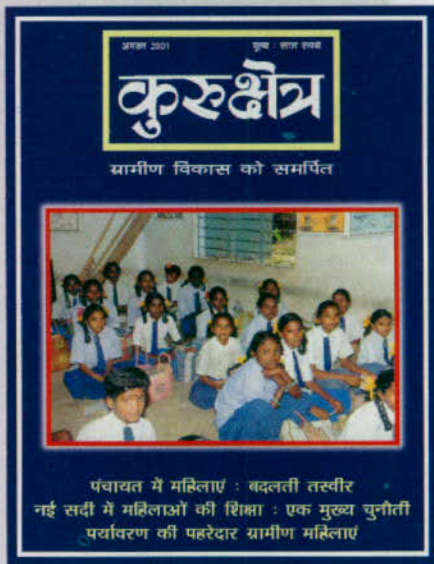

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक–4, लेवल–7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक–4, लेवल–7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। फोन : 6105590

हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी प्रकाशित होने वाली इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

इस अंक में

पंचायत में महिलाएं : बदलती तस्वीर	प्रतापमल देवपुरा	4
स्वयंसेवी संस्थाएं और पंचायती राज	डा. अरुण चंदन, डा. सुधीरेन्द्र शर्मा, जयंत कुमार	6
गरीबी के चक्रव्यूह में ग्रामीण गरीब	डा. कृष्ण कुमार सिंह	9
पर्यावरण की पहरेदार ग्रामीण महिलाएं	आशारानी व्होरा	11
जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक विकास में पंचायतों की भूमिका : एक विश्लेषण	डा. रवीन्द्र कुमार सोहोनी	13
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना : एक समीक्षा	देवकृष्ण व्यास	15
अलग रहने का सुख (कहानी)	जय प्रकाश 'चन्द्र'	18
नई सदी में महिलाओं की शिक्षा : एक मुख्य चुनौती	डा. हरेन्द्र राज एवं सीमा गौतम	21
ग्रामीण विकास में सूचना के अधिकार का महत्व	मुकेश कुमार	23
ग्रामीण जल प्रबन्धन : कुछ सुझाव	डा. आर.एस. बांगड़	26
अन्तोदय अन्न योजना के माध्यम से गरीबों को खाद्य सुरक्षा	डा. उमेश चन्द्र अग्रवाल	29
ग्रामीण अंचलों के लिए वरदान है अग्नि व जलरोधी छप्पर	ललन कुमार प्रसाद	32
जापानी समीक्षा दल द्वारा वानिकी विकास कार्यों की सराहना	घनश्याम वर्मा	35
ग्रामीण क्षेत्रों में एड्स के खिलाफ लड़ाई	अजित कुमार	37
झारखण्ड के वन–क्षेत्रों में पर्यटन संभावनाएं	अंकुश्री	39
शाक–सब्जी खाइए, रोग भगाइए और स्वस्थ रहिए	जितेन्द्र सिंह एवं डा. डी.के. सुजान	41

पाठकों के विचार

किसान की स्थिति पर लेख प्रकाशित करें

मैं *कुरुक्षेत्र* का नियमित पाठक हूं। मैंने जून माह का अंक पढ़ा। आज तक जितने भी अंक पढ़े हैं उनमें से जून का सबसे अच्छा लगा। इसमें सभी आलेख अच्छे हैं। *ग्रामीण ऊर्जा स्रोतों पर नई सोच की जरूरत* के लेखक डा. कृष्ण कुमार से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। मैं उनकी सोच, उनकी तकनीक से प्रभावित हुआ हूं। आशा है *कुरुक्षेत्र* के अगले अंक में आप ग्रामीण विकास के लिए कुछ नए तकनीक और कृषि के विकास हेतु कुछ आलेख प्रस्तुत करेंगे जो राष्ट्र विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा लाभप्रद हों क्योंकि कृषि भारतवर्ष के विकास का सबसे मुख्य आधार है। ग्रामीण विकास से ही राष्ट्र का विकास है, अतएव आप कृषि तकनीक एवं पंचायती राज राष्ट्र विकास के लिए कहां तक उपयोगी है एवं आजकल देश में किसान की स्थिति पर लेख अगले अंकों में प्रकाशित करें।

मुझे और मेरे ग्रामीण परिवेश को आपके जून अंक से काफी लाभ हुआ है। आशा है आप इन विषयों को जरूर अगले अंकों में प्रकाशित करेंगे।

श्यामानन्द शर्मा, सुपुत्र श्री भगवान शर्मा
ग्राम+पोस्ट – खैरा,
वाया अयोध्या गंज बाजार,
जिला – कटिहार, पिन–854101 (बिहार)

योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ प्रचार– प्रसार जरूरी

नारी के उत्थान और विकास की संभावनाओं को समर्पित *कुरुक्षेत्र* का जून अंक पढ़ा। कई आलेख ऐसे हैं जिनकी वजह से यह अंक उपयोगी बन पड़ा है। सुनाम लेखिका आशारानी व्होरा का लेख *जागती औरतें, कितना सुरक्षित है हमारा पर्यावरण, निर्धनों की कामधेनु : बकरियां, वनों की सुरक्षा और ग्रामीण* व कहानी *श्रद्धांजलि* बहुत ही मनभावन रही। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ उनका प्रचार–प्रसार जब तक नहीं होगा तब तक वांछित विकास की दर हासिल नहीं की जा सकती। दुख इसी बात का है कि गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी के निराकरण की

योजनाएं बनती भी हैं और सरकार उन पर अरबों–खरबों रुपये खर्च करती है लेकिन यदि उनके लाभ सर्व सुलभ हों तो फिर बात बन जाए।

छैलबिहारी शर्मा 'इन्द्र'
784/64, शिवसदन, छाता, उ.प्र.

ग्रामीण समाज की प्रतिनिधि पत्रिका है कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र का मई, 2001 अंक अभी समाप्त किया। जीवन में पहली बार किसी पत्रिका को पत्र लिखने के लिए प्रेरित हुआ। पत्रिका का वृहद् आकार, उत्कृष्ट मुद्रण व चिकने पन्ने बहुत अच्छे लगे। पत्रिका में प्रकाशित लेख – *पंचायती राज से ग्राम स्वराज तक, पंचायती राज और महिलाएं, जल संकट : सम्पूर्ण विश्व के सामने एक कठिन चुनौती* इत्यादि अत्यंत ज्ञानोपयोगी लगे। पत्रिका के माध्यम से देश में जल संकट की वास्तविक तस्वीर देख हलक ही सूख गया। निश्चित रूप से हमें पानी का मूल्य समझना होगा, पानी के प्रति चेतना जगानी होगी, जल संरक्षण के नए व पुराने उपाय अजमाने होंगे। पानी की बर्बादी रोक कर ही हम पानी के लिए होने वाले सम्भावित तृतीय विश्वयुद्ध को टाल सकते हैं। कहानी 'होड़' ने हमें यह सबक सिखाया कि घर के झगड़े घर पर निपटाना ही बुद्धिमानी है। इसके लिए गांवों की न्याय पंचायत को सबल बनाना आवश्यक है। यदि न्याय पंचायत में 'गिरधारी बाबा' जैसे लोग हों तो निश्चित ही इसमें काफी मदद मिलेगी।

भारत गांवों का देश है। ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायतों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस हेतु मेरा एक सुझाव है कि पंचायती राज से संबंधित कम से कम एक लेख को पत्रिका का स्थायी स्तम्भ बनाएं।

सतीश चन्द्र संखवाल
52, विठूर रोड, कल्याणपुर
कानपुर–208017 (उ.प्र.)

जनता को सच्चाई की जानकारी रहती है

एक जमाना था जब लोगों को यह सुनकर आश्चर्य होता था कि अमुक कर्मचारी 'रिश्वतखोर व बेईमान' है। भारत आजाद हुआ सबको आजादी मिल गई। परिणाम आज जनता जब सुनती है कि अमुक कर्मचारी 'ईमानदार' है तो उसे आश्चर्य होता है।

मई अंक में भी अर्जुन सिंह 'अंतिम' अपनी कविता में कर्मचारियों को वेतन व बोनस पर संतोष करने वाला बताते समय क्या इस बात को एकदम भूल गए कि आज लड़की की शादी करने वाला व्यक्ति भी जब नौकरी करने वाले युवक के यहां पहुंचता है तो

जानना चाहता है कि वेतन के अलावा लड़का ऊपरी आमदनी (रिश्वत) कितनी कर लेता है।

आज बैंकों की अधिकता के दौर में वही व्यक्ति बनिया के यहां सूद पर धन लेने जाता है जिसे बैंक के कर्मचारी दुत्कार देते हैं।

अच्छा होता अर्जुन जी सच्चाई को पूरी तरह बिना पक्षपात किए उजागर करने वाली कविता लिखने का प्रयास करते।

डा. जयप्रकाश भारती, पत्रकार,
मुहल्ला – रजदेपुर (पश्चिम)
जिला – गाजीपुर (उ.प्र.)

ग्राम सभाएं सार्थक कैसे हों?

भारत विशाल गांवों का पुंज है अतः ग्रामीण विकास ही देश के विकास की कुंजी है। ग्राम सभाएं विकेन्द्रित लोकतंत्र में ग्रामीण जन सहभागिता का अमूल मंत्र है, लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि लक्ष्यों की उपलब्धि में कागजी औपचारिकता अधिक परिलक्षित होती है।

ग्राम सभाओं की निष्क्रियता और निष्प्रभावी होने का मूल घटक अपर्याप्त साधन हैं। ग्राम सभाओं के आयोजकों का आक्षेप है कि शक्तियों और अधिकारों के अभाव में ग्राम सभाओं की सार्थकता सिद्ध हो ही नहीं सकती। प्रचार–प्रसार का अभाव भी एक अवरोधक तत्व है। कानून और नियमों की क्रियान्वति में यदि प्रशासन सजग और सक्रिय भूमिका निभाता रहे तो ही ग्राम सभाएं विकास को उत्तरोत्तर गतिशीलता प्रदान करने में सक्षम होंगी। यही कारण गणपूर्ति के अभाव में ग्राम सभाएं स्थगित होना, पुनः कुछ प्रभावी सदस्यों द्वारा अपनी इच्छानुकुल निर्णय ले लेना तथा ग्राम सभा की औपचारिकता पर मुहर लगाकर किया गया निष्पादन क्या उपादेयता दे सकता है? मध्य प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार ग्राम सभाओं हेतु स्थायी समितियों के निर्माण की व्यवस्था की है उसने नेतृत्व क्रमानुसार महिलाओं, अनुसूचित जातियों आदि को सौंपा है यदि उन पर प्रशासकीय गहन दृष्टि रखी जाए तो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने में ग्राम सभाएं मील का पत्थर सिद्ध हो सकती हैं।

भारतीय संविधान में जिस प्रकार नीति–निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत कुछ मामले समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए हैं। इसी प्रकार यदि ग्राम सभाओं के निर्देशक तत्वों का समावेश समवर्ती सूची के अनुरूप राष्ट्रीय एवं सार्वभौमिकता प्रदान करते हुए हो तो समय–समय पर विभिन्न राज्यों की उपलब्धियों का तुलनात्मक विश्लेषण करके भी ग्राम सभाओं की सफलता का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है।

जिस प्रकार *कुरुक्षेत्र* मासिक पत्रिका ग्रामीण विकास हेतु पूर्णतः समर्पित है, उसी प्रकार दूरदर्शन चैनल भी नियमित रूप से ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करे।

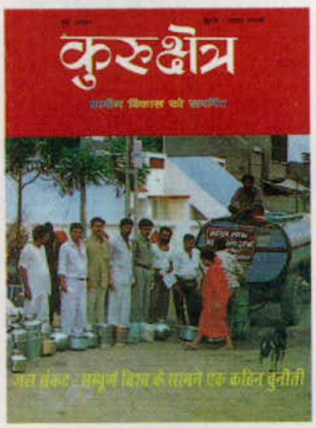

प्रत्येक पंचायत को *कुरुक्षेत्र* तथा अन्य ग्रामीण विकास को उद्वेलित करने वाली पत्रिकाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों। समय–समय पर मुख्य बिन्दुओं का ग्राम सभाओं में वाचन किया जाए।

दूरदर्शन के कार्यक्रमों का प्रसारण नियमित रूप से हो। पंचायतें शिक्षित बेरोजगारों को कुछ प्रोत्साहन भत्ता देकर घर–घर में जाकर ग्राम सभा की उपादेयता का प्रसार करें तो सम्भवतः ग्रामीणों में जन–जागृति उत्पन्न होने से ग्राम सभाओं की सार्थकता सिद्ध होगी। प्रशासन की ओर से ग्राम सभाओं के प्रतिवेदन प्राप्त करना, उनका विश्लेषण करना और आवश्यक सुझाव निर्देश के रूप में देकर ग्राम सभाओं को ग्रामीण विकास व प्रगति का सोपान बनाया जा सकता है।

एम. राज राकेश, उप–प्रधानाचार्य,
हैपी उ.मा. विद्यालय, अलवर–301001

जल की मुफ्तखोरी : जल समस्या का कारण

मई के *कुरुक्षेत्र* में जल पर पांच लेख पढ़े। इनमें जल समस्या के मूल कारण उसके मुफ्त में वितरण और दोहन को पूर्णतः नजरंदाज कर दिया गया। अमीर, मध्यमवर्गीय, शहरी और ग्रामीणों को पानी मुफ्त में लुटाया जा रहा है। नलकूप जल दोहन निशुल्क है वह भी मुफ्त की बिजली से। मुफ्त की बिजली से किसान मूलतः अमीर किसान ने जल पिपासु फसलें लेकर और सिंचाई के सस्ते व गलत तरीके इस्तेमाल करके धरती माता के पेट से सारा पानी निकाल लिया। मुफ्त जल की मौजूदगी में मानव जल बचत, जल संरक्षण और भूमिगत जल संवर्धन जैसे विषयों के बारे में सोचेगा तो उसे मूर्ख ही समझा जाएगा। अतः जल समस्याओं के त्वरित निवारण हेतु सरकार जल उपभोक्ताओं से खर्च किए गए पानी की मात्रा के हिसाब से वसूली करे चाहे यह पानी किसी भी स्रोत से लिया गया हो। पानी की उचित कीमत लिए बिना भारत जैसे देश में जल संरक्षण, वर्षा जल दोहन, भूगर्भीय जल संवर्धन और जल बचत जैसे शब्द निरर्थक बने रहेंगे।

डा. आलोक शर्मा, काली माई सन्तर,
मुरार, ग्वालियर, म.प्र.

पाठकों से

इस पत्रिका में *पाठकों के विचार* स्तंभ में पाठकगण ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं पर अथवा इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों पर अपने विचार भेज सकते हैं। ये विचार दो सौ शब्दों से अधिक के न हों और सम्पादक, कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001 के पते पर भेजे जाएं।

इसके लिए कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा परंतु उन पाठकों को पत्रिका की एक प्रति भेजी जाएगी जिनके विचार इस स्तंभ में प्रकाशित होंगे।

– सम्पादक

पंचायत में महिलाएं : बदलती तस्वीर

प्रतापमल देवपुरा

हमारे देश में पंचायती राज की स्थापना अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उसमें महिलाओं को नेतृत्व का अवसर प्रदान करना एक ऐतिहासिक कदम है। यह निर्णय भारत की लोक–भावना और समाज की सांस्कृतिक विरासत की मूल भावना का प्रतीक है। अपने नए रूप में यह पंचायत प्रणाली पिछले छः वर्षों से कार्य कर रही है। इसमें महिलाओं की भूमिका प्रभावी होते हुए भी कुछ समस्याओं और कठिनाइयों से घिरी हुई है। उन्हें दूर करके महिलाओं के नेतृत्व को मजबूत किया जा सकता है। इससे पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो सकेगी।

पंचायत राज व्यवस्था में अभी जो कमियां दिखाई दे रही हैं, वे हमारी कमजोर मानसिकता, महिलाओं में शिक्षा का अभाव, लालफीताशाही और जन प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के अभाव आदि कारणों से है। अनेक संस्थाएं पिछले कई वर्षों से जनप्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण का कार्य कर रही है, उसमें भाग लेने आए महिला जनप्रतिनिधियों से विचार–विमर्श के दौरान पाया कि महिलाओं की कार्य–क्षमता में बदलाव, कार्य के प्रति गंभीरता और अपनी बातों को सटीक ढंग से अपनी–अपनी भाषा व शैली में रखने की क्षमता बढ़ी है।

पंचायत प्रतिनिधि एक प्रशिक्षणशाला में भाग लेते हुए

अखबारों एवं पत्र–पत्रिकाओं में अक्सर महिला जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली की आलोचनाएं छपती रहती हैं, परन्तु इस प्रकार की आलोचना एक तरफा होती है। अधिकांश घटनाएं प्रतिवेदन कर्ता के पूर्वाग्रहों और पंचायत राज की प्रारम्भिक स्थिति का विवरण प्रस्तुत करती हैं। जब महिलाएं विजयश्री हासिल करके पंचायत पदाधिकारी के पदों पर आसीन हुई थीं तब उनकी पहचान फलां की बीबी, चाची, बहिन और बेवा से होती थी। महिलाओं को एक तरह से मोहरों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। पंचायती राज के शुरुआती दौर में पंचायतों के संचालन की बागडोर किसी न किसी पुरुष के हाथ में रहती थी, उसने जहां चाहा वहां अंगूठा लगवाया अथवा हस्ताक्षर कराए। लेकिन समय और अनुभव के साथ–साथ अब यह धारणा बदल रही है महिलाओं की मनःस्थिति बदल रही है। जैसे–जैसे इनमें स्वतंत्र व्यक्तित्व की भावना, स्वयं निर्णय लेने की इच्छा का आविर्भाव हो रहा है, वे मोहरों के तौर पर इस्तेमाल होने से बचने लगी हैं। अनेक उदाहरण यह बताते हैं कि महिला पंचायत पदाधिकारियों ने अपनी दक्षता, महत्ता और उपादेयता भी साबित की है। महिला प्रतिनिधियों के कुछ उद्‌गार यहां दिए जा रहे हैं जो नई दिशा को दिखाने के लिए पर्याप्त हैं।

अब फर्क पड़ा है

ग्राम पंचायत डोडावली पं.स. गिर्वा की

सरपंच श्रीमती मीरादेवी का कहना है कि जो महिलाएं पहले शायद घर की दहलीज से बाहर कदम रखने के लिए भी परिवार वालों की अनुमति लेती थीं, अजनबियों के आगे जिनके सिर से घूंघट सरकता भी न था, परिवार या गांव के बुजुर्गों के आगे जो कभी अपनी राय तक जाहिर नहीं करती थीं वे आज पंचायत, ग्रामसभा और वार्डसभा की अध्यक्षता करती हैं और निर्णय लेती हैं।

बदलाव आरम्भ हुआ

ग्राम पंचायत कविता पं.स. बड़गांव की सरपंच श्रीमती सूरजदेवी का कहना है कि "मैं बिना अपने पति के आज पुरुषों के साथ पंचायत में बैठकर कामकाज करती हूं यही बहुत बड़ा बदलाव है।"

सत्ता में सीधी भागीदारी

ग्राम पंचायत ईंटालीखेड़ा पं.स. – सलुम्बर की सरपंच श्रीमती कमला मीणा का कहना है कि "समाज की व्यवस्था में पहले नारी का हस्तक्षेप न के बराबर था। पंचायतों का यह ढांचा ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब महिलाओं की सत्ता में सीधी भागीदारी हो जाने से नारी जीवन में भी कुछ कहने, करने और देखने योग्य बदलाव आने लगा है।"

नजरिया बदला

वार्ड पंच श्रीमती लहरीबाई ग्राम पंचायत भोपाखेड़ा पं.स. भीण्डर का कहना है कि "मैं इन वर्षों में कुछ दिनों के ट्रेनिंग कैंपों में समय–समय पर शामिल हुई हूं जिससे मेरी सोच का नजरिया बदला है और जानकारियां बढ़ी हैं। मैं प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन जानकारियों को दूसरे लोगों में बांटती हूं। यदि समय–समय पर हमें अच्छा प्रशिक्षण मिलता रहे तो हालात बदलने में आसानी हो जाएगी।"

लोगों की कड़ी निगाह

श्रीमती सवीतादेवी सरपंच बीछीवाड़ा पं.सं. – खेरवाड़ा अपनी प्रतिक्रिया में कहती है कि "चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में हमारे काम–काज पर हमेशा कड़ी नजर रखी जाती है। लोगों को हम पर भरोसा नहीं है। हमसे कुछ करके दिखाने की ज्यादा ही उम्मीद रखी जाती है। लेकिन अधिकारों और पैसे के बिना हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाती हैं।" वे अपना आक्रोश जताते हुए कहती है कि "इतने वर्षों से पंचायतें आदमी ही चला रहे थे, अब तक क्या तीर मारा है? इन्होंने अब तक गांवों का अच्छा विकास क्यों नहीं किया?"

सेवा करना तो पूजा है

ग्राम पंचायत मजावड़ी पं.स. – गोगुन्दा की सरपंच सोवनीदेवी कहती है कि "लोगों की सेवा तो पूजा के समान है लेकिन बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता है। विकास के कार्यों के लिए पैसा जुटाना महिलाओं के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। हम एम.एल.ए. और एम.पी. के पीछे कहां तक भागें? गांव में लोगों के पास पेट भरने को भी नहीं है तो टेक्स लगाकर पंचायत की आमदनी बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। फिर पांच वर्षों के लिए इस बदनामी को ओढ़ने का क्या फायदा? पंचायत पर फिर 10 वर्षों के लिए पुरुषों का अधिकार हो जायेगा।"

इन्सान एक काम अनेक

श्रीमती लाली बाई वार्डपंच पंचायत धार पं.स. बड़गांव कहती है कि "मैं घर भी संभालती हूं वार्डपंच भी हूं और दाई का काम भी करती हूं। अपने चार बेटों की देखभाल में जुटी थी लेकिन मेरे दिल में अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करने की गहरी इच्छा थी। मैं खासतौर पर औरतों के लिए कुछ करना चाहती हूं।"

स्त्री–पुरुष की विषमता घटी

उपसरपंच श्रीमती केशीबाई ग्राम पंचायत मेरपुर पं.स. कोटड़ा कहती है कि 'चुनाव जीतने के बाद गांव में हमारा सम्मान बढ़ा है। यह हमारे प्रगति और विकास के द्वार तो खोल ही रहा है। परिणामस्वरूप स्त्री–पुरुषों के बीच सामाजिक अन्तर भी कम हो रहा है।'

दृढ़ निश्चय

श्रीमती कमलादेवी जैन वार्डपंच पंचायत झाड़ोल पं.स. झाड़ोल कहती है कि "समाज में नेतृत्व का उत्तरदायित्व संभालना एक महिला के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आरक्षण के फलस्वरूप औरतों के विश्वास को और भी मजबूत किया है जो उन्हें निर्णय लेने का मौका देती है।"

रोजमर्रा की जिन्दगी की जरूरतों को प्राथमिकता

वार्डपंच श्रीमती मीराबाई ग्राम पंचायत गोदाणा पं.स. झाड़ोल कहती है कि "हम लोग साक्षरता व स्वास्थ्य के कामों को अहमियत देती हैं। सड़क, अस्पताल, स्कूल, हैण्डपम्प और आय बढ़ाने वाली योजनाओं को लागू करने में महिलाओं की दिलचस्पी का कारण यह है कि ये बातें उनकी रोजमर्रा की जिन्दगी से सीधे जुड़ी हुई हैं। हम मुफ्त सहायता की योजनाओं के पक्ष में नहीं हैं, इससे लोग निठल्ले बनते हैं।"

(शेष पृष्ठ 20 पर)

स्वयंसेवी संस्थाएं और पंचायती राज

रचनात्मक कार्यों एवं विकास के नवीन प्रयोगों की एकमात्र प्रयोगशाला : ग्राम पंचायत

डा. अरुण चंदन, डा. सुधीरेन्द्र शर्मा, जयंत कुमार

इस सहस्राब्दी के प्रथम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत गणतंत्र के महामहिम राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन ने अपने अभिभाषण में एक ऐसे विषय का उल्लेख किया जिसकी चर्चा से हम अपनी बात शुरू करना चाहेंगे। एक अंग्रेज प्रशासक का हवाला देते हुए भारत के प्रथम नागरिक ने कहा, "साम्राज्य गिरते रहेंगे, सरकारें बदलती रहेंगी लेकिन समाज को टिकाए रखने वाली सूक्ष्म इकाई 'ग्राम पंचायत' अपनी जगह ज्यूं की त्यूं टिकी रहेंगी"। बदलते परिवेश में उनकी जिम्मेदारियों व संरचना में परिवर्तन आना स्वाभाविक है, उन्होंने कहा।

राष्ट्रपति जी ने यह इंगित किया कि वैश्वीकरण के बड़े साम्राज्य में यदि कोई इकाई स्वायत्त रूप से टिकने की क्षमता रखती है तो वह है – ग्राम पंचायत। वैश्वीकरण में अपनी पहचान खो जाने का जो भय आमतौर पर पनपा है वह ग्राम पंचायत इकाई को 'सुदृढ़' करके टाला जा सकता है। इस संदर्भ में 'सुदृढ़' शब्द को अक्सर जागरूकता व जनजागरण का पर्याय मान लिया जाता है लेकिन आर्थिक एवं प्रशासनिक शक्तियों के हस्तान्तरण के बिना पंचायतें कभी सुदृढ़ हो ही नहीं सकतीं।

संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज की नई लहर में केरल राज्य का उदाहरण कहते ही बनता है। राज्य के विकास का 35 से 40 प्रतिशत पैसा ब्लाक व ग्राम पंचायत स्तर पर सीधा देने के बाद हुए परिवर्तन अपने आप में एक उदाहरण है। इस परिवर्तन में साक्षरता की भूमिका तो अहम ही रही होगी लेकिन शायद राजनीतिक इच्छाशक्ति के बिना यह संभव ही नहीं हुआ होता। जो राज्य अभी भी पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां और अधिकार देने में संकोच कर रहे हैं उन्हें केरल में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करके संकोच का समाधान करना होगा।

केरल की तुलना में हिमाचल प्रदेश भी पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने में कहीं पीछे नहीं रहा। संविधान संशोधन के बाद समय पर पंचायती चुनाव, पंचायती राज प्रतिनिधियों को मानदेय एवं पचास हजार रुपये तक के विकास कार्यों का 'सोशल आडिट', प्रदेश सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हालांकि, महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार करने और जनमानस को ग्रामीण सत्ता संभालने का काम सौंपने में अभी लंबा सफर तय करना है।

हिमाचल के संदर्भ में पंचायती राज

55,673 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल में फैले हिमाचल प्रदेश में नए पंचायती प्रावधान के अंतर्गत 2,922 ग्राम पंचायतें, 72 पंचायत समितियों व 12 जिला परिषदों का गठन हुआ है। वर्तमान में 970 ग्राम पंचायतों की प्रधान महिलाएं हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को भी इस प्रक्रिया में आरक्षण मिला है। सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में लिया गया यह क्रांतिकारी कदम हर स्तर पर सराहा गया है।

संविधान संशोधन की अनुसूची 11 के अनुसार हिमाचल राज्य के स्थानीय महत्व के कामों की योजना बनाने और उनका क्रियान्वयन करने में पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भूमिका का उल्लेख करते हुए 29 प्रस्तावित विषयों में से 15 का हस्तांतरण पंचायती राज संस्थाओं को किया गया है। संशोधन के उल्लेखानुसार राज्य विधान मण्डल जिला स्तर, मध्य स्तर और ग्राम स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को 'स्वशासन' की संस्था जैसे कार्य करने के लिए शक्तियां और अधिकार देने की पहल कर चुका है। शक्तियां एवं अधिकारों के स्तर पर हिमाचल प्रदेश में पूरे देश के अन्य राज्यों की तुलना में तीव्रता से कार्य हुआ है।

स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका पर संदेह : तीव्रता से हुए कार्यों में स्वयंसेवी संस्थाओं की भी अहम भूमिका रही है। पांच वर्ष पूर्व जब पंचायती राज का सिलसिला शुरू हुआ था तब स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका को लेकर कुछ संशय अवश्य था। जिन विकास कार्यों को संस्थाएं कर रही थीं उनके ग्राम पंचायत के परिप्रेक्ष्य में आ जाने से संस्थाओं की भूमिका पर प्रश्नचिन्ह लग गया था। परन्तु हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। पंचायतों के सूक्ष्म नियोजन, क्षमतावर्धन इत्यादि कार्यों में इन संस्थाओं की पहले से भी अधिक जिम्मेदारी निकल कर सामने आई है।

उस समय यह भी सोचा जा रहा था कि पंचायतों की क्षमतावर्धन व जागरूकता इत्यादि का कार्य इस समयावधि में ही होगा। परन्तु पांच वर्षों का अनुभव यह दर्शाता है कि संस्थाओं की भूमिका में नित नए आयाम जुड़ते

जा रहे हैं। हमें याद पड़ता है कि पिछले पंचायत चुनावों में स्वयंसेवी संस्थाओं ने मतदाता – जागरूकता कार्यक्रम राज्य स्तर पर आयोजित किए थे। तदोपरांत जानकारी से संबंधित सामग्री का प्रकाशन भी किया था। शिक्षण–प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम में हाल ही में नए आयाम भी जुड़ गए हैं। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने ग्राम सभा को सशक्त बनाने के लिए रचनात्मक प्रयोग किए हैं, कुछ ने सूक्ष्म नियोजन कर प्रक्रिया में हाथ बंटाए व कुछ ने शिक्षण–प्रशिक्षण का दायित्व निरन्तर निभाया है।

ग्राम पंचायत प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी न केवल सरकार की है बल्कि समाज के विकास से जुड़ी हर इकाई की है। हिमाचल में पंचायतों के संदर्भ में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका को न केवल सराहा गया है बल्कि उनके द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकारा भी गया है। जैसे–जैसे पंचायती राज लहर की जड़ें और अधिक गहरी होती जाएंगी वैसे–वैसे क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं के बारे में संस्थाओं द्वारा विश्लेषणात्मक सुझावों को व्यवस्था में औपचारिक स्थान देने की आवश्यकता भी बढ़ती चली जाएगी। प्रदेश में स्वयंसेवी संस्थाओं ने जिला स्तर पर अनेक कार्यशालाओं का आयोजन करके पंचायती राज संस्थाओं की प्राथमिकताओं एवं क्रियात्मक समस्याओं के सूक्ष्म स्तर पर अन्वेषण करने के भी प्रयास किए गए हैं। संस्थाओं की संतुतियों को भी इस दस्तावेज में शामिल किया गया है।

जनजागरण आज भी प्रसांगिक

पांच वर्षों में संस्थाओं द्वारा किए गए अनुभव यह दर्शाते हैं कि पंचायती राज प्रणाली संबंधी जनजागरण के कार्य को और अधिक केन्द्रित प्रयास के रूप में समाज के बीच ले जाने की आवश्यकता है। स्वयंसेवी संस्थाएं लोगों में चेतना पैदा करने की रचनात्मक भूमिका अदा कर सकती हैं। जन संचार के पारम्परिक एवं सामयिक तरीकों का समायोजन करके जनजागरण के कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

क्योंकि देश के हर कोने में जनमानस को जागरूक करना होगा इसलिए सरकार अकेले इस कार्य को नहीं कर पाएगी। ऐसे में सरकार एवं संस्थाओं को मिलकर सुव्यवस्थित व समयबद्ध कार्ययोजना बनानी होगी ताकि दोनों मिलकर जनमानस को पंचायत के हर पहलू पर मानसिक रूप से तैयार कर सकें। इस दिशा में किए गए रचनात्मक कार्यों का संकलन करके उनको बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त कार्यसमिति का गठन किया जाए जो समय–समय पर जनजागरण की दिशा में किए गए कार्यों का मूल्यांकन कर सके। संयुक्त प्रयासों को व्यावहारिक जामा पहनाने से ही जनजागरण मुहिम में सफलता मिलेगी।

इतिहास गवाह है कि जब भी सत्ता एक वर्ग से दूसरे वर्ग के हाथों में गई है तो समाज में तनाव बढ़ा है। कुछ राज्यों में तो पंचायत–चुनावों में हिंसा की घटनाएं भी होती हैं। विभिन्न समुदायों में तनाव एवं कटुता कम करने की भूमिका स्वयंसेवी संस्थाओं ने निभाई है और आगे भी उन्हें इस भूमिका में सक्रिय रहना होगा। इसके अतिरिक्त समाज के आध्यात्मिक, विकास में भी संस्थाएं योगदान दे सकती हैं।

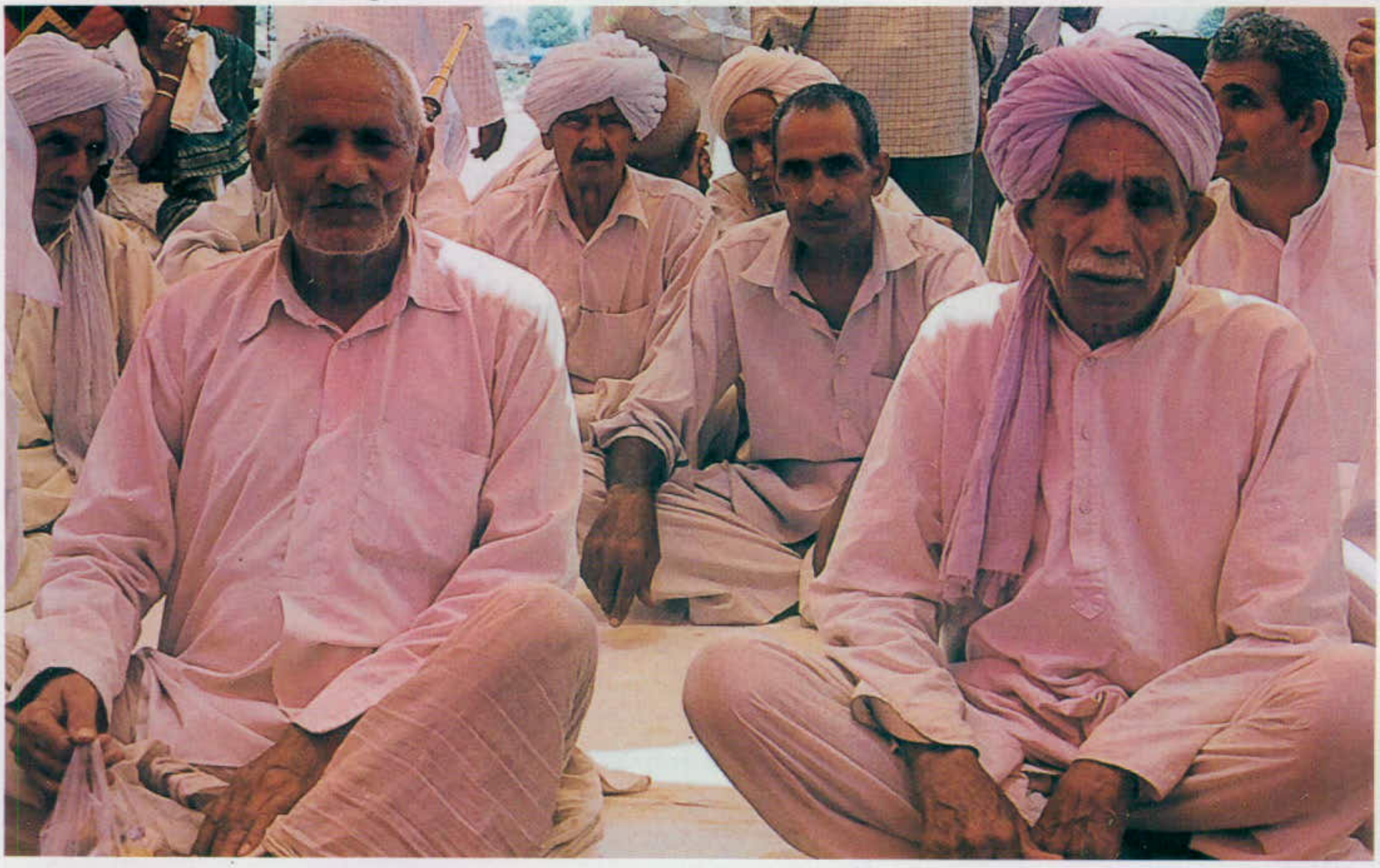

चुनावों के लिए ग्रामीण जनता को सही प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए तैयार करना लोकतांत्रिक परम्परा के अनुरूप है। चुनाव आयोग ने भी इस कार्य के महत्व को समझते हुए स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका को सराहा है। अनुभव दर्शाते हैं कि सीमित क्षेत्रों में जहां कहीं भी संस्थाओं ने सही प्रतिनिधि चुनने का बीड़ा उठाया है वहां इसके सकारात्मक परिणाम ही मिले हैं। यहां तक कि चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए संस्थाओं को प्रशिक्षण संबंधी साझे अनुभव न केवल प्रदेश में ही सफल हुए हैं बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी कुछ संस्थाएं यह सुविधा उपलब्ध करवा रही हैं। ऐसी प्रक्रिया को निरन्तर प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

जरूरत एक रचनात्मक पहल की

स्वयंसेवी संस्थाओं के स्तर पर अब तक किए गए प्रयास एकतरफा रहे हैं अर्थात क्या होना चाहिए व उन्हें क्या करना चाहिए इसका फैसला संस्थाओं के स्तर पर ही हुआ। लेकिन अब समय आ गया है कि पंचायत प्रतिनिधियों का भी प्रक्रिया के प्रभाव मूल्यांकन व नियोजन में योगदान हो। इसके लिए आवश्यक होगा कि इस नए आदान की पहल की जाए। हमारा ऐसा विश्वास है कि संस्थाओं एवं पंचायत प्रतिनिधियों के सूक्ष्म ज्ञान एवं फील्ड के क्रियात्मक अनुभवों से भविष्य के कार्य को नई दिशाएं मिलेंगी। इन दोनों के अनुभवों का सही प्रयोग फील्ड स्तर पर कार्यक्रमों को अमलीजामा पहनाने में कारगर सिद्ध होगा।

नीतिगत स्तर पर और अधिक पैना योगदान हो इसके लिए आवश्यक है कि सरकार, संस्थाएं व पंचायत प्रतिनिधि मिल बैठकर मुद्दों व समस्याओं पर खुले मन से चर्चा करें। पंचायत प्रतिनिधि अवश्य इस तैयारी में होंगे कि उन्हें अपने अनुभवों का आदान–प्रदान करने के लिए एक व्यापक अराजनैतिक मंच मिले। पंचायत प्रतिनिधियों के मन की जिज्ञासाएं, फील्ड संबंधी अनुभव एवं सवालों के जवाब के बारे में सोचना होगा। अतः आवश्यकता इस बात की होगी कि टकराव का रास्ता नजरअंदाज करते हुए रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाए।

सीमित अध्ययन दर्शाते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पंचायतों का व्यय उनकी आमदनी से अधिक है और अभी तक इस कमी की भरपाई के लिए सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर कोई ठोस कदम उठाए नहीं गए हैं। दूसरी ओर जो भी धन उपलब्ध है वह केवल योजनाओं के जरिए ही प्राप्त किया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर पंचायत को अनुदान पर ही आधारित रहना पड़ता है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने देश में ढाई लाख ग्राम पंचायतों, 6,000 ब्लाक तथा 500 जिला परिषदों के लिए 1,600 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की है। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या यह पैसा पंचायतों के लिए पर्याप्त होगा?

अब यह मान लिया गया है कि 'दरिद्र नारायण' के जीर्णोद्धार का आखरी पड़ाव ग्राम पंचायत ही है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पंचायत को विकास की सशक्त इकाई के रूप में मान्यता मिली है।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि संस्थाएं पंचायतों को स्थानीय स्तर पर ही संसाधन जुटाने के रचनात्मक एवं नवीन उपाय सुझा सकें। ये कार्य आसान नहीं है फिर भी यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें संस्थाओं को अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। गत वर्षों में पंचायत प्रणाली पूर्णतः राजाश्रय पर निर्भर रही है। यहां तक कि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन तथा जैवविविधता को आर्थिक रूप से पुनर्जीवित करने का प्रयास तक नहीं किया है। तात्कालिक सरकारों ने भी इन संसाधनों पर पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों को नजरअंदाज किया है।

देश के सफलतम विकास के माडलों का अवलोकन करें तो यह पता चलता है कि प्राकृतिक सम्पदा प्रबंधन से होने वाली आमदनी, जोकि 'ग्राम कोष' में डाली जाती है, से गांवों में टिकाऊ विकास की आत्मनिर्भर पद्धति का विकास हुआ है। ऐसे गांव अपनी समस्याओं का समाधान अपने दायरे में अपने ही संसाधनों से खोज रहे हैं जोकि अपने आप में अनुकरणीय है। अतः ग्राम पंचायतों को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन संबंधी अधिकारों का स्थानांतरण आवश्यक है ताकि प्रतिभागी प्रक्रिया से वे ग्राम कोष विकसित करने की दिशा में पहल कर सकें।

संविधान संशोधन में पंचायतों द्वारा निचले स्तर से प्रतिभागी योजना निरूपण करने का स्पष्टोल्लेख है। अतः देश में माडल स्तर पर संस्थाओं की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन के रचनात्मक कार्यक्रम विकसित किए जाएं। उनके लिए समय रहते योजनाबद्ध तरीके से धन उपलब्ध करवाया जाए और उनके परिणामों को प्रसारित करने के नीतिगत निर्णय लेने की तैयारी हो। संस्थाओं के दायित्व में यह भी मुख्य रूप से उल्लेखनीय है कि पंचायती राज अधिनियम में जो विरोधाभास या क्लिष्टताएं हैं उन पर लोगों की समझ बनाए या फिर जन सामान्य के विचारों को सरकार के समक्ष सुझावों व सुधारों के लिए प्रस्तुत करें। इसी प्रक्रिया में यह कार्यशाला भी एक कड़ी है।

एक आखिरी आशा

स्वयंसेवी संस्थाओं के स्तर पर अब यह मान लिया गया है कि 'दरिद्र नारायण' के जीर्णोद्धार का आखरी पड़ाव ग्राम पंचायत ही है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पंचायत को विकास की सशक्त इकाई के रूप में मान्यता मिली है। संस्थाओं के विकास के नवीन प्रयासों के लिए पंचायतें अपार संभावनाओं का क्षेत्र हैं। पंचायत से जुड़े विभिन्न घटकों में आपसी तालमेल व समन्वय के लिए संस्थाओं को अहम भूमिका निभानी होगी। इस दस्तावेज में ऐसे कई सुझाव रखे गए हैं जिनसे तालमेल और समन्वय की इस प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलेगा। हम आशा करते हैं कि सरकार के सहयोग, पंचायतों की सक्रिय भागीदारी तथा संस्थाओं की रचनात्मक भूमिका से सत्ता के विकेन्द्रीकरण और टिकाऊ विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

ईश्वर कुटीर
हरदासपुर–176318
जिला चम्बा

गरीबी के चक्रव्यूह में ग्रामीण गरीब

डा. कृष्ण कुमार सिंह

भारत गांवों का देश है। लगभग 74 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में ही रहती है और 80 प्रतिशत जनता का जीवन–बसर कृषि पर निर्भर है। अतएव भारत के आर्थिक विकास हेतु बनाई गई किसी भी योजना में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को विशिष्ट महत्व दिया जाना स्वाभाविक है। लेकिन हमें देखना है कि गरीबी का दुष्चक्र शहरों की अपेक्षा ग्रामीण इलाकों के लघु और सीमान्त किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, कारीगरों, शिल्पकारों, अर्थात् कुल मिलाकर ग्रामीणों के घर–आंगन में ही क्यों चक्कर काटता रहता है। वैसे तो पिछले चार दशकों से सरकार का इरादा राष्ट्र में आर्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय की स्थापना करना रहा है। इसके लिए अनेक कल्याणकारी परियोजनाओं को लागू किया गया। यथा – सामुदायिक विकास कार्यक्रम, गहन कृषि विकास कार्यक्रम, लघु किसान विकास एजेंसी, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, कमान एरिया विकास एजेंसी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम), काम के बदले अनाज, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, इत्यादि। तब प्रश्न उठता है कि क्या इन परियोजनाओं से शोषित, उपेक्षित ग्रामीण गरीब लाभान्वित हो रहे हैं या इनकी आकांक्षा मात्र दिवास्वप्न बनकर ही रह गई है। अगर ऐसा है तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है? हमारी सरकार, हमारी नीतियां, हम या आज की व्यवस्था। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो ग्रामीण गरीबों के अन्तः करण को स्पर्श किए बिना नहीं रहते।

भारत कृषि प्रधान होने के साथ–साथ एक विकासशील देश है जहां की विशेषता गरीबी का दुष्चक्र ही है। हमारे देश के ग्रामवासी इसलिए गरीब हैं क्योंकि इन्हें गरीब होने के कारण संतुलित आहार नहीं मिल पाता, जिससे शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से कमजोर होते हैं। फलतः इनकी कार्यक्षमता कम होती है। ऐसी स्थिति में पारितोषिक तो कम मिलेगा ही। पारितोषिक कम मिलने से बचत का तो प्रश्न ही नहीं उठता, दो जून रोजी–रोटी की जुगाड़ करना भी दूभर हो जाता है जिससे ये गरीब के गरीब ही बने रहते हैं। ग्रामीणों के पास साधन एवं पूंजी दोनों का अभाव है। परिणामतः प्रतिव्यक्ति आय निम्न होती है। अतः बचत एवं मांग भी निम्न होती है, फलतः विनियोग दर कम रहती है। इससे साधनों का उचित विदोहन नहीं हो पाता। इस प्रकार उत्पादन न बढ़ने से न तो उत्पादकता बढ़ती है और न ही प्रतिव्यक्ति आय। अतः गरीबी का दुष्चक्र ग्रामीण इलाकों के गरीबों के जीवन में सदा चलता रहता है।

हालांकि वर्तमान में कृषि तकनीकी का विकास हुआ, पर इसका अधिक लाभ बड़े काश्तकार ही उठा पाए, सीमांत और लघु किसानों तथा कृषक मजदूरों के लिए विकसित कृषि तकनीकी मात्र कहने के लिए ही रह गई। नए कृषि उपकरण, प्रमाणित बीज और रासायनिक खाद इतने महंगे हैं कि सीमान्त तथा लघु किसान इसके प्रयोग की बात सोच भी नहीं सकते।

ग्रामीण गरीबी के अध्ययन के लिए बिहार राज्य के भोजपुर जिले का चयन किया गया है। भोजपुर जिला बिहार राज्य का पश्चिमी भाग, उत्तर में 55.15 और 25.46 आक्षांश तथा पूर्व में 85.5 एवं 84:45 देशान्तर के बीच बसा है। इसका कुल क्षेत्रफल करीब 4000 वर्ग किलोमीटर है जो राज्य के कुल भू–भाग का 2.3 प्रतिशत है।

जहां तक इस क्षेत्र के सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन का सवाल है, वह कुछ विशिष्ट कारणों से है यथा –

- उत्पादकता की न्यूनता।
- लगाई गई प्रत्येक पूंजी पर आय की कमी।
- साक्षरता की सामान्य दर में गिरावट।
- दस्तकारी सुविधाओं का अभाव।
- बैंकों में रुपये की रख–रखाव की अल्पज्ञता।
- ग्रामीणों पर साहुकारों के ऋण का बोझ
- सिंचाई सुविधाओं का अभाव
- कल कारखानों के विकास की कमी तथा
- बढ़ती हुई आपराधिक प्रवृति इत्यादि।

चूंकि ग्रामीण गरीब अपने खेतों में पूंजी एवं श्रम की उचित मात्रा नहीं दे पाते जिससे उत्पादकता कम होती है। महाजनों से ऋण लेकर जो कुछ विनियोग करते हैं उससे अधिक आय प्राप्त नहीं हो पाती क्योंकि कृषि विकास एवं उसके व्यावसायीकरण के लिए एक संगठित बाजार का अभाव है। फलतः ग्रामीण गरीब कृषकों को अपनी उपज चालू मूल्य से भी कम मूल्य पर बेचनी पड़ती है। गरीबी के चलते वे ऊंचे मूल्य की प्रतीक्षा नहीं कर पाते।

हालांकि वर्तमान में कृषि तकनीकी का विकास हुआ, पर इसका अधिक लाभ बड़े काश्तकार ही उठा पाए, सीमांत और लघु किसानों तथा कृषक मजदूरों के लिए विकसित कृषि तकनीकी मात्र कहने के लिए ही रह गई। नए कृषि उपकरण, प्रमाणित बीज और रासायनिक खाद इतने महंगे हैं कि सीमान्त तथा लघु किसान इसके प्रयोग की बात सोच भी नहीं सकते। बड़े कृषक भी जो विकसित कृषि उपकरण का उपयोग करते हैं, आधुनिक तकनीशियन के अभाव में शहरों पर आश्रित हैं एवं खर्च की अधिकता के कारण ऋण के बोझ से दबते जा रहे हैं।

गांव के छोटे व्यापारी ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे विभागीय भंडार के रूप में अपनी दुकानें खोलकर

हर तरह की मांगों की पूर्ति करते हैं। ये छोटे व्यापारी साल भर साख की सुविधा देकर बाद में उसके बदले अनाज स्वीकार कर लेते हैं। इस माध्यम से ग्रामीण परिवेश में ये देशी सेठ–साहूकार और महाजनों के रूप में काम करके ग्रामीण गरीबों की पेरशानी एवं ज्ञानहीनता का भरपूर लाभ उठाते हैं।

कृषि प्रधान जिला होते हुए भी भोजपुर में सिंचाई सुविधा का अभाव यहां के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। जिले की कुल खेती की 4.49 लाख हेक्टेयर भूमि में से मात्र 2.43 लाख हेक्टेयर भूमि को ही शुद्ध रूप से सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। अर्थात् कुल कृषि भूमि के 54 प्रतिशत भाग को ही सिंचाई की सुविधा है। सिंचाई के विभिन्न तरीकों में नहरें सबसे प्रधान हैं जो सोन नदी के बांध से निकलकर कुल सिंचित क्षेत्र में से 70 प्रतिशत को पानी देती हैं। परन्तु सोन नहरों का अन्तिम भाग ही इस जिले में पड़ता है अतः पूर्ण सिंचाई की निश्चितता नहीं होती। सूखे के मौसम में कृषकों को विशेष कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। दूसरा स्रोत नलकूप है जो बिजली के अभाव में अर्थहीन हो गए हैं।

जिले में सन् 1960–61 में पैकेज प्रोग्राम लागू होने के पूर्व प्रति हेक्टेयर उपज बहुत निम्न थी। इसके बाद जब गहन कृषि के अन्तर्गत 'हाइल्डींग वेराइटी प्रोग्राम' लागू किया गया तब प्रति हेक्टेयर उत्पादन दर दो क्विंटल से बढ़कर 4 क्विंटल हो गई। लेकिन कुल मिलाकर अधिकांश खेती आज भी परम्परागत तरीके से ही की जाती है। छोटे एवं सीमान्त कृषकों को उनकी गरीबी, उन्नत तरीके से खेती करने नहीं देती। वे इतने गरीब हैं कि जीने के लिए उपजाते हैं और उपजाने के लिए जीते हैं। इन्हें कृषि में एक वर्ष में 200 दिनों से अधिक का काम नहीं मिलता। अतः वे छिपी हुई और मौसमी बेरोजगारी से पीड़ित हैं और कृषि से चिपके हुए हैं।

औद्योगिक दृष्टि से भी यह जिला पिछड़ा हुआ है। निबन्धित एवं अनिबन्धित इकाइयों की संख्या मात्र 830 है। हथकरघों की संख्या करीब 441 है, खादी इकाइयां करीब 685 और जूता निर्माण इकाइयों की संख्या करीब 568 है। इसी तरह बढ़ईगीरी, सोनारगीरी एवं लोहारगीरी की इकाइयों की संख्या भी बहुत कम है और इनमें से अधिकांश छोटी इकाइयां बीमार या मृतप्राय हैं।

हालांकि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत ग्रामीण भूमिहीनों, सीमान्त एवं लघु किसानों को हमेशा–हमेशा के लिए गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा भैंस, गाय, बैल, सूअर, बकरी, मुर्गी, आदि के लिए ऋण मुहैया कराया जाता रहा। फिर भी यह कार्यक्रम ग्रामीण गरीबों का भाग्योदय नहीं कर सका। ग्रामीणों ने निराशा भरे शब्दों में कहा कि बूढ़े बैल, बूढ़ी गाय, भैंस, कम दूध देने वाले पशु, बाजार से लगभग डेढ़ गुना अधिक कीमत पर दिए गए, जिनसे इतनी आमदनी नहीं होती कि बैंकों को ऋण की रकम लौटाई जा सके। इतना ही नहीं इस योजना के तहत दिए गए दुधारू पशुओं में से करीब 65 प्रतिशत ने बीमारी से दम तोड़ दिया या बेच दिए गए अथवा मात्र झूठे कागज पर ही खरीदे गए। कुछ दुधारु पशु तो ऐसे गरीबों को दिए गए जिनके पास भूमि के नाम पर मात्र एक फूस की झोपड़ी ही है, वैसी स्थिति में वह पशुओं को कहां बांध सकता है। इन ग्रामीण गरीब किसानों, मजदूरों के पास चारे का कोई जरिया नहीं था। अतः दिए गए अधिकतर ऋण डूबने की स्थिति में हैं। पसौर ग्राम पंचायत के करीमन राम बताते हैं कि हमरा लदनी करने के लिए घोड़ी ऋण रूप में मिली, लेकिन ओकरा के बांधे के जगह ना रहे, तब नकद रूप में ऋण कुछ ले दे के मिल गइल और इस नकद रुपये से जमीन खरीद ले ली। इसी तरह अनन्त राम भी कहते हैं कि हमको भैंस बैंक से मिली, पर हम दोनों प्राणी के भर पेट दोनों शाम अन्न नइखे मिलत, भैंस के खली दाना कहां से जोगाड़ करीं। भैंस दूबर–पातर हो के बीमार पड़ल, मर गइल।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रामीण गरीब किसान मजदूर विभिन्न समस्याओं से ऐसे घिर गए हैं कि इससे उबरना बड़ा कठिन है। अज्ञानता की जड़ें और गहरी होती जा रही हैं। अशिक्षित होने के कारण बैंक पदाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी भरपूर सहयोग की जगह, इतना दौड़ाकर परेशान कर देते हैं कि ये सफेद–पोशों, दलालों के चंगुल में आसानी से जा फंसते हैं। परिणामतः इनके ऋण का बन्दरबाट हो जाता है और ये गरीब के गरीब ही बने रहते हैं। मध्यवर्गीय किसान बढ़ती हुई आपराधिक प्रवृत्ति से पलायन कर रहे हैं। कृषि अलाभप्रद व्यवसाय होने के साथ–साथ असुरक्षित हो गई है। जिसका प्रभाव पूरी अर्थ व्यवस्था पर दिखाई पड़ रहा है। मध्य व्यवसाई भी तवाह है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की क्रय शक्ति समाप्त हो गई है। एक का व्यय दूसरे की आय है। व्यय करने की क्षमता में ह्रास का परिणाम स्थानीय शहरों में दिखाई पड़ रहा है।

इस प्रकार विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं से बड़े काश्तकार ही लाभान्वित हुए और ग्रामीण समाज का मध्य वर्ग, कमजोर वर्ग इसके लाभों से अछूता ही रह गया। योजनाएं जो विशेषकर गरीबी दूर करने के लिए बनाई गईं, ये भी ग्रामीण गरीबों का कल्याण नहीं कर सकीं।

ऐसी अवधारणा बन गई है कि अब तक ग्रामीण विकास के लिए लागू की गई तमाम परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, अशिक्षा, क्षेत्रीय असमानता, आधारभूत सुविधाओं का अभाव आदि गलत नीतियों के चलते प्रभावहीन रही हैं। साथ ही इसके चलते ग्रामीण वातावरण विषाक्त हो गया है और समाज स्पष्ट रूप से वर्गों में विभक्त हो गया है।

अतः परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जब तक कार्यान्वयन पदाधिकारी दृढ़ संकल्प नहीं लेंगे तब तक ग्रामीण गरीबी उन्मूलन महज पानी में कागज की नाव चलाने के समान ही होगा। आज गांव समस्याओं के अम्बार से आच्छादित है। वर्तमान स्थानीय ईमानदार नेतृत्व पलायन की प्रवृत्ति अपनाता जा रहा है। जब तक स्थानीय नेतृत्व ईमानदार उपयुक्त और कारगर नहीं होगा ग्रामीण गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर की ओर नहीं उठाया जा सकता। ग्रामीण जनता को अधिकारों का बोध कराकर जगाना होगा तभी वास्तविक विकास सम्भव होगा और देश खुशहाल होगा।

ग्राम व पोस्ट – पसौर,
जिला भोजपुर (बिहार)

पर्यावरण की पहरेदार ग्रामीण महिलाएं

आशारानी व्होरा

आज भारत में बीस प्रतिशत से भी कम भू–भाग पर वन हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, हर देश के तैंतीस प्रतिशत भू–भाग पर वन रहें तभी पर्यावरण–संतुलन बना रह सकता है। पेड़ कटते गए, पर ईंधन के वैकल्पिक साधन नहीं खोजे गए। कृषि के लिए जो ज्यादा जमीन छोड़ी जाती रही, अब वह बढ़ती आबादी के साथ बढ़ते निर्माण के कारण, धीरे–धीरे घटती चली गई। पेड़ों की अंधाधुन्ध कटाई को इस आवश्यकता से तो बढ़ावा मिलना ही था, इसकी रोक–थाम के कानून (जो अभी भी खास प्रभावी नहीं) भी तभी लाए गए, जब 'चिपको आंदोलन' जैसे आंदोलनों में अनेक भाई–बहनों ने अपार कष्ट सहकर इस ओर जनता और सरकार का ध्यान खींचा।

सीधी–सी संक्षिप्त बात यह कि पर्यावरण–संरक्षण की ओर हमारा ध्यान ही तभी गया, जब पश्चिमी देशों की तरह कल–कारखानों और बढ़ते वाहनों से यहां भी हवा, पानी प्रदूषित हुए और पश्चिमी पर्यावरणविदों ने पर्यावरण–संरक्षण के प्रति चेतना–जागरण अभियान चलाया। वरना हम तो यह भूले ही हुए थे कि हमारी संस्कृति में पर्यावरण जीवन शैली में ही घुला मिला था, उसके लिए अलग से चेतना जगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी; आंदोलन की तर्ज पर अभियान की बात कौन कहे! बड़, पीपल की पूजा, घर–घर में तुलसी–चौरे, हर पूजा में फल–फूल, पत्ते चढ़ाना, हर खुशी के अवसर पर पेड़–पौधे रोपना, कुत्ते, गाय, कौवे के लिए ग्रास निकालना, रोज चिड़ियों को दाना डालना, घरों में यज्ञ–हवन से प्रदूषित वायु को शुद्ध करना, दैनिक स्नान करना, हर उत्सव, त्यौहार

आज भी ग्रामीण महिलाएं खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी पर निर्भर हैं

पर नदी–स्नान को महत्व देना आदि हमारे सभी व्रत–अनुष्ठान, रीति–रिवाज, इस बात के गवाह हैं कि हम इस ओर से उदासीन नहीं थे। पर यहां इस सबके विस्तार में जाने की गुंजाइश नहीं, यह एक अलग लेख का विषय है। यहां हम केवल, ग्रामीण महिलाओं की ही बात करेंगे।

आज नदी–नाले सूखते जा रहे हैं, पहाड़ों की हरियाली लगभग गायब है। हवा में जहर घुल रहा है। गरमी दिनों–दिन बढ़ रही है। प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण वह समय–समय पर अपना कोप अलग दिखाती रहती है। कभी सूखा तो कभी बाढ़, कभी समुद्री तूफान तो कभी भूकम्प। हर मौसम अपना स्थान व रंग–ढंग बदल रहा है। भू–गर्भ जल दिनों–दिन घट रहा है। इस पर्यावरण–ह्रास की सबसे अधिक शिकार हो रही हैं, हमारी ग्रामीण महिलाएं। पेड़ों के कट जाने के कारण अब उन्हें ईंधन की लकड़ी के लिए मीलों दूर भटकना पड़ता है और राह में ठण्डी छांह भी बहुत कम नसीब होती है। पानी लाने के लिए भी उन्हें बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ता है क्योंकि समीप के नदी–नाले सूख गए हैं और वर्षा का पानी एकत्रित करने के लिए शुद्ध तालाबों का वैज्ञानिक उपाय अभी भी दूर की योजनाएं हैं।

महिला–सशक्तिकरण के इस वर्ष में महिला–शक्ति के इस अपव्यय की ओर क्या हमारा ध्यान जाएगा? पर्यावरण–संरक्षण के व्यापक प्रचार–प्रसार के बावजूद, आज भी बहुसंख्य ग्रामीण महिलाओं को उन्नत चूल्हे, ईंधन के वैकल्पिक साधन, जैसे कैरोसिन–स्टोव, गैस, सोलर कुकर आदि उपलब्ध नहीं हैं। हैं, तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। इसलिए आज भी जंगल से काट कर लाई गई जलाऊ लकड़ी ही उनके लिए मात्र सहज सुलभ यानी सस्ता साधन है। उन्नत चूल्हों के अभाव में फिर भले ही धुएं से उनकी आंखें खराब हों या दमा जैसी बीमारियां घेरें। जानकारी के अभाव में वे इनका समय पर इलाज भी नहीं करा पातीं। बेशक धन की कमी भी आड़े आती है, पर मुख्य बाधा है, जानकारी का अभाव, जिस कारण वे न इनका उपयोग कर पाती हैं, न समीप के सामुदायिक स्वास्थ्य–केंद्रों से उचित लाभ उठा पाती हैं। अगर सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाएं मिल कर ग्रामीण स्त्रियों को सस्ते दामों पर उन्नत चूल्हे व सोलर कुकर उपलब्ध कराती हैं तो ईंधन की समस्या का कुछ तो हल वे पा सकेंगी।

आंगनवाड़ियों और सामुदायिक केंद्रों को इस ओर प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए। नदी के अलावा, पीने के पानी के स्वच्छ स्रोत के लिए अधिक संख्या में नए कुंए खुदवाने और हैंड पम्प लगवाने के कार्य को भी प्राथमिकता देनी होगी, और वर्षा–जल को संग्रहीत करने के लिए नई तकनीक से

ग्रामीण महिलाओं में अधिक से अधिक यह चेतना जगानी होगी कि 'चिपको' जैसे आंदोलन अब अतीत की चीज समझी जाएं। ग्राम पंच महिलाएं स्वयं आगे होकर अपनी ताकत को पहचानें और हर बात में मर्दों की ओर न देख कर, स्वयं इस ओर पहल करें।

विकसित तालाबों की भी मुख्य बात है। इन महिलाओं को, जो घर–परिवार की देखभाल के साथ खेतों में और मजदूरी के काम में पति का हाथ भी बंटाती हैं, ईंधन और पानी के लिए धूप–ताप में दूर–दूर भटकने से बचाने की जरूरत है। एक वैज्ञानिक खोज के अनुसार, अत्यधिक ताप में काम करने से महिलाओं में स्तन–कैंसर की संभावना भी बढ़ जाती है।

महिलाएं हमारे परिवारों की रक्षक हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार प्रकृति हमारी रक्षक है। घर के दैनिक कामकाज, रोटी–पानी की व्यवस्था करने के साथ, बच्चों, बूढ़ों, बीमारों की देखभाल भी अधिकतर उनके ही जिम्मे तो रहती है! इसलिए इस ओर चेतना जगाने की जरूरत है कि परिवार की धुरी गृहिणी को जो राहत पहुंचाई जा सकती है, उसकी व्यवस्था तो समाज करे! यह किसी एक व्यक्ति या एक संस्था के बूते की बात नहीं। सार्वजनिक चेतना जगा कर ग्राम–पंचायतों, विशेष रूप से अब तो महिला पंचों के माध्यम से यह कार्य उतना कठिन नहीं होना चाहिए।

प्राथमिकता के आधार पर किए जाने वाले ये कुछ कार्य हो सकते हैं : नदी–तटों पर उद्योगों की स्थापना पर रोक लगाना। जहां तक संभव हो, पेड़ों की कटवाई रुकवाने के साथ, नए वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलाना। सभी स्कूल, पंचायतें और सामाजिक संगठन मिल कर यह कार्य कर सकते हैं। हैंडपम्प लगवाने के साथ, उनके रख–रखाव पर भी ध्यान देना। गंदे पानी के निष्कासन की व्यवस्था करना और शुद्ध जल–स्रोतों का निर्माण कराना, मल–मूत्र निकास के लिए सस्ते व सुविधाजनक शौचालयों की व्यवस्था करवाना, आदि।

अब तो ग्रामीण महिलाएं पंचायतों के माध्यम से स्वयं सत्ता के केंद्र में हैं। सरकारी, अर्ध–सरकारी व सार्वजनिक संस्थाओं, महिला–संगठनों और महिला आयोगों को ग्रामीण महिलाओं में अधिक से अधिक यह चेतना जगानी होगी कि 'चिपको' जैसे आंदोलन अब अतीत की चीज समझी जाएं। ग्राम पंच महिलाएं स्वयं आगे होकर अपनी ताकत को पहचानें और हर बात में मर्दों की ओर न देख कर, स्वयं इस ओर पहल करें। जिस प्रकार हर राज्य में अनेक क्षेत्रों की महिलाओं ने एकजुट होकर शराब–बंदी, चरकबंदी, ताड़–बंदी के लिए संघर्ष करके अपने परिवारों की खुशहाली लौटाने में अपनी अहम् भूमिका निभाई है, उसी तरह पर्यावरण–संरक्षण के लिए भी वे आगे आएं तो उनका रोजमर्रा का जीवन आसान और खुशहाल हो सकेगा।

जरूरत है केवल, पहले चेतना जगाने की व फिर थोड़ी मदद करके स्वयं महिलाओं के हाथ में ही बागडोर सौंप देने की। समयबद्ध, योजनाबद्ध कार्यक्रम से सभी कुछ संभव है। आखिर विगत वर्षों में हमने जो गलतियां की हैं, उनका सुधार तो करना ही होगा। तो 'महिला सशक्तिकरण वर्ष' में स्वयं महिलाओं को ही अपनी खुशहाली लौटा लाने के लिए प्रेरित, प्रशिक्षित और सक्रिय किया जाए। परिवार की धुरी से जो चक्र घूमेगा, वह अवश्य सही दिशा पकड़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो पहली जरूरत है, इस धुरी को पहचानने व उसे सशक्त करने की ही।

बी–27, सैक्टर–19, नोएडा–201301

जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक विकास में पंचायतों की भूमिका : एक विश्लेषण

डा. रवीन्द्र कुमार सोहोनी

मध्यप्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां हर चौथा व्यक्ति आदिवासी है। दक्षिण पश्चिम में पसरा हुआ मध्यप्रदेश का निमाड़ अंचल जनजातीय भारत कहा जा सकता है। भील, भीलाला, पटलिया अथवा तड़वी शब्द बोलते ही एक आदिम लोक संस्कृति का दृश्य सहज ही आंखों के समक्ष साकार हो उठता है।

विकास और तरक्की के नाम पर तथाकथित सभ्य समाज ने जल, जंगल और जमीन तीनों आधारभूत तत्वों के विदोहन के नाम पर बलात् शोषण किया है। विकास के नाम पर सभ्य समाज ने 'आदिवासी संस्कृति' जो कि वास्तव में समग्र भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है, को भी लीलने का प्रयास किया है। विकास के अर्थशास्त्र का सारा धन इस तथाकथित रूप से सभ्य कहे जाने वाले समाज ने अपनी भौतिक सुख सुविधाओं पर बहा दिया है। आजादी की आधी सदी गुजरने तथा वर्ष 1993 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जनजाति वर्ष घोषित करने के बाद भी जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त न किया जाना न केवल दुखद है, अपितु निराशाजनक भी है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश की जनजातीय जनसंख्या 1 करोड़ 54 लाख है, जो कुल जनसंख्या का 23.27 प्रतिशत है। भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से भी देखा जाए तो लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र आदिवासी उपयोजना के क्षेत्र में आता है, उपर्युक्त अंक गणित इस बात का सबल प्रमाण है कि प्रदेश के सामाजिक–आर्थिक विकास का चित्र तब तक अधूरा है, जब तक कि जनजातीय क्षेत्रों के सामाजिक–आर्थिक विकास पर पूरी तरह तवज्जो नहीं दी जाती।

जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक विकास के मानदण्डों को सुनिश्चित करने के पूर्व आधुनिक भारत के स्वप्नदृष्टा, निर्माता, चिंतक तथा प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सुझाए गए पांच सूत्रों को आधार रूप में स्वीकारना होगा।

- जनजातियों पर कुछ भी थोपा अथवा आरोपित न किया जाए।
- उनकी कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में हस्तक्षेप न किया जाए।
- जल, जंगल और जमीन पर उनके अधिकारों को अक्षुण्ण रखते हुए अधिकारों की रक्षा की जाए।
- जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन का कार्य उन्हीं लोगों के हाथों में हो।
- सभ्य कहे जाने वाले समुदाय के लोगों को जनजातीय क्षेत्रों में न भेजा जाए।

पंडित नेहरू द्वारा संस्थापित, प्रतिष्ठित तथा शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुरूप ही जनजातीय क्षेत्रों में सामजिक–आर्थिक विकास का तानाबाना बुनकर विकास का मार्ग न केवल प्रशस्त किया जा सकता है अपितु सही मायनों में आलौकित भी हो सकता है।

21वीं शताब्दी की पहली सीढ़ी पर खड़े इस सनातन राष्ट्र के समक्ष जब वैश्वीकरण का विश्वकेतु अपने तीव्र प्रहार से हमें चकित और स्तम्भित कर रहा है तब विकास का विषय निश्चित ही एक चुनौती है। व्यावसायीकरण से लकदक और थोपी हुई मानसिकता के इस कठिन दौर में जब आस्थाएं, निष्ठाएं, सौन्दर्य, मूल्य, प्रतीक और प्रतिमान सब कुछ बिकने के लिए तैयार हैं तब जनजातीय क्षेत्रों में विकास का माडल और स्ट्रक्चर पर्याप्त चिंतन का विषय है।

वैदिक युग से ही भारत के सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास में पंचायतों की भूमिका अहम् रही है। वर्तमान समय में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था का जो नया स्वरूप सामने आया है वह एक सुखद शुरुआत है। मध्यप्रदेश के निवासियों के लिए यह गौरव तथा सौभाग्य का विषय है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण को देश में प्रारंभ करने वाला वह प्रथम राज्य है। मध्य प्रदेश शासन ने 29 दिसम्बर, 1993 को मध्य प्रदेश विधान मण्डल में 'मध्य प्रदेश पंचायत राज विधेयक 1993' प्रस्तुत किया। 30 दिसम्बर, 1993 को विधानसभा द्वारा इसे पारित किया गया। 19 जनवरी, 1994 को 'मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग' का गठन किया गया। 25 जनवरी, 1994 को मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम संस्थापित किया गया। 15 अप्रैल, 1994 को पंचायत निर्वाचन संबंधी अधिसूचना जारी की गई। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में 30,992 ग्राम पंचायतों में से 9,050 सरपंचों के पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखे गए। 459 जनपद अध्यक्षों में से 147 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए।

23 मई, 30 मई तथा 7 जून 1994 को तीन चरणों में पंचायतों के निर्वाचन करवाए गए। 2 अक्टूबर, 1994 को प्रदेश में नवीन पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया।

आज हम एक ऐसे युग में जीवनयापन कर रहे हैं जिसमें आर्थिक शक्तियां और आर्थिक विचार समाज व्यवस्था पर पूर्णतः आच्छादित हो चुके हैं। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी सीमाएं होती हैं, राष्ट्र की ये सीमाएं परम्परा, आदर्श,

* सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर

प्राकृतिक परिस्थितियों तथा उसकी अपनी निजी संस्कृति से प्रभावित होती हैं। अतः भारत को भी अपनी इन मर्यादाओं के अनुरूप अपनी अर्थनीति सुनिश्चित करनी होगी।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 'छ' पंचायतों के अधिकारों व शक्तियों से संबंधित

व्यावसायीकरण से लकदक और थोपी हुई मानसिकता के इस कठिन दौर में जब आस्थाएं, निष्ठाएं, सौन्दर्य, मूल्य, प्रतीक और प्रतिमान सब कुछ बिकने के लिए तैयार हैं तब जनजातीय क्षेत्रों में विकास का माडल और स्ट्रक्चर पर्याप्त चिंतन का विषय है।

हैं। इसी प्रकार 73वें संविधान संशोधन की 11वीं अनुसूची में 29 कार्यों को सम्मिलित किया गया जिसमें कृषि, सामाजिक वानिकी, लघु और कुटीर उद्योग, पेयजल, सड़क, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी निवारण कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई, परिवार कल्याण कार्यक्रम इत्यादि प्रमुख हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 'एच' और 243 'आई' में स्पष्ट प्रावधान है कि पंचायतों को कर लगाने और वसूलने का अधिकार होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत इस बात का भी स्पष्ट प्रावधान है कि केन्द्रीय वित्त आयोग राष्ट्रपति को पंचायती राज व्यवस्थाओं के वित्तीय आधारों को सक्षम बनाने हेतु अपनी सिफारिशें देगा। संविधान के उपर्युक्त प्रावधान के प्रकाश में ही जुलाई, 1998 में गठित ग्यारहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डा. ए.एम. खुसरो ने अपनी अनुशंसाएं जुलाई, 2000 में सरकार को प्रस्तुत की हैं, ग्यारहवें वित्त आयोग की ये सिफारशें सन् 2000–2005 के लिए लागू की जानी हैं।

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के प्रकाश में पंचायतें सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास की दृष्टि से निर्णायक भूमिका के निर्वहन की स्थिति में आ गई हैं। ग्यारहवें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं –

- राज्य वित्त आयोगों का समयोचित गठन किया जाए तथा राज्य वित्त आयोग अपने प्रतिवेदनों में पंचायत वित्त विषय पर एक विशिष्ट तथा पृथक अध्याय सम्मिलित करें।
- राज्य विधान मण्डल राज्य वित्त आयोग के संगठन में अर्थशास्त्र, विधि, लोक प्रशासन व लोक वित्त के विशेषज्ञों को सम्मिलित करें।
- भूमि या कृषि फार्म की आय से प्राप्त धन का प्रयोग नागरिक सुविधाओं में सुधार तथा सुदृढ़ीकरण के लिए किया जाए। सम्पत्ति कर और गृह कर की भी पूरी वसूली हो।
- राज्य के वर्तमान लेखा शीर्षों की समीक्षा की जाए। पंचायतों का लेखा नियंत्रण और पर्यवेक्षण के कार्य का दायित्व सी.ए.जी. को सौंपना चाहिए।
- पंचायतों के लेखों तथा उनके रख–रखाव की सिफारिश भी आयोग द्वारा की गई है।
- पंचायतों के वित्त पोषण के आकड़ा आधार को जिले, राज्य और केन्द्र स्तर पर कम्प्यूटर के माध्यम से जोड़कर विकसित किया जाना चाहिए।
- पंचायतों को हस्तांतरित अनुदान ग्रामीण जनसंख्या 40 प्रतिशत, विकेन्द्रीकरण सूचकांक 20 प्रतिशत, प्रति व्यक्ति उच्च आय का अन्तर 20 प्रतिशत, स्थानीय निकायों को राजस्व प्रयास 10 प्रतिशत और भौगोलिक क्षेत्र 10 प्रतिशत पर आधारित है।

इस प्रकार 1600 करोड़ तथा पांच वर्षों में 2000–2005 में 8,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने की अनुशंसा आयोग ने की है।

स्वतंत्रता–प्राप्ति के पांच दशकों के बाद पहली बार केन्द्रीय वित्त आयोग ने पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रयास किया है।

आर्थिक क्षेत्र में पंचायतों की भूमिका वास्तव में रेखांकित करने योग्य हो इस हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 'क' में संशोधन की आवश्यकता है। जिससे भ्रम की स्थिति निर्मित न हो। द्वितीय सत्ता का वास्तविक विकेन्द्रीकरण तभी संभव होगा जबकि पंचायतों के अपने स्वतंत्र साधन हों।

जहां तक सामाजिक परिवर्तन के संकेतों का प्रश्न है वहां पंचायतों को इस दिशा में अपना ध्यान केंद्रित करना होगा :

(अ) मानव क्षमता का विकास :

(i) तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल का विकास करना होगा।

(ii) स्कूली शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान देना होगा।

(iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम पर भी अपनी शक्ति लगानी होगी।

(iv) स्त्रियों की स्थिति में सुधार की दृष्टि से पंचायतों को समुदाय के स्तर पर किए जाने वाले कार्यकलापों में स्त्रियों की भागीदारी को न केवल बढ़ाना होगा अपितु समुचित मूल्यांकन भी करना होगा।

(ब) स्थानीय संस्थापरक क्षमता :

(i) लाभ लेने वालों की समिति।

(ii) ग्राम सभा की बैठकों की संख्या।

(iii) ग्राम सभा की बैठकों में स्त्रियों की उपस्थिति तथा उनकी सक्रिय भागीदारी प्रमुख संकेत हो सकते हैं।

भारत के पास समाज के संगठन के क्षेत्र में अनुभवों का विशाल भण्डार है। इसने युगों से एकनिष्ठता से ऐसे सामाजिक परिवर्तनों की दिशा में कार्य किया है, जिनसे वह एक ऐसे समाज का निर्माण कर सके जिसका आधार मानवीय गुणों पर हो।

जब जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी, बेकारी और भुखमरी का बोलबाला हो और शिक्षा अक्षरों की लम्बी दीपमाला नहीं रच पाई हो, ऐसी स्थिति में एक व्यापक डर, संदेह और छल से उपजी निराशा के इस दौर में अभी बहुत कुछ करना शेष है और बहुत लम्बा रास्ता तय करने को पड़ा है। अभी तक जो थोड़ी बहुत सफलताएं हमने प्राप्त की हैं उनसे न तो हमें संतुष्ट होना चाहिए और न ही बहुत ज्यादा खुश।

दृढ़ इच्छा–शक्ति, आत्म–विश्वास और हिम्मत से जनजातीय क्षेत्रों में पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्यों को यदि अंजाम दिया जाए तो इस क्षेत्र की पंचायतें स्वर्णिम इतिहास रचने में सक्षम होंगी।

'पुरुषार्थ' 73 स्नेह नगर,
मंदसौर–458001 (म.प्र.)

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना : एक समीक्षा

देवकृष्ण व्यास

"भारत गांवों में बसता है, जब तक गांवों का विकास नहीं होता, तब तक भारत का विकास संभव नहीं।" राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इस कथन से प्रेरणा लेकर स्वतंत्रता के बाद केन्द्र और राज्य सरकारों ने गांवों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण जन–जीवन में सुधार के प्रयास निरन्तर किए जा रहे हैं। किन्तु अफसोस है कि करोड़ों ग्रामवासी आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। सरकार अब तक विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत इन सुविधाओं को उपलब्ध करने के लिए प्रयत्नशील थी। इस श्रृंखला में अब एक नई योजना चलाई जा रही है। इस नई योजना का नाम है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसके जरिये सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में ग्रामीण स्तर पर स्थायी मानव संसाधन विकास की रूपरेखा तैयार की गई है। इसके दो प्रमुख घटक हैं – 'ग्रामीण सड़कें' और प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण आवास, पेयजल तथा पोषण सहित 'ग्रामोदय कार्यक्रम'। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2000–2001 में 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण सड़कें

ग्रामीण विकास में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह भी अनुभव किया जा रहा है कि गरीबी निवारण कार्यक्रम में सड़कें अहम भूमिका अदा कर सकती हैं। यूं तो स्वतंत्रता से पूर्व भी अंग्रेजों ने सड़कों का निर्माण किया किन्तु ग्रामीण अंचलों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद

केन्द्र और राज्य सरकारों ने गांवों को शहरों से जोड़ने के कार्य को प्राथमिकता दी। विगत वर्षों में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये गांवों में सड़कों का विकास यद्यपि बड़े पैमाने पर किया गया किन्तु अभी भी देश का 40 प्रतिशत आवासीय क्षेत्र बारहमासी सड़कों से जुड़ा हुआ नहीं है। 15 अगस्त 2000 को प्रधानमंत्री ने 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' की घोषणा की। इस केन्द्रीय योजना का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में 1,000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव को और सन 2007 तक 500 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव को अच्छी बारहमासी सड़क से जोड़ना है। निश्चय ही, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शत प्रतिशत संपर्क सुविधा उपलब्ध करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। ग्रामीण सड़कों के बिना ग्रामवासियों को समाज और अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से नहीं जोड़ा जा सकता। दुर्भाग्य से, देश के आधे से अधिक गांवों में सड़कें नहीं हैं। ये गांव अलगाव तथा बाजार पहुंच के अभाव से अनेक असुविधाओं को झेलते हैं। सड़कों के निर्माण से गांव के लोगों के चहुंमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए डीजल उपकर का 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। अनुमान है कि इससे वित्त वर्ष 2000–2001 में 2500 करोड़ रुपये उपलब्ध हो जाएंगे। 2001–2002 के बजट में भी इसके लिए 2500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सरकार इस कार्यक्रम से दसवीं योजना के अंत तक देश के सभी गांवों से सड़क संपर्क कायम करना चाहती है। पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में कम से कम 250 तक की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम के अनुसार नई सड़कों के निर्माण के साथ–साथ पुरानी सड़कों के रख–रखाव और सुधार पर भी ध्यान दिया जाएगा। केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण और रख–रखाव के लिए उपयुक्त तकनीक विकसित की है। इस तकनीक के आधार पर यदि निर्माण कार्य किया जाएगा तो बेहतर होगा। ग्रामीण सड़कों की सतह भी ठीक नहीं होती। शुष्क मौसम में इन पर वाहन चलने से धूल उड़ती है। धूल का उड़ना रोकने के लिए बहुत कम लागत वाली तकनीकें उपलब्ध हैं।

कोई भी योजना कितनी ही अच्छी क्यों न हो, उसकी सफलता निर्भर करती है इस बात पर कि अमल किस ढंग से किया जाता है। सड़क निर्माण का कार्य उन एजेन्सियों को ही दिया जाएगा जो सभी जिलों में पहले से कार्यरत हों और इस काम के लिए पूरी तरह सक्षम भी हों। प्रत्येक राज्य अथवा केन्द्रशासित क्षेत्र की सरकार इन एजेन्सियों का चयन करेगी। सभी सम्बन्धित जिलों में कार्यक्रम क्रियान्वयन घटक गठित किया जाएगा जिसमें तकनीकी ज्ञान वाले सक्षम व्यक्तियों को लिया जाएगा। जिला स्तर पर ही कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी और राज्य सरकारों द्वारा जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों को इस कार्य के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध की जाएगी। सम्बंधित क्षेत्र के विधायक और सांसद के विचारों और सुझावों को ध्यान में रखकर ही योजना को अन्तिम रूप दिया जाएगा। पता नहीं पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की क्यों उपेक्षा की गई है। जब इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाई गई ग्रामीण सड़कों के रख–रखाव की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं को सौंपी गई है तब यह भी जरूरी है कि योजना को अन्तिम रूप देते समय इनके प्रतिनिधियों के विचारों और सुझावों को ध्यान में रखा जाए।

15 अगस्त 2000 को प्रधानमंत्री ने 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' की घोषणा की। इस केन्द्रीय योजना का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में 1,000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव को और सन् 2007 तक 500 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव को अच्छी बारहमासी सड़क से जोड़ना है।

देखा गया है कि आम तौर पर जो सड़कें बनाई जाती हैं वे बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। इंजीनियरों और ठेकेदारों की सांठ–गांठ जगजाहिर है। ग्रामीण सड़क योजना के अनुसार कार्यक्रम क्रियान्वयन घटक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इस बात की जांच करे कि जो काम किया गया है वह निर्धारित शर्तों के मुताबिक हुआ है या नहीं। साथ ही उसे यह भी देखना होगा कि निर्माण–कार्य में जो माल लगाया गया है वह उचित किस्म का था अथवा नहीं। यद्यपि राज्य स्तरीय एजेन्सी निर्माण कार्य की समय–समय पर देख–रेख करेगी किन्तु फिर भी कोई गड़बड़ न हो इसकी जांच ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त निष्पक्ष निगरानी समिति करेगी।

सड़क निर्माण के लिए जो ठेके दिए जाएंगे उनमें कुछ शर्तें अच्छी रखी गई हैं। एक तो यह कि ठेकेदार को यह गारंटी देनी होगी कि निर्माण के बाद पांच साल तक सड़क अच्छी हालत में रहेगी और उसमें किसी बड़ी मरम्मत की जरूरत न होगी। दूसरी शर्त पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठेकेदार को सड़क के दोनों ओर फलदार तथा अन्य उपयुक्त वृक्ष लगाने होंगे। यह भी स्वागतयोग्य है कि ग्रामीण सड़कों के रख–रखाव में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे।

ग्रामीण आवास

आवास मानव–जीवन के लिए बुनियादी आवश्यकता है, इस बात को ध्यान में रखकर ही ग्रामीण आवास को प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित किया गया है। 1991 की जनगणना के अनुसार 137.20 लाख ग्रामीण परिवारों के पास आवासों की कमी थी। अनुमान लगाया गया है कि 1991–2002 के दौरान 8.9 लाख आवासहीनता की वार्षिक वृद्धि की दर से बढ़ने वाली आबादी को आवास उपलब्ध कराने के लिए अलग से 107.50 लाख आवासों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार सन् 2002 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को आवास प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुल 244.70 लाख आवासों को बनाने अथवा सुधारने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की कमी दूर करने में इन्दिरा आवास योजना ने निस्संदेह उल्लेखनीय कार्य किया

है। 1998 में सरकार ने राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति की घोषणा की जिसका उद्देश्य 'सभी के लिए आवास' मुहैया कराना है। तदनुसार एक कार्य–योजना तैयार की गई। इस कार्य–योजना में शामिल घटक हैं – इन्दिरा आवास योजना में खराब कच्चे मकानों की मरम्मत के लिए प्रावधान, ग्रामीण आवास योजनाओं के अंतर्गत आवंटन के मानदंड में परिवर्तन, ग्रामीण आवास के लिए ऋण–सह–सब्सिडी योजना, ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास के लिए अभिनव चरण, ग्रामीण निर्मिति केन्द्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 'हडको' को दिए जाने वाले इक्विटी सहयोग में वृद्धि, समग्र आवास योजना और ग्रामीण आवास एवं पर्यावरण राष्ट्रीय मिशन।

इस कार्य–योजना का उद्देश्य नौवीं योजना के अंत तक सारी आश्रयहीनता को समाप्त कर सबको आवास प्रदान करना है। साथ ही दसवीं योजना के अंत तक सभी बेकार कच्चे मकानों को पक्का/अर्द्ध पक्का मकानों में परिवर्तित करना है। कार्य–योजना को कार्यान्वित करने के लिए 2000–2001 के दौरान ग्रामीण आवास के अंतर्गत 1,710 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवास के लिए जो नई पहल की गई है उसके लिए केन्द्र ने चालू साल के लिए 375 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें से अब तक राज्यों को 185 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है।

प्रायः यह शिकायत सुनने को मिलती है कि इन योजनाओं के अन्तर्गत जो मकान बनाए जाते हैं उनमें घटिया किस्म की सामग्री इस्तेमाल की जाती है। इसकी रोकथाम के लिए निर्माण के समय उचित निगरानी रखनी होगी। ग्राम पंचायतों को भी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो मकान बनाए जाएं उनमें यथासंभव स्थानीय सामग्री का ही उपयोग हो। गुजरात के भूकंप से सबक लेकर ऐसे मकान बनाए जाएं जिन पर भूकंप का असर न हो। ग्रामीण आवास कार्य योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हर साल लगभग 25 लाख मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है। आशा की जानी चाहिए कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी संभव कदम उठाए जाएंगे।

ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम

स्वतंत्रता–प्राप्ति के पांच दशक बाद भी देश के करोड़ों ग्रामवासी जीवन की बुनियादी आवश्यकता स्वच्छ पेयजल से वंचित हैं। यद्यपि केन्द्र और राज्य सरकारों ने इस समस्या के समाधान के लिए कई कदम उठाए हैं किन्तु स्थिति अभी भी काफी गंभीर है। सरकार ने शासन के राष्ट्रीय एजेंडे में अगले पांच वर्षों के दौरान सभी बस्तियों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के प्रति अपनी वचनबद्धता प्रकट की है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अक्तूबर 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति विभाग नाम से एक नया विभाग गठित किया गया है। वर्ष 2000–2001 के बजट में ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए 1,960 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया जो इसके पूर्व वर्ष से 160 करोड़ रुपये अधिक था। सभी ग्रामीण बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना – ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के रूप में 2000–2001 के दौरान एक नई पहल की गई है। इस कार्यक्रम के लिए न्यूनतम 375 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के लिए किए गए कुल आवंटन में से अपनी प्राथमिकता के मुताबिक और धनराशि आवंटित कर सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति के कार्य में एक बाधा यह है कि इसमें लोगों की भागीदारी नहीं है। बिना जनता के सहयोग के कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती।

ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत रूप देने के लिए राज्य सरकारों ने प्रायोगिक आधार पर क्षेत्रवार सुधार परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 58 जिलों को चुना है। अब तक 55 परियोजनाओं को क्रियान्वयन के लिए मंजूरी दी जा चुकी है और कुल लागत को पूरा करने के लिए 224 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। कुल लागत 1,610 करोड़ रुपये आने का अनुमान है। 1999–2000 के दौरान कुल 74,184 बस्तियों में इस कार्यक्रम का लाभ पहुंचाया गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति के कार्य में एक बाधा यह है कि इसमें लोगों की भागीदारी नहीं है। बिना जनता के सहयोग के कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। पंचायतें जल आपूर्ति योजनाओं पर निगरानी रख सकती हैं और हैंड पम्पों की मरम्मत जैसे छोटे–मोटे कामों को स्वयं करा सकती हैं। भू–जल स्रोतों का जलस्तर गिरने की समस्या भी चिन्ताजनक है। जल संरक्षण के पारम्परिक उपायों को अपनाने की आवश्यकता है।

ग्रामीण सफाई कार्यक्रम

अशिक्षा और गरीबी के कारण गांवों में गंदगी का बोलबाला है। पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध न होने के कारण बीमारियों का प्रकोप बना रहता है। केन्द्र सरकार ने प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में शुरू किया। 1999 में इसमें संशोधन करके पुनर्गठित केन्द्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ग्रामीण विद्यालय में सफाई को इस कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा बनाया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को व्यापक स्तर पर स्वच्छता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

जिले की विशेष जरूरतों के अनुरूप समग्र सफाई परियोजना तैयार की गई है। अब तक 15 राज्यों से 46 परियोजनाओं के प्रस्ताव मिल चुके हैं जिनके लिए लगभग 504.46 करोड़ रुपये की लागत राशि का अनुमोदन किया जा चुका है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत व्यक्तिगत परिवार के शौचालय के निर्माण, महिलाओं के लिए स्वच्छ परिसरों का निर्माण, विद्यालय स्वच्छता, नालियों/कचरे के गड्ढों और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सहायता दी जाती

(शेष पृष्ठ 25 पर)

अलग रहने का सुख

जय प्रकाश 'चन्द्र'

कस्बा चन्दनपुर के बाजार में शिवदयाल टेलरिंग की दुकान चलाते थे। वे अधेड़ आयु के आदमी थे और निजी मकान में पत्नी मालती तथा इकलौते युवा पुत्र मुकेश के साथ रहते थे। वे सीधे-सादे और परिश्रमी व्यक्ति थे। उनका लाड़ला बेटा स्नातक करके सौभाग्यवश प्रथम प्रयास में ही सरकारी सर्विस पा गया, तो उनकी खुशी का पारावार न रहा। उन्होंने मोहल्ले भर में मिठाई बांटी। अगले सप्ताह उनके एक रिश्तेदार ने मुकेश के लिए निकटवर्ती शहर के निवासी इंजीनियर की बेटी के रिश्ते की बात चलाई तो वे सपत्नी जाकर लड़की पसंद कर आए। आनन फानन में मुकेश का विवाह श्रीलेखा के साथ धूमधाम से संपन्न हो गया। सुंदर और आकर्षक दुल्हन का प्यार पाकर मुकेश खुशी से भर उठा। उनके दिन चांदी के थे और रातें कंचन सम।

समय का पंछी उड़ने लगा। श्रीलेखा नाजों में पली युवती थी। अतः धीरे-धीरे गृह कार्य का भार उसके नाजुक कंधों पर आया, तो वह अनमनी और गुमसुम-सी रहने लगी। मुकेश उससे उसका कारण पूछता, तो वह विद्रूप-भरी मुसकान के साथ बात टाल देती।

धीरे-धीरे यह होने लगा कि घर के छोटे-मोटे काम श्रीलेखा पति से करवाने लगी। सरल ह्रदय मुकेश कभी इनकार न करता। हालांकि श्रीलेखा की सास भी उसके साथ घरेलू कामकाज में मदद करती, फिर भी उसका मुंह फूला रहता। शनैः शनैः उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। अब वह सीधे मुंह किसी से बात न करती। मुकेश ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। मालती भी बुरा न मानती।

एक दिन श्रीलेखा को बुखार आ गया। मालती दवा ले आई। दोपहर बाद उसका बुखार उतर गया। घर के काम अकेली मालती निबटाती रही।

शाम को मुकेश दफ्तर से लौटा, तो उसने किचन रूम में बीवी की जगह मां को खटर-पटर करते देखा। बेटे के पूछने पर मां ने बताया, 'मुकेश, बहू अस्वस्थ हो गई है।' रात गुजर गई। सुबह श्रीलेखा उठी नहीं, बिस्तर पर पड़ी रही। मुकेश प्रातः भ्रमण से लौटा, तो उसने मां को नाश्ता तैयार करते पाया। उससे यह सहन नहीं हुआ।

उसने अपने कमरे में जाकर पत्नी से असंतुष्ट स्वर में कहा, 'श्रीलेखा, अब तुम स्वस्थ हो। तुम्हें गृहकार्य करना चाहिए। तुम्हारे होते मां काम करें, क्या यह अच्छी बात है।' पति की बात उसे चुभ गई। वह गुस्से में बोली, 'तुम नौकर रख लो। मैं थक जाती हूं। मेरे से काम नहीं होता।'

पत्नी की बात सुनकर मुकेश को क्रोध आ गया, किन्तु उसने संयत स्वर में कहा, 'हमारे घर में मात्र चार प्राणी हैं। भला हमें नौकर रखने की क्या आवश्यकता है? वैसे भी विश्वास पात्र नौकर आजकल मिलते कहां हैं। माइंड मत करना। सच तो यह है कि तुम अकेली तो सारे काम नहीं करती, मां भी बराबर तुम्हारे साथ रोजाना काम करती हैं। तुम निर्बल नहीं हो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझकर घर के कामों से जी नहीं चुराना चाहिए।'

पति की बात सुनकर श्रीलेखा के तनबदन में आग लग गई। वह तमक-कर बोली, 'मुझे नसीहत नहीं चाहिए। अब तुम स्पष्ट सुन लो कि मैं संयुक्त परिवार में नहीं रह सकती। घुटन महसूस होती है मुझे। मेरे भी कुछ अरमान और सपने हैं, जो सास-ससुर के साथ रहकर कभी पूरे नहीं होंगे। यदि तुम चाहते हो कि मैं इस घर में रहूं, तो तुम्हें अपने माता-पिता से अलग रहना पड़ेगा।'

मुकेश पर मानो वज्रपात हो गया। वह उसे डांटकर बोला, 'तुम शिक्षित और समझदार होकर भी कैसी बेवकूफाना बातें कर रही हो,? मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी पत्नी इस कदर स्वार्थी निकलेगी। जरा सोचो, यदि हम अलग हो जाएंगे, तो उनकी सेवा और देखभाल भला कौन करेगा? क्या इसी दिन के वास्ते उन्होंने मेरी शादी की थी? मैं तुमसे कदापि सहमत नहीं हूं।'

उसकी बात का श्रीलेखा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह भौंहें चढ़ाए, गरदन घुमाए बैठी रही। उसका खराब मूड देखकर मुकेश ने सुबह-सुबह अधिक कहा-सुनी करना ठीक नहीं समझा और उसने कपड़े चेंज किए, साइकिल पर सवार हुआ और आफिस के लिए रवाना हो गया।

शाम को वह ड्यूटी से लौटा, तो मां ने बताया कि श्रीलेखा ने अपने मायके फोन करके अपने डैडी को बुलाया था और वे कुछ दिन के लिए बेटी को घर लिवा गए। यह सुन कर मुकेश हतप्रभ रह गया।

कई माह व्यतीत हो गए, लेकिन श्रीलेखा ने ससुराल लौटने का नाम नहीं लिया। उसका बदलता रूप देखकर शिवदयाल और मालती चिंतित थे, पर मुकेश को पत्नी की परवाह नहीं थी। वह जिद्दी बीवी के मायके से न आने का कारण जानता था, इसलिए हंसी-खुशी माता-पिता के साथ समय व्यतीत करता रहा।

एक शाम मालती ने पुत्र के धुले वस्त्रों पर प्रेस करते हुए कहा, 'मुकेश, यदि किसी कारण-वश बहू रूठकर मायके में जा बैठी हो, तो उसे तू ही जाकर मना ले और लिवा ला!'

इस पर वह गंभीर होकर बोला, 'मां, तुम्हारी बहू देखने में जितनी भोली लगती है, वास्तव में उतनी सीधी है नहीं' 'अरे! तू ऐसा क्यों कह रहा है? वह नादान है। अभी उसे घर-गृहस्थी का अनुभव ही कहां है। वक्त

आने पर सब समझ जाएगी।' मालती ने प्रेस किए वस्त्र को तहाकर कहा।

मुकेश गहरी सांस छोड़कर बोला, 'मां, तुम्हें नहीं मालूम असल में वह जिद पर अड़ी है कि वह तुम्हारे साथ नहीं निबाहेगी। वह कामचोर और स्वार्थी औरत अपना चौका–चूल्हा अलग करके आजाद रहना चाहती है, पर मैं इसके खिलाफ हूं।'

मालती को बहू के विचार जानकर आघात लगा था। समझदार पुत्र की बात सुनकर कुछ देर वह मौन रही, फिर दिल पर पत्थर रखकर उसने मुस्कराते हुए कहा, 'अगर यह बात है, तो इसमें नई बात क्या है! आजकल अधिकांश बेटे–बहू अलग रह रहे हैं बेटा! यदि वह हमसे अलग रहने की इच्छुक है, तो इसमें गलत क्या है?'

मां की बात सुनकर मुकेश को झटका–सा लगा। उसने पीड़ा भरे स्वर में कहा, 'मां, तुमने मेरी परवरिश की। मेरी खातिर अनेक कष्ट उठाए और त्याग किया। अब क्या हमारा यह कर्त्तव्य नहीं बनता कि हम पकी आयु में तुम दोनों की सेवा सुश्रूषा करें, तुम्हारा सहारा बनें? नहीं मां, मेरे से यह सहन नहीं होगा। मैं उसके मन की होने नहीं दूंगा।'

'ऐसा नहीं कहते बेटा!' मालती ने टोका।

'मैं उसे लिवाकर कभी नहीं लाऊंगा। वह अपने मायके में खुशी से रहे। मुझे भी यहां कोई कमी नहीं। मां, अब उसके बारे में कुछ कहकर मुझे परेशान मत करना।' मुकेश ने निर्णायक स्वर में कहा। शिवदयाल जो एक कोने में किसी कपड़े की कटिंग कर रहे थे, पत्नी तथा पुत्र की गंभीर वार्ता सुनकर काम छोड़कर वहां आ गए और मुकेश को समझाते हुए बोले, 'मेरे बच्चे, संयुक्त परिवार हमारे देश की गौरवशाली परंपरा रही है, लेकिन अब यह परंपरा दुर्भाग्यवश तेजी से टूट रही है। परिवार बिखर रहे हैं और इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। निजी स्वतंत्रता के दीवाने बेटे–बहू यह भूल जाते हैं कि एक दिन उन्हें भी वृद्ध होना है। वे अलग रहने की अंधी धुन में यह भूल जाते हैं कि अलग रहने के दुःख भी होते हैं। खैर! बदले हुए हालात में तुम्हें अपनी मां की बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। युवा बहू लंबे समय तक मायके में पड़ी रहे, यह उचित नहीं होगा, अतएव तुम आज ही ससुराल जाकर उसे खुशी–खुशी ले आओ। हम अपने काम स्वयं निबटा लेंगे। हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं लेकिन साथ ही हम हर कीमत पर तुम दोनों को सुखी देखना चाहते हैं। व्यर्थ की कलह से बचने का एक मात्र यही उपाय है।'

माता–पिता की बात मानकर अगले दिन मुकेश बुझे मन से ससुराल गया और रूठी पत्नी को घर लिवा आया। कुछ देर बाद मालती ने पति की मदद से पुत्र के विवाह में मिला सारा सामान निकाल कर बेटा–बहू को सौंप दिया। उस दिन से आरामतलब श्रीलेखा खुश रहने लगी। वह दो–ढाई घंटे में अपना काम निबटाकर पड़ी–पड़ी उपन्यास पढ़ती या निठल्ली और चुगलखोर पड़ौसन लता के साथ गपशप करती रहती। वह अपने कमरे की छोटी–सी दुनिया में सिमट कर खुश थी, पर मुकेश को कमरे में घुटन महसूस होती। वह शाम को भोजन के बाद रोजाना दो–तीन घंटे मां–बाप के साथ हंस–बोलकर व्यतीत करता। उनके सुख–दुःख में शरीक होता। साथ ही प्रतिमाह वेतन में से कुछ रुपये पिता के हाथ पर अवश्य रखता।

दिन गुजरते गए। वर्षा का मौसम आ

गया। उस दिन सुबह से ही आकाश में काले मेघ छाए हुए थे। रुक–रुककर वर्षा हो रही थी। दोपहर के समय श्रीलेखा सज धजकर अपनी सहेली लता के साथ शॉपिंग करने बाजार गई। सड़क पार करते समय असावधानीवश वह अचानक तेजी से आती टाटासूमो से टकराकर चीख पड़ी और घायल होकर सड़क पर गिरकर अचेत हो गई। लता ने घबराकर हल्ला मचाया। कई आदमी दौड़ पड़े। उन्होंने जख्मी श्रीलेखा को थ्रीव्हीलर में डाला और अस्पताल पहुंचाया।

बहू के एक्सीडेंट की खबर मिलते ही एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने गए शिवदयाल व मालती घबराए हुए बेटे को फोन पर सूचना देने के बाद अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी वार्ड में श्रीलेखा का उपचार चल रहा था। डाक्टर ने उन्हें बताया कि मरीज की हालत गंभीर है। उसे रक्त देना होगा। उसका ब्लड–ग्रुप ओ पॉजिटिव का खून मुकेश को तमाम कोशिशों के बावजूद ब्लड बैंक से उपलब्ध न हो सका। इससे वे तीनों चिंतित हो गए। संयोगवश मालती का ब्लड–ग्रुप श्रीलेखा के ग्रूप से मिलता था, सो वह घायल बहू के प्राण बचाने के लिए रक्तदान करने को तैयार हो गई। डाक्टर ने उसका रक्त लेकर श्रीलेखा को चढ़ाया। जब हल्की कराह के साथ उसने पलकें खोलीं, तो खुशी के अश्रु पोंछती मालती प्रसाद चढ़ाने मंदिर चली गईं।

पांच दिन बाद पत्नी को अस्पताल से डिस्चार्ज करा के मुकेश घर लाया, तो वह पति का हाथ स्पर्श करके भयाकुल स्वर में बोली, 'उफ! बड़ा भयानक हादसा था वह। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे प्राण बच जाएंगे।'

मुकेश ने भरे गले से पत्नी को बताया, 'तुम्हें बचाने का श्रेय मेरी मां को जाता है।'

श्रीलेखा चकित स्वर में बोली, 'वह कैसे डीयर? मैं तुम्हारा आशय समझी नहीं। मां जी तो वहां एक भी दिन.........'

'तुम्हारे ब्लड–ग्रुप का खून कहीं न मिला, तो मां ने तुम्हें अपना रक्त दिया था।' मुकेश ने रहस्योद्‌घाटन किया। उसी समय प्रसाद लेकर मालती ने कमरे में प्रवेश किया और पूछा, 'हमारी बहूरानी स्वस्थ तो है न बेटे?'

त्यागमयी सास को देखकर श्रीलेखा को अपने किए पर गहन पश्चाताप होने लगा। उसकी बड़ी–बड़ी आंखों से आंसू बहने लगे। मालती ने उसके सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरा, तो श्रीलेखा ने उसके चरण पकड़ लिए और भरे गले से बोली, 'मां जी मैं लता के उकसाने पर अलग रहने की व्यर्थ जिद कर बैठी। अपने घमंड में चूर होकर मैंने आपसे बोलचाल बंद कर दी, जबकि आपने दया कर अपना रक्त देकर मुझे नवजीवन प्रदान किया। मैं सदैव आप की ऋणी रहूंगी। अब मैं आपके व पिताजी के साथ रहकर अपनी भूल का प्रायश्चित करूंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए।'

बहू की बात सुनकर मालती गदगद हो उठीं। उन्होंने श्रीलेखा को गले लगाकर बलाएं लीं। तभी दरवाजे पर खड़े शिवदयाल हंसकर बोले, 'आज शुभ दिन है!'

मुकेश की भी आंखें खुशी से भर आईं।

दो दिन बाद मुकेश कुछ विलंब से उठा। वह ब्रश करता हुआ मां से मिलने गया तो देखा श्रीलेखा मां की किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी और किसी बात पर सास–बहू दोनों खूब हंस रही थीं। वह मुस्कराने लगा। आंगन में गुलमोहर के दरख्त पर बहुत दिनों बाद कोयल कूक रही थी।

905, अछनेरा, जिला आगरा (उ.प्र.)

(पृष्ठ 5 का शेष) **पंचायत में महिलाएं......**

जंगलों का नाश गांव के लोगों की मिलीभगत से

श्रीमती भानुदेवी वार्डपंच ग्राम पंचायत शीशवी पं.सं. गिर्वा शिकायत के लहजे में कहती है कि "पेड़ों के अंधाधुंध कटने से जंगल कम हो रहे हैं और इसी कारण वर्षा नहीं हो रही है, यही पानी के संकट का बड़ा कारण है। लेकिन इसकी शिकायत करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पेड़ काटने के लिए जिम्मेदार लोग सरकारी अफसरों से मिले हुए रहते हैं।"

परिवार को छोटा रखने की सलाह

वार्डपंच श्रीमती प्रीतिबाला धाबाई ग्राम पंचायत सीसीरमा पं.स. गिर्वा कहती है कि "आंगनवाड़ी का काम करते हुए उन्हें बहुत कड़वे–मीठे अनुभव हुए हैं। आजकल गांवों की औरतें भी गर्भ में शिशु की जांच कराने लगी हैं। मैं उन्हें गर्भपात की सलाह कभी नहीं देती हूं। उन्हें मैं समझाती हूं कि कम बच्चे रखना परिवार की समृद्धि है उन्हें परिवार को छोटा रखने के उपाय बताती हूं। अब मेरी बातों का उन पर असर भी होने लगा है।"

प्रशिक्षण नहीं मिला

श्रीमती फूलीबाई वार्डपंच ग्राम पंचायत केवड़ा खुर्द पं.स. सराड़ा कहती है कि "अफसोस इस बात का है कि महिलाओं को नेतृत्व का अवसर तो मिला परन्तु काम करने का प्रशिक्षण नहीं मिला। हमें योजनाओं की जानकारी नहीं है जिससे हम गांव वालों को कैसे लाभान्वित करें। हम पूछताछ करके कुछ जानकारियां हांसिल करती हैं परन्तु वे पूरी नहीं होती हैं। हमें वर्ष में चार बार पंचायत के कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाए। यह काम हमारी बोली में व हमारे ब्लाक में किया जाए। इससे हमारे घर के काम का हर्जा भी नहीं होगा।"

संस्था के सभी कार्यक्रमों में यह अनुभव हुआ कि महिलाएं अब बहस–मुबाहिशा, तर्क–वितर्क में बराबर हिस्सा लेने लगी हैं। जरूरत पड़ने पर वे नोंक–झोंक भी करती हैं। वे अपना पक्ष पूरी निर्भीकता एवं निष्पक्षता से पटल पर रखती है। अपने मातहतों से ग्राम विकास कार्यों की सिलसिलेवार जानकारी लेती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल की समस्याओं के निदान में झिझक नहीं है। सभी महिलाएं इस बात पर एकमत है कि उनका शिक्षण प्रशिक्षण निरन्तर चलते रहना जरूरी है तभी नया पंचायती राज सफल हो सकेगा।

प्रशिक्षण अधिकारी
स्थानीय स्वशासन एवं
उत्तरदायी नागरिकता संस्थान,
विद्याभवन सोसायटी, उदयपुर

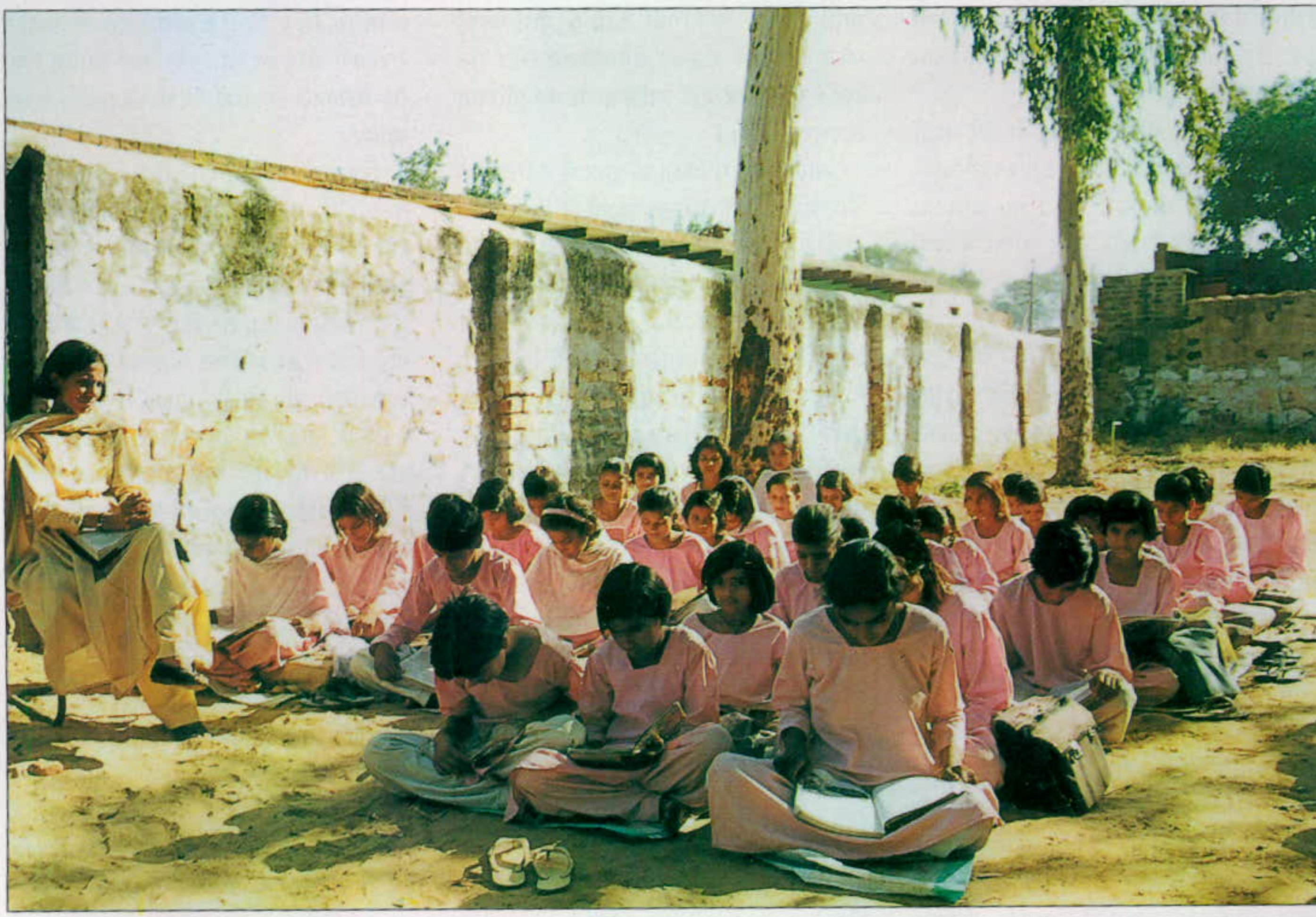

नई सदी में महिलाओं की शिक्षा : एक मुख्य चुनौती

डा. हरेन्द्र राज एवं सीमा गौतम*

किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए नारी शक्ति का विशेष महत्व है। नारी, स्वयं एक शक्ति ही नहीं, एक जननी भी है, पर उस नवजात शिशु की मां है और मां की गोद बच्चे की पहली पाठशाला होती है। मां की गोद में मिली शिक्षा ही किसी भी समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है। नारी केवल एक मां ही नहीं, एक पथ–प्रदर्शक भी है जिसमें नेतृत्व की अपार क्षमता देखने को मिली है। इस क्षमता को नारी ने हर कठिन परिस्थिति में बखूबी दर्शाया है चाहे वह फ्रांस में हुई जोन आफ आर्क हों जिसने केवल 16 वर्ष की आयु में, अपने देश में 6,000 लोगों की सेना का नेतृत्व करते हुए अंग्रेज आक्रमणकारियों को हरा कर अपने राज्य को मुक्त कराया और अपने राजा को फिर से पदासीन करने में सहायता की। नारी की नेतृत्व–क्षमता और साहस के अन्य प्रमुख उदाहरणों में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने भारत की स्वाधीनता की पहली लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई, फलोरेंस नाईटिंगेल जिनकी क्रिमीया के युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा जो दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गई, मेरी क्युरी जिन्होंने दो नोबेल पुरस्कार जीतकर विज्ञान–जगत को चकित कर दिया, बर्मा में सैनिक तानाशाही के खिलाफ मानवाधिकारों के लिए संघर्षरत नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सैन स्यु ची कुछ ऐसे नाम हैं, जिन्होंने नारी में छिपी क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। यही नहीं, ब्रिटेन में मार्ग्रेट थैचर, भारत में इंदिरा गांधी, श्रीलंका में श्रीमाव भंडारनायके, पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो, बंगलादेश में बेगम खालिदा जिया और शेख

* पादप रोग विज्ञान विभाग, डा. यशवन्त सिंह परमार विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन–173230, हिमाचल प्रदेश।

हसीना जैसी महिलाओं ने अपने–अपने देशों का नेतृत्व कर नारी शक्ति के कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

हमारे देश में भी आरम्भ से ही महिलाओं की प्रमुख भूमिका रही है। लेकिन स्वाधीनता–प्राप्ति के 53 वर्ष बाद आज 60 प्रतिशत महिलाएं निरक्षर हैं और नारी शक्ति में छुपी अपार क्षमताओं का उपयोग हम राष्ट्र–निर्माण में पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं।

सन 1991 की जनगणना के अनुसार, महिलाएं हमारी जनसंख्या का 48.09 प्रतिशत हैं। सन 1951 में जहां केवल 8.66 प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर थीं, सन 1961 में यह संख्या बढ़कर 15.34 प्रतिशत हो गई, सन 1971 में 21.97 प्रतिशत और सन 1981 में 29.75 प्रतिशत हो गई। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार 39.42 प्रतिशत महिलाएं ही आज साक्षर हैं।

देश में निरक्षरता को कम करने के लिए हमें अपनी प्राथमिक शिक्षा को व्यापक और सुदृढ़ बनाना होगा। आज हमारे देश में सकल घरेलू उत्पादन का केवल 3.2 प्रतिशत ही शिक्षा पर खर्च किया जाता है, लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सकल घरेलू उत्पादन का कम से कम छह प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करें। यद्यपि महिलाओं की शिक्षा में सुधार के लिए 1957 में एक समिति का गठन किया गया था और जिसकी अध्यक्षा थीं श्रीमती दुर्गा बाई देशमुख। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बालिकाओं को शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए कहा था, क्योंकि 1950–51 में उच्च शिक्षा में केवल 11 प्रतिशत महिलाएं अध्ययनरत थीं। सन् 1994–95 में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत महिलाओं की संख्या 34 प्रतिशत तक पहुंच गई है। चीन की राजधानी बीजिंग में 1995 में आयोजित महिलाओं के विश्व सम्मेलन में महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया।

हमारे देश में बालिकाओं में अशिक्षा का सबसे बड़ा कारण निर्धनता है। बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों में 50 प्रतिशत से अधिक बच्चे आर्थिक कारणों से पढ़ाई छोड़ देते हैं और इनमें बालिकाओं की संख्या अधिक होती है। एक से पांचवीं कक्षा के बीच पढ़ाई छोड़ देने वाले बालकों का प्रतिशत जहां सन 1991 में 35 था वहीं बालिकाओं का प्रतिशत लगभग 39 था।

बालिकाओं में शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी के लिए हमें गरीबी उन्मूलन कार्यों में तेजी लानी होगी। निरक्षरता, आर्थिक समृद्धि में बाधा डालने वाला एक प्रमुख कारण है। इसके लिए निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले अभिभावक अपनी बालिकाओं को विद्यालय भेजकर जिस आय से वंचित होते हैं, सरकार द्वारा उसकी आंशिक या पूरी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। उसके लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को विद्यालय में मुफ्त आहार और विद्यालय आने पर काम से होने वाली कम आय की क्षतिपूर्ति के बदले अनाज जैसी योजनाओं को व्यापक स्तर पर लागू करना चाहिए। तमिलनाडु में दोपहर के भोजन की इसी तरह की योजना लागू की गई थी और वह सफल रही। इसलिए इसी तरह का पोषाहार कार्यक्रम देश में 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया जिसके अन्तर्गत देश के 378 जिलों के 2.25 लाख स्कूलों में 3.35 करोड़ बच्चों को लाभ पहुंचाया गया। निरक्षरता और पढ़ाई बीच में छोड़ने की समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए, दिल्ली में आयोजित अधिक जनसंख्या वाले नौ देशों के सम्मेलन में एक घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें एक तो बच्चों की प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा पर बल दिया गया और दूसरे उनकी साक्षरता में बढ़ोतरी के कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। यद्यपि बच्चों की शिक्षा के सभी कार्यक्रमों में बालिकाओं के हितों की विशेष रूप से रक्षा की गई है, फिर भी बालिकाओं में निरक्षरता अधिक है। 'सार्क' यानी दक्षेस राष्ट्रों की कार्य योजना में भी बालिकाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

इसके अतिरिक्त ऐसे विद्यालय चलाने की आवश्यकता भी है जहां कामकाजी बालिकाएं काम करने के बाद शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसी तरह का प्रयास भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा महाराष्ट्र में किया गया है जहां 4,000 कामकाजी बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है और वह भी उनके कार्यदिवस को प्रभावित किए बिना। इसी तरह के प्रयास सरकारी स्तर पर भी किए जाने चाहिए तथा गैर–सरकारी संस्थाओं को भी प्रोत्साहित करना चाहिए।

शिक्षा के साथ नौकरियों में भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी कम हो रही है। संगठित क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार में पुरुषों की भागीदारी महिलाओं की अपेक्षा छह गुणा अधिक है। संगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं में 56 प्रतिशत महिलाएं सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवाओं में कार्यरत हैं।

शिक्षा, नौकरियों का साथ, सत्ता और निर्णय प्रक्रिया में भी महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है, चाहे वह पंचायत या नगरपालिका स्तर पर प्रतिनिधित्व का प्रश्न हो या राष्ट्रीय स्तर पर, सत्ता में महिलाओं की भागीदारी अधिक हो रही है।

पिछले दशक की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी संविधान के 73वें और 74वें संशोधन जिनके द्वारा महिलाओं को पंचायत और शहरी निकायों में प्रतिनिधित्व में उन्हें एक तिहाई स्थान आरक्षित किए गए और इसके साथ उन्हें पंचायतों और शहरी निकायों में प्रधान और जिला परिषदों में अध्यक्ष के भी एक तिहाई पद आरक्षित किए गए। इसी तरह के प्रयासों में संसद ने सन 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की जिसमें महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा की गई है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही महिलाओं के उत्थान की सभी योजनाओं में आम जनता और गैर–सरकारी संस्थाओं की सक्रिय भूमिका हो। इसके अतिरिक्त सरकार को बालिकाओं के संरक्षण के लिए विशेष योजनाएं शुरू करनी चाहिए। नारी शक्ति के सही विकास से ही देश के विकास और समृद्धि में सहायता मिलेगी और इस असीम शक्ति का उपयोग मानवता के विकास में किया जा सकेगा। शायद यही समाज में नारी शक्ति का सच्चा सम्मान भी होगा। अन्तरिक्ष में जाने वाली पहली व एकमात्र महिला कल्पना चावला की तरह आसमान की ऊंचाइयां ही इनकी मंजिल है। ❑

ग्रामीण विकास में सूचना के अधिकार का महत्व

मुकेश कुमार

ग्रामीण विकास के सन्दर्भ में जितना महत्व शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, कच्ची सामग्री तथा अन्य संसाधनों का है उतना ही महत्व 'सूचना' का भी है। आज का सूचना–प्रधान युग जीवन के समस्त क्षेत्रों में कुशलता तथा तत्परता की मांग करता है क्योंकि इससे जीवन का कल्याण तथा संसाधनों का सदुपयोग सुनिश्चित होता है। आर्थिक नियोजन के वर्तमान दौर में विकास के लक्ष्य, रणनीति तथा कार्यप्रणाली एक व्यवस्थित तंत्र से नियंत्रित होती है। इसी तंत्र का महत्वपूर्ण पक्ष है – सूचना।

आधुनिक युग तथा विकास का मूलाधार बनी 'सूचना' को अधिकार के रूप में मांगने की प्रवृत्ति चहुंओर दिखाई दे रही है। यही कारण है कि देश भर में 'सूचना का अधिकार' एक सशक्त आन्दोलन बन चुका है। शिक्षा के प्रसार तथा जन जागरूकता में वृद्धि से लोक प्रशासन के कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा आम आदमी में बढ़ी है। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने (26 जनवरी, 2001 को) राज्य की जनता को सूचना का अधिकार प्रदान करके पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। वस्तुतः आम आदमी को प्रशासनिक कार्यकलापों, सार्वजनिक व्यय, योजना–क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन के सम्बन्ध में जब तक नियंत्रणकारी शक्तियां प्राप्त न होंगी जब तक विकास प्रशासन में जन–सहभागिता तथा प्रशासनिक सच्चरित्रता की कल्पना करना बेमानी है। यद्यपि प्रशासनिक भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता तथा लालफीताशाही न्यूनाधिक मात्रा में विश्व के सभी देशों में व्याप्त है तथापि भारत सहित अधिकांश विकासशील देशों में निरक्षरता, अल्प जनजागरूकता तथा संकीर्ण सामाजिक–राजनीतिक दुरभिसन्धियों के चलते प्रशासनिक शिथिलता का स्तर कहीं अधिक है। जन साधारण को दिया जाने वाला सूचना का अधिकार एक नए रूप में प्रशासन को विकसित करेगा, ऐसी आशा की जानी चाहिए।

राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम–2000 की धारा–2 में सूचना को परिभाषित करते हुए कहा गया है – "सूचना का अर्थ राज्य या किसी लोक निकाय के कार्यकलापों से सम्बन्धित किसी सामग्री या सूचना से है।

> *दरअसल सूचना के अधिकार की मांग तथा इससे सम्बद्ध मुद्दे इतने सरल नहीं हैं जितने कि प्रतीत होते हैं। सूचना का अधिकार व्यक्ति की 'अभिव्यक्ति के अधिकार' का ही उन्नत भाग है।*

जहां तक सूचना के अधिकार से तात्पर्य है इसे राज्य या लोक निकायों के अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त कर राज्य एवं लोक निकायों के कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचना तक पहुंचना बताया गया है।" यह अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है जो भी राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय, इकाई या विभाग से सूचना पाना चाहता है। अधिनियम के अनुसार सूचना–प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को सम्बन्धित अधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा तथा निर्धारित शुल्क अदा करने पर उसे 30 दिन के अन्दर सूचना की नकल या फोटो स्टेट प्रति उपलब्ध करवाई जाएगी।

सूचना का अधिकार न तो अबाध है और न होना चाहिए क्योंकि सरकारी कार्यों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसी क्रम में 10 ऐसे मामले या परिस्थितियां वर्णित की गई हैं जिनमें सूचना का अधिकार लागू न होगा –

(1) विदेशी सरकारों, उनके अभिकरणों या अन्तरराष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त ऐसी गुप्त सूचनाएं जिनके प्रकट करने से भारत की सम्प्रभुता एवं अखण्डता, राज्य की सुरक्षा या अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो;

(2) केन्द्रीय एवं राज्य सरकार या उनके किन्हीं भी प्राधिकरणों पर अभिकरणों के बीच गुप्त रूप से आदान–प्रदान की गई सूचनाओं सहित ऐसी सूचनाएं जिनके प्रकट करने से केन्द्र सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो;

(3) मंत्रिमंडलीय दस्तावेजों, विशेषतया अन्तरविभागीय या अन्तः विभागीय टिप्पणियों, पत्राचार एवं परामर्श तथा निर्देश को अन्तर्विष्ट करने वाले कागजातों के साथ ही आन्तरिक नीति विश्लेषण से सम्बन्धित प्रयोजनों और धारणाओं सहित ऐसी सूचनाएं जिनके प्रकट करने से आन्तरिक विचार–विमर्श की सरलता को हानि पहुंचने की आशंका हो;

(4) ऐसी सूचनाएं जिनके प्रकटीकरण से विधि के प्रवर्तन, अपराधों के अन्वेषण, गिरफ्तारी इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े या किसी व्यक्ति का जीवन या शारीरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाए या किसी लम्बित मामले के न्याय निर्णयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े या किसी व्यक्ति का विधिक अभिरक्षा से निकल भागना आसान हो जाए;

(5) ऐसी सूचना जिसे प्रकट करने से अर्थव्यवस्था या किसी लोक प्राधिकरण के विधिसम्मत आर्थिक एवं वाणिज्यिक हितों का प्रबन्ध करने की सरकार की योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े;

(6) ऐसी व्यक्तिगत सूचना जिसका

प्रकटीकरण लोक क्रियाकलाप से सम्बन्धित न हो या जिससे किसी व्यक्ति की एकान्तता में अनुचित हस्तक्षेप होता हो;

(7) ऐसी सूचना जिसके प्रकाशन से संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों का हनन होता हो या किसी सक्षम न्यायालय के किसी आदेश का अतिक्रमण होता हो;

(8) ऐसी सूचना जो इस गारन्टी के साथ दी गई हो कि उसे गुप्त रखा जाएगा;

(9) ऐसी सूचनाएं जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 एवं 124 के अन्तर्गत दावाकृत विशेषाधिकारों में आती हों;

(10) ऐसी सूचनाएं जो किसी विशिष्ट समय पर प्रकाशित की जानी अपेक्षित हों या विक्रय के लिए प्रकाशित सामग्री से सम्बन्धित हों।

कुछ अनुभूत समस्याएं

सूचना के अधिकार से सम्बन्धित आन्दोलन की सफलता में कतिपय व्यावहारिक समस्याएं विद्यमान हैं। दरअसल सूचना के अधिकार की मांग तथा इससे सम्बद्ध मुद्दे इतने सरल नहीं हैं जितने कि प्रतीत होते हैं। सूचना का अधिकार व्यक्ति की 'अभिव्यक्ति के अधिकार' का ही उन्नत भाग है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 19(1) प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता देता है किन्तु अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक सूचना की पूर्ति की गारन्टी नहीं देता है। जब तक व्यक्ति के पास पूर्ण सूचना ही नहीं होगी वह अपनी बात को अभिव्यक्त कैसे कर पाएगा? यह प्रश्न अत्यंत विचारणीय है। सन 1985 में सर्वोच्च न्यायालय (इन्डियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स बनाम भारत संघ) ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्पष्ट करते हुए कहा था – "यह व्यक्ति की आत्म उन्नति में सहायक है, सत्य की खोज में सहायक है, निर्णय क्षमता को सुदृढ़ बनाती है तथा स्थिरता एवं सामाजिक परिवर्तन में यथोचित सामंजस्य स्थापित करने में सहायक सिद्ध होती है।" इसी प्रकार के सन्दर्भ राज्यों के उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के कुछ अन्य मुकदमों से सम्बन्धित हैं जिनमें सूचना का अधिकार आम आदमी को दिए जाने पर बल दिया गया है। दिल्ली के बहुचर्चित गीता चोपड़ा हत्याकांड में गिरफ्तार रंगा–बिल्ला से हिन्दुस्तान टाइम्स के पत्रकार की मुलाकात को रोकने के प्रकरण को भी न्यायालय ने मौलिक स्वतंत्रता के विरुद्ध करार दिया था।

भारत में सूचना के अधिकार की राह में दो कानून मुख्य रूप से बाधा डालते हैं। "शासकीय गुप्त बात अधिनियम" 1923 यह प्रावधान करता है कि – "देश की एकता, अखण्डता, सुरक्षा तथा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी फाइलें गोपनीय बनी रहेंगी।" इसी प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–113 के अनुसार – "किसी भी सरकारी विभाग के विभागाध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह प्रशासनिक सूचनाएं आम जनता के मध्य उजागर न करे।" इसी कानून की धारा–124 यह प्रावधान करती है कि "किसी भी सरकारी अधिकारी को प्रशासनिक सूचनाएं देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।" चूंकि देश भर में अभी भी शासकीय गुप्त बात अधिनियम तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रभावी हैं अतः इन कानूनों की आड़ में नौकरशाही सूचनाएं देने तथा पारदर्शिता बरतने से गुरेज करती है।

ऐसा माना जाता है कि ठेकेदारों तथा वरिष्ठ नौकरशाहों को यह आशंका बनी हुई है कि सूचना का अधिकार देने से समाज में उनकी छवि विपरीत रूप से प्रभावित होगी तथा परम्परागत सत्ता–सुख एवं अहं को ठेस लगेगी। जबकि वास्तविकता यह है कि आम जनता प्रशासकों तथा ठेकेदारों के सम्बन्धों से पूर्णतया परिचित है। सूचना के अधिकार के बाद हानियां कम तथा लाभ अधिक होने के आसार हैं क्योंकि आम जन के पसीने की कमाई से संचालित होने वाली विकास योजनाओं में दिखाई देने वाला भ्रष्टाचार नियंत्रित हो सकेगा। बहुत से विद्वानों का मानना है कि सामाजिक स्तर पर अंकेक्षण की शुरुआत होने से एक नए प्रकार का नियंत्रण स्थापित होगा जो अभी तक अप्रचलित है। दरअसल निरक्षर, रूढ़िवादी, बहुसांस्कृतिक, निर्धन तथा उपनिवेशवादी समाजों में जवाबदेयता का अभाव पाया जाता है। भारतीय प्रशासनिक तंत्र में बरसों से लोक सेवकों में स्वयं को जनता का सेवक मानने के बजाए जनता का स्वामी बनने का अहसास व्याप्त है जो प्रशासन तथा जनता के मध्य अंततः दूरियां बढ़ाता है। अच्छा तो यही है कि प्रशासन में जन सहभागिता बढ़ाने तथा सच्चरित्रता की स्थापना हेतु सूचना के अधिकार को बढ़ावा दिया जाए।

ग्राम विकास में महत्व

भारत में स्वयंसेवी संस्थाओं, जन संचार माध्यमों तथा जन साधारण के दबाव को देखते हुए अब सरकारी तंत्र कुशल, पारदर्शी, संवेदनशील तथा जवाबदेह बनने की दिशा में प्रयासरत है। भारत सरकार के लगभग सभी मंत्रालयों तथा अधिकांश राज्य सरकारों के विभागों द्वारा जारी 'नागरिक अधिकार पत्र' (सिटीजंस चार्टर) इसी दिशा में एक कदम है किन्तु सूचना का अधिकार एक व्यापक, गंभीर तथा महत्वपूर्ण अवधारणा है। नागरिक अधिकार कार्य के होने से पूर्व उपभोक्ता को उसके अधिकार बताता है तो सूचना का अधिकार विभाग द्वारा किए गए कार्य या निर्णय का पोस्टमार्टम है। यद्यपि पोस्टमार्टम से मृत व्यक्ति को जीवित तो नहीं किया जा सकता है किन्तु भविष्य की हत्याएं अवश्य रोकी जा सकती हैं तथा दोषी को दण्डित भी किया जा सकता है।

सन 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल की अध्यक्षता में 'प्रभावी एवं उत्तरदायी प्रशासन' विषय पर आयोजित हुए मुख्यमंत्री सम्मेलन में यह मांग उठी थी कि विकास कार्यों पर निगरानी रखते हुए आम जनता को सूचना का अधिकार दिया जाना चाहिए। इससे पूर्व केन्द्र सरकार ने स्वयंसेवी संस्था *कामन काज* के अध्यक्ष श्री एच.डी. शौरी तथा सोली सोराबजी, एस. नरेन्द्र, ए. सिन्हा, आर.एन. वर्मा, एस.पी. ओझा, अशोक कुमार, एस.पी. जोशी, एन.एस. माधवन तथा हरिन्द्र सिंह की सदस्यता में एक कार्यदल गठित किया था। कार्यदल ने कनाडा, न्यूजीलैण्ड, आस्ट्रेलिया, इंग्लैण्ड तथा संयुक्त राज्य अमरीका के सूचना के अधिकार कानूनों का अध्ययन कर मई, 1997 में अपनी रिपोर्ट

(रिपोर्ट आन राईट टू इन्फोरमेशन एंड प्रोमोशन आफ ओपन एंड ट्रांसपेरेन्ट गवर्नमेन्ट) सोंप दी थी। इसी कार्यदल की अनुशंसा पर केन्द्र सरकार ने सूचना का अधिकार विधेयक निर्मित किया है। राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा मध्यप्रदेश सहित बहुत–सी राज्य सरकारें सूचना का अधिकार सम्बन्धी कानून बना चुकी हैं किन्तु कुछ मूलभूत प्रश्न आज भी अनुतरित हैं। प्रथम तो यह कि चाही गई सूचना कई बार 'तत्काल' महत्व की होती है। अतः ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी को 30 दिन का समय देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। दूसरी समस्या यह है कि बहुत सारे विषय या परिस्थितियां ऐसी बताई गई हैं जिनमें सरकार चाहे तो प्रार्थी को कोई सूचना उपलब्ध न करवाए।

इन प्रतिबंधात्मक प्रावधानों की आड़ में सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार को जारी रख सकता है। लेकिन समस्त प्रकार की विसंगतियों या बाधाओं के उपरांत भी यह कहा जा सकता है कि सूचना का अधिकार आम जनता में जागरूकता लाने तथा प्रशासन में कार्यकुशलता बढ़ाने का एक कारगर माध्यम सिद्ध होगा। इस सन्दर्भ में बहुत–सी व्यावहारिक समस्याओं का पता भविष्य में ही चल पाएगा। इसीलिए न्यायमूर्ति पी.बी. सावंत कहते हैं – "अगर सूचना के अधिकार के साथ–साथ अन्य संस्थाओं जैसे जनसंचार माध्यमों, गैर सरकारी संगठनों तथा लोकपाल एवं लोकायुक्त को सक्षम नहीं बनाया गया तो यह अधिकार निरर्थक सिद्ध होगा।"

ग्रामीण विकास के सन्दर्भ में सूचना के अधिकार के महत्व को रेखांकित करने वाले बिन्दु भी विचारणीय हैं :

- यदि यह अधिकार पंचायती राज जैसी स्वायत्तशासी संस्थाओं के सन्दर्भ में न दिया गया तो निष्प्रभावी सिद्ध हो सकता है। यद्यपि राजस्थान सरकार ने इस कानून से पूर्व वर्ष 1998 में पंचायती राज में सूचना प्राप्ति का किंचित अधिकार राज्य की जनता को दे दिया था।
- देश के 7.5 लाख गांवों में जहां लगभग 30 करोड़ जनता आज भी निरक्षर है, में सूचना का अधिकार तब तक सफल नहीं हो पाएगा जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित न हो। अतः केवल पूर्ण साक्षरता ही नहीं बल्कि मूलभूत (प्राथमिक) स्तर तक की शिक्षा का प्रसार आवश्यक है।
- प्रत्येक प्रशासनिक विभाग की अपनी विशिष्ट कार्यशैली तथा रिकार्ड रखने की विधि है तथा विभागों की तकनीकी शब्दावली भी है। सूचना के अधिकार के साथ–साथ यह भी अनिवार्य किया जाए कि सरकारी विभाग अपना रिकार्ड सामान्य प्रक्रियाओं तथा स्थानीय भाषा में संधारित करें ताकि रिकार्ड की प्रति मिलने पर आम जनता उसे समझ भी सके।
- ग्रामीण, कृषि, सिंचाई, महिला एवं बाल विकास तथा अन्य मूलभूत आवश्यकताओं के क्रम में चलाई जाने वाली विकास योजनाओं की सूचना सम्पूर्ण समुदाय में प्रसारित की जानी चाहिए ताकि लोगों को प्राथमिक जानकारी रहे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना का अधिकार तभी सफल हो सकेगा जबकि इसके उल्लंघनकर्ता को कठोर दण्ड मिले। यदि परम्परागत नौकरशाही प्रणाली कार्य करती रही तो संभवतः इसका हश्र भी अन्य सामाजिक कानूनों जैसा ही होगा।

ग्राम पोस्ट : मोखूता
तहसील : नारनौल
महेन्द्रगढ़–123001 (हरियाणा)

(पृष्ठ 17 का शेष) **प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना.......**

है। नौवीं योजना में इसके लिए 500 करोड़ रुपये के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इसके लिए 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

सर्वशिक्षा अभियान

प्रधानमंत्री ने गत स्वतंत्रता दिवस पर सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 'सर्वशिक्षा अभियान' नाम की एक नई योजना की घोषणा की। इस योजना का लक्ष्य सन 2003 तक सभी बच्चों को स्कूलों, वैकल्पिक स्कूलों या शिक्षा गारंटी केन्द्रों तक लाना, 2007 तक सभी बच्चों को पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना और 2010 तक उन्हें आठ वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा दिलाना है।

देश के सभी जिले नौवीं योजना के अंत तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाए जाएंगे। बालिकाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को शिक्षा दिलाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

ग्रामीण विद्युतीकरण

वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा ने अपने बजट भाषण में लगभग 80 हजार गांवों तक बिजली नहीं पहुंच पाने पर चिन्ता प्रकट करते हुए घोषणा की कि आगामी 6 वर्षों में अधिकांश बचे हुए गांवों में विद्युतीकरण पूरा करने का लक्ष्य है। यह स्वागतयोग्य है कि ग्रामीण विद्युतीकरण को भी अब प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत लाया जा रहा है। वित्तमंत्री के अनुसार दलित बस्तियों, जनजातीय व समाज के कमजोर वर्गों के घरों के शीघ्र विद्युतीकरण के लिए राज्य विद्युत बोर्डों को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की ऋण सहायता को बढ़ाया जा रहा है। 2001–2002 के बजट में तीव्रीकृत विद्युत विकास कार्यक्रम के तहत आर.आई.डी.एफ. से कम के कम 750 करोड़ रुपये की धनराशि का निर्धारण किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के रूप में ग्राम विकास की जो पहल की गई है वह निस्संदेह सराहनीय है। लेकिन केवल योजना बनाने या रुपये स्वीकृत कर देने से ही विकास नहीं होगा। देखने में आया है कि योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि का बहुत बड़ा भाग बिचौलियों की जेबों में चला जाता है। इस बात की पूरी निगरानी रखनी होगी कि पैसे का सदुपयोग हो और जो भी निर्माण–कार्य शुरू किए जाएं वे घटिया स्तर के न हों। ग्राम पंचायतों और आम लोगों की भागीदारी से ही ग्राम विकास की योजनाएं सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सकती हैं।

सी–31, गुलमोहर पार्क
नई दिल्ली–110049

ग्रामीण जल प्रबन्धन : कुछ सुझाव

डा. आर.एस. बांगड़

वर्तमान में जल संसाधन प्रबन्ध एक विश्वव्यापी चुनौती बनकर हमारे सामने उभरा है क्योंकि बढ़ती जनसंख्या और घटते जल संसाधनों ने इस बात को तरजीह दी है कि हो सकता है कि अगला विश्वयुद्ध पानी के लिए लड़ा जाए। मानव–मस्तिष्क की इस सोच या भविष्यवाणी या सत्य कथन ने दुनिया के विकसित, विकासशील, अर्द्धविकसित और निर्धन सभी राष्ट्रों के समक्ष यह यक्ष प्रश्न खड़ा किया है कि धन बल, भुजबल और बुद्धिबल तो अर्जित किया जा सकता है लेकिन वर्षा नहीं आए और एक हजार, दो हजार फुट बोरिंग करने के बाद भी पानी नहीं आए तो क्या किया जा सकता है? वास्तव में किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की धुरी पेयजल और सिंचाई प्रबन्ध है जो कि जल संसाधन प्रबन्ध की मूलभूत विषयवस्तु है, क्योंकि इस पर ही औद्योगिक, पारिस्थितिकी, प्रौद्योगिकी और तकनीकी प्रगति निर्भर करती है। अतः इसके समुचित प्रबन्धन पर ध्यान दिया जाना समय की एक अनुपेक्षणीय मांग है।

हम लम्बे समय से यह सुनते आए हैं कि 'जल ही जीवन है', 'घटते संसाधन, बढ़ती आबादी', 'बिन पानी सब सून', जल देवता इत्यादि लेकिन इन श्रुतिवाक्यों और नारों को मानव समुदाय ने पूरी तरह से आज तक हृदयंगम नहीं किया और हमने व्यवहार और कृतित्व में इन्हें शामिल नहीं किया, इसलिए प्रकृति के प्रकोप के साथ–साथ उपभोग मितव्ययता के अभाव ने जल संसाधन समस्या को और ज्यादा विकरालता प्रदान कर दी जिससे हम सब आज अभिशप्त हैं। अनावृष्टि और अपर्याप्त वर्षा के कारण सूखे की स्थिति

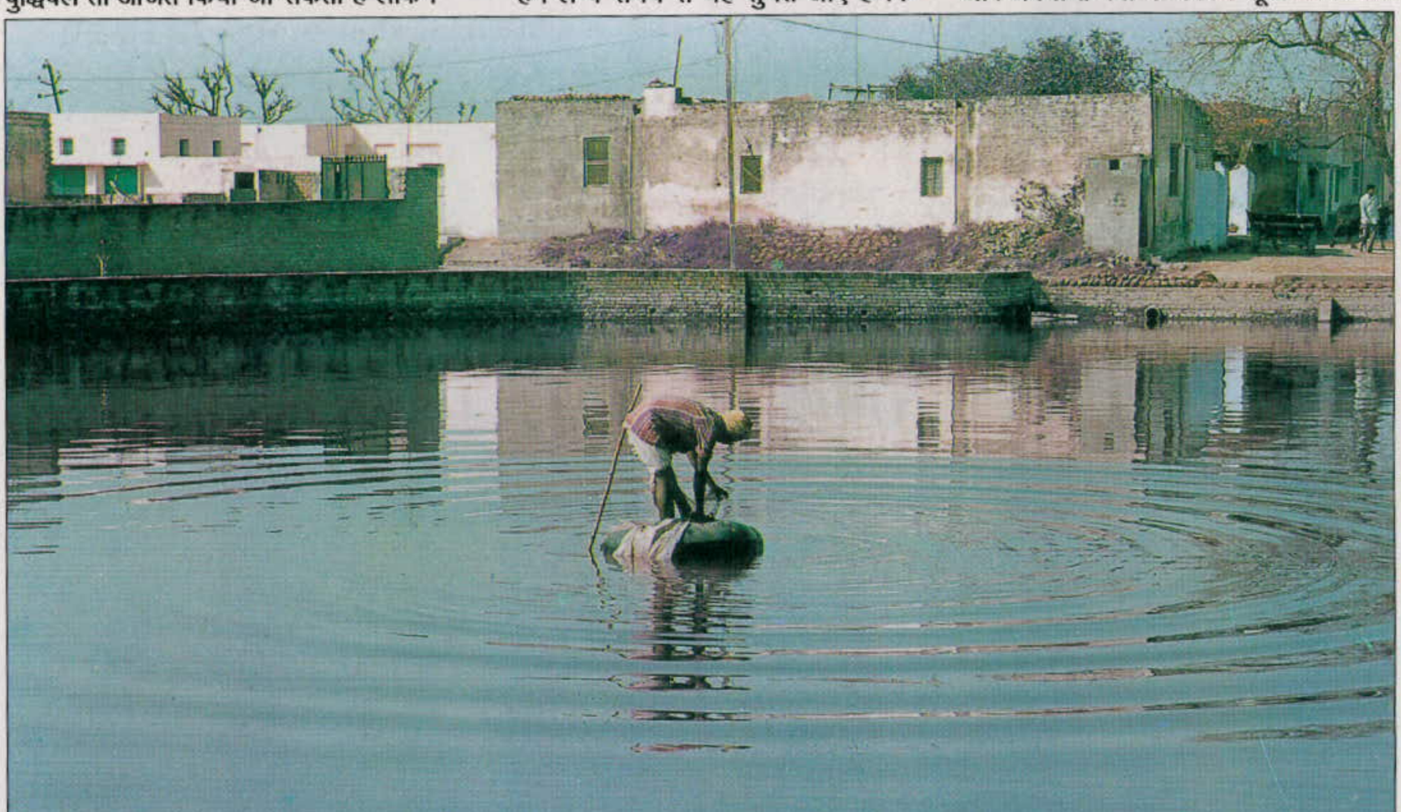

'रूफ वाटर हार्वेस्टिंग' से संरक्षित जल

का सामना हमें करना पड़ रहा है और काफी पैसा केन्द्र और राज्य सरकारों को जल संसाधनों पर व्यय करना पड़ रहा है फिर भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। वर्षा की कमी के फलस्वरूप भूमिगत जलस्तर में निरन्तर आ रही गिरावट से अधिकांश परम्परागत पेयजल स्रोत कुएं, बावड़ियां, तालाब, कुन्ड, नदियां, पोखर आदि सूखते चले गए और आधुनिक पेयजल स्रोत हैण्डपम्प और नलकूप नकारा हो गए।

परंपरागत जल स्रोतों का संरक्षण और संवर्धन

वास्तव में जल संसाधन प्रबन्धन के लिए परंपरागत जल स्रोतों का संरक्षण और संवर्द्धन अपरिहार्य रूप से किया जाना चाहिए तभी

गांवों में पानी के टांके ऐसे स्थान पर बनाने चाहिए जहां वर्षा का जल स्वतः इकट्ठा होता हो। जिन झरनों, नालों से पानी की आवक हो उनका जल प्रवाह मार्ग नदी, तालाब, कुंओं और पानी के टांकों की ओर मोड़ दिया जाना चाहिए ताकि बरसात का पानी इन जलाशयों में एकत्रित हो सके।

पेयजल और सिंचाई प्रबन्धन भली-भांति हो सकेगा। बारिश से पूर्व परम्परागत जल कुन्ड एवं सरोवरों का सफाई कार्य और अकाल राहत कार्यों के तहत उनको गहरा कराने का कार्य एक कारगर उपाय हो सकता है ताकि वर्षा आने पर जल संग्रहण सुगमतापूर्वक हो सके। वर्षा के जल की बहुत बड़ी मात्रा बहकर चली जाती है और खारे समुद्र में मिल जाती है। इसे प्रभावी तरीके से रोका जाना चाहिए और जो नदियां वर्षपर्यन्त प्रवाहिनी हैं, उन पर जगह-जगह एनीकट बनाए जाने चाहिए ताकि उस क्षेत्र के भूगर्भ जल के अनुपात में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो सके।

'रूफ वाटर हार्वेस्टिंग' एक प्रभावी जल संसाधन प्रबन्ध है। 'रूफ वाटर हार्वेस्टिंग' के तहत राजस्थान के कई शहरों एवं गांवों में 'खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में' की तर्ज पर कई जगह कार्य किए जा रहे हैं तथा गांवों में घरों की छत से बहने वाले पानी को संग्रहीत करने के लिए (वर्षा ऋतु में) संग्रहण टांके बनाए जाने लगे हैं ताकि पानी बहकर नहीं चला जाए। यह जल संसाधन प्रबन्ध के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। एक शोध अध्ययन के अनुसार यदि एक सेंटीमीटर बारिश होती है तो एक हजार वर्ग फीट की छत से लगभग एक हजार लीटर पानी बहकर निकल जाता है। अतः 'रूफ वाटर हार्वेस्टिंग' पर समग्र ध्यान दिया जाना चाहिए। अनावृष्टि की दशा में जल संसाधनों के बेहतर प्रबन्धन के लिए भूगर्भ जल के ताबड़तोड़ विदोहन को रोका जाना चाहिए और जल उपभोग मितव्ययता को अंगीकार किया जाना चाहिए जिसके लिए जरूरत है एक स्पष्ट जल नीति की। एक व्यक्ति को भूजल का विदोहन करने की स्वतंत्रता किस सीमा तक है इसका स्पष्टीकरण अत्यावश्यक है। भूजल विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एक 'ग्राउण्ड वाटर एटलस' के माध्यम से एक समुचित नीति का निर्माण करने में योगदान दे सकते हैं क्योंकि 'ग्राउण्ड वाटर एटलस' में भूजल की उपलब्धता, भावी सम्भावनाएं, जल स्तर के परिवर्तन, लवणीयता, सिंचाई के स्रोतों आदि का मानचित्रों एवं ग्राफों के रूप में निरूपण किया जा सकता है। हाल ही राजस्थान के बजट 2001-2002 में परम्परागत जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए 58.66 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो एक शुभ संकेत है।

भूगर्भ जल का दोहन कम करने के लिए अधिक पानी चाहने वाली फसलों को न लेकर कम पानी में उपज देने वाली फसलों, पौधों, फलों, वृक्षों और घासों को उगाना ज्यादा लाभदायक होगा। गांवों में पानी के टांके ऐसे स्थान पर बनाने चाहिए जहां वर्षा का जल स्वतः इकट्ठा होता हो। जिन झरनों, नालों से पानी की आवक हो उनका जल प्रवाह मार्ग नदी, तालाब, कुंओं और पानी के टांकों की ओर मोड़ दिया जाना चाहिए ताकि बरसात का पानी इन जलाशयों में एकत्रित हो सके। गांवों और शहरों में परम्परागत चौकोर तथा आयताकार के स्थान पर गोल, बेलनाकार टांके अधिक मजबूत एवं सफल होते हैं। काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा कई गांवों में उन्नत टांके बनाए हैं जो बहुत सफल साबित हुए हैं। जिन किसानों के यहां ये टांके बने हैं उनके टांकों में भयंकर अकाल की स्थिति में भी पानी उपलब्ध रहता है। पानी के उपयोग में मितव्ययता के लिए किसान नवीन उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल करें तथा खेतों में फसल को पानी देने के लिए फव्वारा सिंचाई (स्प्रिंकल सिस्टम) तथा बूंद-बूंद सिंचाई पद्धतियों का उपयोग करना जल प्रबन्धन की दशा में प्रभावी प्रयास होगा जिससे पानी की खपत काफी कम होगी।

वर्षा के जल की बहुत बड़ी मात्रा बहकर चली जाती है और खारे समुद्र में मिल जाती है। इसे प्रभावी तरीके से रोका जाना चाहिए और जो नदियां वर्षपर्यन्त प्रवाहिनी हैं, उन पर जगह-जगह एनीकट बनाए जाने चाहिए ताकि उस क्षेत्र के भूगर्भ जल के अनुपात मे उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो सके।

पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय अन्न बचाने के लिए देशवासियों का आह्वान किया था कि प्रत्येक व्यक्ति सप्ताह में एक दिन का उपवास करे क्योंकि हमें उस समय खाद्यान्न आयात करना पड़ता था। उनके इस आह्वान से लोगों ने उपवास किया और करोड़ों टन अनाज बचा। एक दिन उपवास करने से व्यक्ति मर नहीं जाता है, पर करोड़ों टन अनाज बच जाता है। संकटकाल में यह स्वीकार्य कदम है उसी तरह से वर्तमान में जल संकट की भयावहता को देखते हुए अगर पन्द्रह दिन में एक दिन व्यक्ति नहीं नहाए या दो बाल्टी से नहाने वाले एक बाल्टी से नहाएं तब भी उनके स्वास्थ्य की सुघड़ता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है और राष्ट्र

का दुर्लभ होता जल संसाधन लाखों एवं करोड़ों लीटर में बचने की अपूर्व सम्भावनाएं रखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जल अपव्यय को प्रभावी तरीके से रोकना होगा तथा प्रयोग में मितव्ययता को प्रोत्साहन देना होगा अन्यथा एक अरब से अधिक की जनसंख्या वाले इस देश में और 5,64,73,122 की जनसंख्या वाले तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े प्रान्त राजस्थान के समक्ष जहां देश के जल संसाधनों का केवल 0.1 प्रतिशत ही जल उपलब्ध है, जल समस्या और विकट बन जाएगी।

हमने विगत पांच दशकों में जल के मितव्ययतापूर्ण उपयोग की विधियां विकसित नहीं कीं और परिणाम यह हुआ कि आज राजस्थान का 60 प्रतिशत भूभाग भूगर्भ जल की उपलब्धता की दृष्टि से संकटपूर्ण स्थिति में पहुंच गया है। भूगर्भ जल में निरन्तर कमी वैज्ञानिकों के अनुसार भूकम्प आने का एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि जमीन की भीतरी उथल–पुथल के वेग को पानी सहन कर लेता है। लेकिन जब भूगर्भ में जलस्तर में निरन्तर गिरावट आ रही है तो यह प्राकृतिक आपदा ज्यादा दूर नहीं है। हाल ही भुज एवं अन्जार में आए भूकम्प के झटके राजस्थान के कई भागों में भी महसूस किए गए और कुछ भवनों में दरारों का नुकसान हमें भी झेलना पड़ा।

अतः भूगर्भ जल का विदोहन करने की लक्ष्मण रेखा को परिभाषित करना होगा तथा उसके बेरहमी से हो रहे अवशोषण को रोकना होगा। आने वाले वर्षों में जल का मितव्ययतापूर्ण उपभोग करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और कानून बनाना हमारी उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण उपायों को भी कानूनी जामा पहनाया जाना चाहिए जैसे चीन में एक से अधिक बच्चे की दशा में चाइल्ड टैक्स लगता है वैसे ही कानूनी प्रावधान हमारे यहां भी किए जाने चाहिए। जनसंख्या नियंत्रित होगी तभी जल प्रबन्धन कारगर ढंग से हो पाएगा और बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम एवं बेहतर उपयोग हो पाएगा।

पहली अप्रैल 2001 से सभी आयात प्रतिबन्ध हमने हटा लिए हैं। दुनिया के तमाम उपभोक्ता उत्पाद सस्ते एवं बेहतर क्वालिटी के उपलब्ध कराने के दावे मल्टीनेशनल कम्पनियों द्वारा किए जा रहे हैं 100 रुपये की चीज 10 रुपये में दे देंगे, 18 और 15 रुपये किलो वाला दूध 5 और 6 रुपये किलो में दे देंगे लेकिन कोई मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी आने वाली नहीं है जो यह कहे कि हम पानी की भरी बिस्लेरी की बोतल 25 पैसे में दे देंगे। अतः हमें हमारे संसाधनों का बेहतर एवं कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करना होगा।

सीनियर फैकल्टी मेम्बर,
से.मु.मा. कन्या महाविद्यालय,
भीलवाड़ा

लघु–कथा

अलगाव

विनोद कुमार लाल

'सो रहे हो क्या मुनिया के बापू!' मुनिया की मां ने बिस्तर पर लेटे–लेटे ही मुनिया के बापू को आवाज दी।

'नहीं तो! बस मुनिया के बारे में ही सोच रहा था!'

'मैं भी तो उसी के बारे में बात करना चाहती हूं। इस साल हमें उसकी शादी कर ही देनी चाहिए।'

'पर मैं तो अभी तक बड़की बबुनी के ब्याह का कर्जा उतार नहीं पाया हूं। और फिर...'

'मुनिया के ब्याह के लिए अब और कर्ज लेने की जरूरत नहीं है।' मुनिया की मां बीच में ही बोली, 'पड़ोस के साहू जी का लड़का मनोज, जो शहर से पढ़कर गांव लौटा है न, वह मुनिया को बेहद चाहता है।'

'और साहू जी!' मुनिया के बापू ने पूछा।

'उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं होगी यदि हम उन्हें महुआ तालाब के दक्षिणी कोने वाले छः खेत दहेज में दे दें तो।'

'क्या!...' मुनिया के बापू के मुंह से हठात् निकल पड़ा, 'उन उपजाऊ खेतों के हाथ से निकल जाने के बाद तो हम सड़क पर आ जाएंगे।'

'मुनिया के बापू, क्या तुम मुनिया को अपने कलेजे का टुकड़ा नहीं मानते हो!' मुनिया की मां ने पूछा।

'मुनिया की मां, तुम तो जानती हो कि लड़की बबुनी से ज्यादा मैंने मुनिया को प्यार दिया है। उसकी खुशियों के लिए...'

'तो फिर मैं शादी की तैयारियां करती हूं।'

'क्या मुनिया भी मनोज को...' मुनिया के बापू के मुंह की बात अभी आधी ही निकली थी कि घर के पिछवाड़े कुछ खटका हुआ। मुनिया की मां और बापू ने कान लगाए तो उन्हें मुनिया की फुसफुसाहट भरी आवाज सुनाई पड़ी, 'नहीं मनोज, तुम बेकार ही डर रहे हो। बापू मुझे अपने कलेजे का टुकड़ा मानते हैं और मेरी खुशियों के लिए...'

मुनिया के बापू की नींद उचट चुकी थी। उसकी आंखें अपलक अंधेरी छत की ओर तक रही थीं और वे इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में लगे हुए थे कि उनकी और मुनिया की खुशियों में यह अलगाव कब से हुआ।

आर्यपुरी, रातू रोड, रांची–834001

अन्तोदय अन्न योजना के माध्यम से गरीबों को खाद्य सुरक्षा

डा. उमेश चन्द्र अग्रवाल

पूरे देश में गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के पुनीत और अहम उद्देश्य को लेकर *अन्तोदय अन्न योजना* के नाम से केन्द्र सरकार द्वारा 2300 करोड़ रुपये की सब्सिडी वाली एक अति विशेष योजना माह दिसम्बर, 2000 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम गरीबों में से भी अति गरीब परिवारों का चयन ग्राम पंचायतों की खुली बैठक में किए जाने का प्रावधान किया गया है। देश भर में इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किए जाने वाले कुल एक करोड़ अति गरीब परिवार अर्थात् करीब 5 करोड़ लोग होंगे जिन्हें प्रति परिवार की दर से प्रतिमाह 25 किलो खाद्यान्न अर्थात् गेहूं या चावल अति सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। इस योजना में चयनित परिवारों को दो रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं तथा तीन रुपये प्रति किलो की दर से चावल दिया जाएगा जो देश भर में फैली सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से उन्हें उपलब्ध हो सकेगा। इस प्रकार इस योजना के संचालित किए जाने से अब गरीब परिवारों को उनकी आवश्यकता का खाद्यान्न अति सस्ती दरों पर सरकारी राशन की दुकानों से नियमित रूप से प्रत्येक माह प्राप्त होता रहेगा।

अन्तोदय योजना के तहत दिया जाने वाला अनाज

अन्तोदय अन्न योजना के अन्तर्गत अति गरीब परिवारों को एक विशेष रंग के राशन कार्ड दिए जा रहे हैं। जिन पर 'अन्तोदय अन्न योजना' लिखा रहेगा। योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे अर्थात् बी.पी.एल. परिवारों में से किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों के पर्यवेक्षण में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से गांवों के अति गरीब परिवारों की सूची अवरोही क्रम में तैयार किए जाने की व्यवस्था निर्धारित है ताकि गांव के सबसे गरीब परिवार का नाम क्रमांक एक पर रहे। इस सूची को अन्तिम रूप ग्राम पंचायत की खुली बैठक में दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि गरीब और पिछड़े लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इससे पूर्व भी कई योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की गई हैं। इन योजनाओं में वर्ष 1975 में संचालित की गई *समन्वित बाल विकास योजना*; वर्ष 1995 से चरणबद्ध तरीके से प्रारम्भ प्राथमिक विद्यालयों के लिए *मध्यान्ह भोजन योजना*; वर्ष 1997 से संचालित *लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली* तथा वर्ष 2000 में शुरू की गई *अन्नपूर्णा योजना* आदि कई प्रमुख योजनाएं हैं जिनके माध्यम से सरकार पोषण और खाद्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान केन्द्रित करती रही है।

'समन्वित बाल विकास योजना' के अर्न्तगत 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के साथ–साथ उनकी माताओं के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सरकार विशेष सहायता प्रदान करती है। यह योजना वर्ष 1975–76 में केवल 33 बाल विकास परियोजनाओं के

रूप में शुरू हुईं और वर्तमान में इन परियोजनाओं की संख्या बढ़कर 4200 से भी अधिक हो गई है। जिनमें 3187 ग्रामीण क्षेत्रों में, 740 जन जातीय क्षेत्रों में तथा 273 शहरी क्षेत्रों की झुग्गी–झोपड़ियों में संचालित हैं। अन्य सामान्य उद्देश्यों के साथ–साथ इस योजना का सर्वप्रमुख उद्देश्य छोटे–छोटे बच्चों और उनकी माताओं को कुपोषण से बचाने हेतु आवश्यक प्रबन्ध के रूप में उन्हें अनुपूरक पौष्टिक आहार नियमित रूप से उपलब्ध कराना रहा है। योजना के अन्तर्गत गर्भवती और धात्री माताओं को वर्ष में 300 दिन का अनुपूरक पोषाहार सरकार द्वारा आंगनबड़ी केन्द्रों के माध्यम से बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। समन्वित बाल विकास सेवा सामाजिक, आर्थिक और स्त्री–पुरुष असमानता को कम करने के लिए प्रयत्नशील है। योजना के अन्तर्गत किशोरियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम किशोरी शक्ति योजना के नाम से प्रारम्भ किया गया है। जिसमें मुख्य रूप से उन लड़कियों को शामिल किया गया है जो 11 से 18 आयु वर्ग की हैं। यह योजना समन्वित बाल विकास सेवा के 500 ब्लाकों में चलाई जा रही है। जिससे लगभग 3.5 लाख लड़कियां लाभान्वित हो रही हैं।

प्राथमिक विद्यालयों हेतु 'मध्यान्ह भोजन योजना' (15 अगस्त, 1995) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एक ऐसी विशेष येाजना है जिसके अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को प्रतिमाह तीन किलो गेहूं या चावल उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में प्रत्येक बच्चे को एक माह में कुल 20 दिन विद्यालय में उपस्थित रहने पर अर्थात् 80 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर 3 किलो खाद्यान्न प्रति माह बिल्कुल मुफ्त प्रदान किया जाता है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को अनुकूल पोषाहार की सुविधा उपलब्ध कराना है। योजना का अन्य प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में अधिक से अधिक बच्चों को आकर्षित करना भी रहा है। इस योजना को पहले केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रारम्भ किया गया था, लेकिन वर्ष 1997–98 से यह योजना नगरीय क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू कर दी गई। इस प्रकार अब यह योजना 8,281 ब्लाकों के सभी प्राथमिक विद्यालयों तथा लगभग 3000 नगर पालिकाओं के अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में संचालित की जा रही है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम से सरकार द्वारा 1 जून, 1997 से विशेष रूप से गरीबी की रेखा के नीचे गुजर–बसर कर रहे परिवारों को अत्यन्त सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूरे देश में प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 6 करोड़ ऐसे परिवारों को लाभान्वित किए जाने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे अत्यन्त गरीबी की हालत में गुजर–बसर कर रहे हैं। इन परिवारों को विशेष रंग के राशन कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसे प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह नियमित रूप से 10 किलोग्राम गेहूं या चावल आधी दरों पर दिया जाता है। योजना के अर्न्तगत गत वर्ष केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को 72 लाख मैट्रिक टन गेहूं और चावल राज्यों को उपलब्ध कराया है। यह खाद्यान्न इन गरीब परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से वितरित किया जाता है।

अन्नपूर्णा योजना इसी क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2000 से संचालित की गई एक ऐसी अनुपम योजना है जो निराश्रित वृद्धों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य से उन्हें समर्पित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे वृद्ध महिला या पुरुष, जिनकी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक है और जिनकी आय का कोई नियमित स्रोत नहीं है, उन्हें स्थानीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से प्रतिमाह 10 किलो गेहूं बिल्कुल मुफ्त दिए जाने का प्राविधान किया गया है। इस योजना के लिए लाभार्थियों का चयन समाज कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और पंचयाती राज विभाग के सहयोग से जिलाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित कराया जाता है और उन्हें विशेष तौर पर रंगीन राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं। योजना में ग्रामीण, शहरी दोनों ही क्षेत्रों के रहने वाले लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत 82 लाख वृद्धि लाभार्थियों का चयन किया गया है और योजना पर एक वर्ष में 610 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इस योजना के लाभार्थियों को 10 किलोग्राम गेहूं प्रतिमाह बिल्कुल निःशुल्क रूप से प्रदान किया जा रहा है।

अन्तोदय अन्न योजना के उद्देश्य

इस योजना के निम्नांकित प्रमुख उद्देश्य हैं –

- सर्वाधिक गरीब लोगों को अति सस्ती दरों पर प्रतिमाह निरन्तर रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराकर उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।
- भरपूर मात्रा में उत्पादित और भंडारित खाद्यान्न की पहुंच अति गरीब लोगों तक आसान बनाना।
- अति गरीब परिवारों का खाद्यान्न की मद में होने वाला खर्च कम कराते हुए बची हुई धनराशि का अन्य सुविधाओं में खर्च का अवसर प्रदान करते हुए उनके जीवन स्तर में सुधार लाना।
- निर्धनतम परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता पहुंचाकर सामाजिक न्याय के साथ विकास की सरकारी नीति को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु मार्ग प्रशस्त करना।

योजना के अन्तर्गत पात्रता

यद्यपि अन्तोदय अन्न योजना के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने–अपने मानक तैयार किए गए हैं लेकिन सामान्यतया निम्न प्रकार पात्रता निर्धारित करने पर बल दिया गया है –

- इस योजना के अन्तर्गत केवल गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे परिवारों में से भी अति गरीब परिवार लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम परिवारों के चयन के लिए यह शर्त रखी गई है कि उनके पास अपनी जमीन तथा पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त गांवों में गरीब परिवार के पास भैंस, बैल, ट्रैक्टर – ट्राली आदि भी नहीं होनी चाहिए।

- ग्रामीण परिवारों के पास विद्युत कनेक्शन नहीं होना चाहिए तथा उसे पूर्व में सरकार द्वारा व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता भी नहीं मिली होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्र में ऐसे गरीब परिवार के पास अपना मकान नहीं होना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार के पास फ्रिज, टेलीविजन, स्कूटर मोटर–साइकिल, कूलर आदि भी नहीं होना चाहिए।
- शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब राजमिस्त्री, बढ़ई, स्कूटर–मैकेनिक आदि जैसे कोई कुशल कारीगर नहीं होने चाहिए।

योजना की विशेषताएं

अन्तोदय अन्न योजना निर्धनतम परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान किए जाने की दिशा में सरकार का एक अभूतपूर्व कदम है। इस योजना के अर्न्तगत गरीब परिवार अब सस्ती दरों पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त कर बची हुई धनराशि से अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो सकेंगे, ऐसी आशा की जा सकती है। संक्षेप में इस योजना की अन्य मुख्य विशेषताएं निम्नवत् हैं –

- अन्तोदय अन्न योजना के अन्तर्गत सबसे पहले गरीबी की रेखा के नीचे गुजर–बसर कर रहे परिवारों में से भी निर्धनतम परिवारों का चयन कर उन्हें अति सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलबध कराने की व्यवस्था निर्धारित की गई है। ताकि सबसे अधिक गरीब परिवार सबसे पहले लाभान्वित हो सकें।
- योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न के रूप में गेहूं या चावल कोई भी अनाज अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुरूप प्रति परिवार 25 किलोग्राम तक प्राप्त किया जा सकेगा।
- इस योजना को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के गरीब परिवारों के लिए संचालित किया गया है। अर्थात् शहरी या ग्रामीण किसी भी क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोग योजना के अन्तर्गत सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।
- योजना को विभिन्न राज्यों में राज्य सरकारों की देख–रेख में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से संचालित करने का निर्णय किया गया है ताकि इन दुकानों से सीधे ही गरीब लोग अपनी जरूरत के मुताबिक निर्धारित दरों पर खाद्यान्न प्राप्त कर सकें।
- अन्तोदय अन्न योजना में गरीबों को दिए जाने वाले गेहूं और चावल दोनों अनाजों की कीमतें बहुत कम रखी गई हैं। ताकि गरीब लोग वास्तविक रूप से कम दामों में अर्थात् 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो चावल आसानी से प्राप्त कर खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर सकें।
- यद्यपि यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा संचालित की गई है लेकिन योजना के संचालन में राज्य सरकारों को पर्याप्त स्वतंत्रता और अनुश्रवण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
- इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। योजना के अर्न्तगत लाभार्थियों के चयन की पारदर्शी व्यवस्था निर्धारित की गई है। अर्थात् लाभार्थियों का अन्तिम रूप से चयन ग्राम पंचायतों की खुली बैठक में किया जाना अनिवार्य किया गया है।
- शहरी क्षेत्रों में गरीबतम परिवारों के चयन के लिए स्थानीय निकायों अर्थात् नगरपालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों को अधिकृत किया गया है।
- योजना के अन्तर्गत विशेषरूप से शहरी क्षेत्रों के लिए वहां स्थानीय निकायों के अधिकारियों, नगरपालिका परिषदों, नगर पंचायतों के माध्यम से चयन प्रक्रिया के उपरान्त परिवारों के घर–घर जाकर चयनित निर्धनतम लाभार्थियों का सत्यापन किए जाने की व्यवस्था तक की गई है ताकि चयन में हुई गड़बड़ी का पता चल सके।
- इस योजना में चिन्हित लाभार्थियों को सामान्य राशन कार्डों से भिन्न रंग का राशन कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था रखी गई है जो विशेषरूप से चयनित इस योजना के लाभार्थियों के पास ही होंगे। इन राशन कार्डों पर आवश्यक खाद्यान्न नियमित रूप से जारी होगा।
- योजना को पंचायतों के माध्यम से प्रदेशों के खाद्य एवंम् रसद विभाग द्वारा चलाई जाने की व्यवस्था रखी गई है। अतः योजना के अन्तर्गत नियमित रूप से और भरपूर मात्रा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
- इस योजना को प्रदेश सरकारों के सहयोग से एक साथ समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने के लिए एक समयबद्ध अभियान चलाने की व्यवस्थाएं तय की गई हैं। जिसमें योजना के प्रचार–प्रसार से लेकर राशन कार्ड बनाने और राशन वितरण तक की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अवधि निर्धारित कर द्रुति गति से कार्य सम्पन्न कराए जाने का प्रयत्न किया जा रहा है।
- योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों के चयन में विशेष सावधानी बरते जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकारों द्वारा पूरी सावधानी बरतने की कोशिशें की जा रही हैं। ताकि योजनान्तर्गत किसी अपात्र परिवार का चयन न हो।
- यदि इस योजना में चयनित परिवार के पास पूर्व में बी.पी.एल. राशनकार्ड है तो उसे निरस्त कर देने का प्राविधान किया गया है ताकि एक ही परिवार दो स्रोतों से लाभ प्राप्त नहीं कर सके।

योजना की उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह योजना गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में उपयोगी साबित होगी, लेकिन योजना का लाभ वास्तविक रूप से इसके हकदार लोगों को प्राप्त हो, ससमय और समुचित गुणवत्ता वाला खाद्यान्न उन्हें नियमित रूप से मिलता रहे, इसके लिए विशेष रूप से संबंधित राज्य सरकारों और ग्राम पंचायतों को अत्यन्त सावधानी और दूरदर्शिता बरतनी होगी व अनुश्रवण की पक्की और ठोस व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी ताकि अन्य कल्याणकारी योजनाओं की भांति यह योजना दलदल में न फंसे और अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में सफल हो सके।

17–ए, इंसाफ नगर कालोनी,
सेक्टर–10, इन्दिरा नगर, लखनऊ

ग्रामीण अंचलों के लिए वरदान है अग्नि व जलरोधी छप्पर

ललन कुमार प्रसाद

भारत की आबादी का लगभग 74 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण अंचलों में रहता है जिनमें से अधिकतर गरीब किसान और खेतिहर मजदूर हैं। वे सभी कच्चे मकानों एवं झुग्गी–झोपड़ियों में रहते हैं जिन पर घास–फूस सरकंडे, पुआल, ताड़ और नारियल के पत्तों तथा नारियल की जटाओं से निर्मित छप्पर चढ़े होते हैं। इन पदार्थों से निर्मित छप्पर को बांस के ढाचे (फ्रेम) से बांधने के लिए मूंज और नारियल की रस्सी इस्तेमाल की जाती है। ये सभी पदार्थ अधिक ज्वलनशील होते हैं। इसलिए ये जल्दी आग पकड़ लेते हैं। अतः इन पदार्थों से निर्मित छप्पर आग पकड़ ले तो उसे फैलने से रोकना और बुझाना बहुत कठिन हो जाता है। फिर ग्रामीण अंचलों में न अग्निशमन केन्द्र हैं और न ही आग बुझाने के साधन। ऐसे में यदि किसी कारणवश किसी कच्चे मकान या झुग्गी–झोंपड़ी के छप्पर में आग लग जाती है तो उस पर काबू पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। फलस्वरूप छप्पर मिनटों में पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाता है। ऐसे में यदि हवा कुछ तेज चल रही हो तो तबाही पूरी तरह निश्चित है, क्योंकि समीप के दूसरे छप्परों में भी जल्दी आग पकड़ने का खतरा बढ़ जाता है। इस तरह पूरे गांव में आग फैल जाती है। परिणामस्वरूप हर साल भीषण अग्निकांडों से गांव के गांव स्वाहा हो जाते हैं। जिनसे जान–माल की भारी क्षति होती है। ऐसी भीषण दुर्घटनाएं शहरों में झुग्गी–झोंपड़ियों में भी हर साल घटती रहती हैं।

ग्रामीण अंचलों की झुग्गी–झोपड़ियों में हर साल घटने वाले भीषण अग्निकांडों से निजात पाने के लिए केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की ने ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित की है जो घास–फूस के छप्परों को आग से बचा सकती है।

इन सब हानियों के बावजूद गांवों में लोग कच्चे मकानों एवं झुग्गी–झोंपड़ियों के लिए परम्परागत छप्परों का ही निर्माण करते हैं। इसका मूल कारण सस्ती लागत, निर्माण की सरल विधि और छप्पर निर्माण हेतु सभी सामग्रियों का गांवों में ही आसानी से उपलब्ध होना है।

ग्रामीण अंचलों की झुग्गी–झोंपड़ियों में हर साल घटने वाले भीषण अग्निकांडों से निजात पाने के लिए केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की ने ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित की है जो घास–फूस के छप्परों को आग से बचा सकती है।

अग्निविरोधी छप्पर बनाने की विधि

इस नई विधि से छप्पर बनाने में इस बात का विशेष ख्याल रखना पड़ता है कि बांस का ढांचा इतना मजबूत तैयार हो कि बाद में झुके नहीं। इसके लिए उम्दा किस्म के सीधे परिपक्व और दो इंच मोटे बांस प्रयुक्त किए जाते हैं। दो इंच मोटे बांस को बीच से चीरकर दो तह में एक दूसरे के ऊपर लम्बवत एक फुट के अन्तर पर बिछाया जाता है। इस प्रकार बांस का ऐसा ढांचा बनकर तैयार हो जाता है जिसमें एक ही आकार की ढेर सारी वर्गाकार आकृतियां बन जाती हैं। प्रत्येक वर्गाकार आकृति के प्रत्येक किनारे की लम्बाई एक फुट होती है। उसके बाद तैयार बांस के ढांचे को झोपड़ी की कच्ची दीवार या बल्लियों पर रखकर मजबूती से बांधा जाता है। इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि बांस के ढांचे का झुकाव लगभग 30 डिग्री हो।

बांस के ढ़ांचे को तैयार करने के लिए जिस रस्सी का प्रयोग किया जाता है, पहले उसे अग्निरोधी बनाया जाता हैं। इसके लिए एक बड़ी बाल्टी लेते हैं, फिर उसमें 10–12 लीटर पानी लेते हैं और तब उसमें 1.4 किलोग्राम डाइअमोनियम फास्फेट (डी.ए.पी.) नामक रासायनिक खाद धीरे–धीरे डालकर अच्छी तरह मिलाते हैं। इस तरह से तैयार किए गए घोल में सुतली को डुबोकर एक घंटा के लिए छोड़ देते हैं और तब उसे निकालकर धूप में सुखा लेते हैं। इस तरह रसायन से उपचारित सुतली में आग नहीं लगती है।

गोबरी का लेप चढ़ाने के बाद छप्पर पर जलरोधी घोल के दो लेप, एक के सूखने के बाद दूसरा, बारी–बारी से ब्रुश की सहायता से चढ़ा देते हैं। इस तरह छप्पर पूरी तरह जलरोधी बन जाता है और वर्षा ऋतु में ऐसे छप्पर पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

थोड़े से फूस के बीच में दो–तीन सरकंडे रखकर अग्निरोधी सुतली से बांधते हुए जरूरत के मुताबिक लम्बाई के ढेर सारे ऐसे बेलनाकार डंडे तैयार किए जाते हैं जिनका व्यास लगभग 3 इंच होता है और सुतली से आपस में बांधे

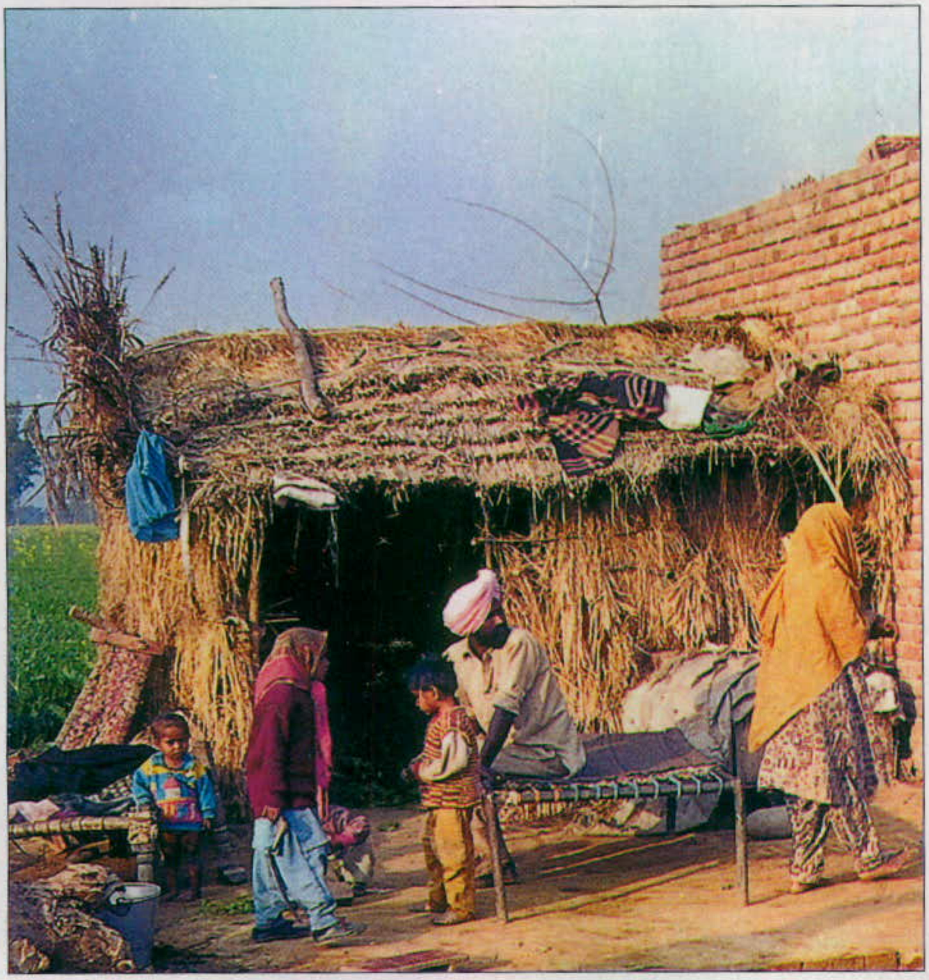

पुराने तरीके का बना छप्पर जिसे आग लगने का अंदेशा रहता है

गए बीच की दूरी 6 इंच होती है। इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि फूस के बीच में सरकंडे को रखने के बाद बांधने का काम कसकर किया जाए, क्योंकि कसकर बांधना अग्निरोधी क्रिया है।

इस तरह से तैयार किए गए फूस–सरकंडे के बेलनाकार डंडों को बांस के ढाचें पर रखकर उससे कसकर बांधते चले जाते हैं। छप्पर बांधते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि छप्पर ढीला न बंधा हो।

छप्पर की ऊपरी सतह पर कटबैकयुक्त चिकनी मिट्टी के गारे का एक सेंटीमीटर मोटा प्लस्तर लगाया जाता है। इस प्लस्तर के सूखने के बाद उसी गारे का दूसरा प्लस्तर लगाया जाता है। फलस्वरूप पहले प्लस्तर में जो दरारें आ जाती हैं, वे दूसरे प्लस्तर से भर जाती हैं। यदि दूसरा प्लस्तर सूखने के बाद भी कुछ दरारें पड़ जाती हैं तो उन्हें उसी कटबैकयुक्त चिकनी मिट्टी के गारे से भर दिया जाता है। इसके साथ–साथ उसी गारे का एक सेंटीमीटर मोटा प्लस्तर छप्पर की भीतरी सतह पर भी लगाया जाता है फिर छप्पर को पूरी तरह से सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है।

फिर उस प्लस्तर किए हुए छप्पर पर हाथ से लिपाई द्वारा गोबरी का लेप किया जाता है। इस लेप के सूखने के बाद उसी पर गोबरी का दूसरा लेप कर दिया जाता है। इसी प्रकार छप्पर के आन्तरिक पलस्तर पर गोबरी का एक लेप (कोट) चढ़ा दिया जाता है।

अब प्रश्न उठता है कि गोबरी क्या है और कैसे तैयार किया जाता है? गोबरी तैयार करने के लिए बराबर–बराबर मात्रा में गोबर और चिकनी मिट्टी लेते हैं। इन दोनों को पानी की सहायता से अच्छी तरह मिलाते हैं। गोबर मिट्टी के समान अनुपात में मिलाकर तैयार किए गए इसी मिश्रण को गोबरी कहा जाता है।

गोबरी का लेप चढ़ाने के बाद छप्पर पर जलरोधी घोल के दो लेप, एक के सूखने के बाद दूसरा, बारी–बारी से ब्रुश की सहायता से चढ़ा देते हैं। इस तरह छप्पर पूरी तरह जलरोधी बन जाता है और वर्षा ऋतु में ऐसे छप्पर पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

जलरोधी घोल तारकोल और मिट्टी के तेल या डीजल को एक विशेष अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है। इसके लिए एक किलोग्राम तारकोल और दो लीटर मिट्टी का तेल या डीजल लिया जाता है। सबसे पहले तारकोल को पिघलाते हैं, फिर पिघले हुए तारकोल को एक कनस्तर में, जिसमें मिट्टी के तेल या डीजल की आवश्यक मात्रा पहले से ही रखी रहती है, धीरे–धीरे डालते जाते हैं और किसी डंडे या छड़ की सहायता से चलाते जाते हैं ताकि तारकोल और तेल आपस में अच्छी तरह से घुल–मिल जाएं।

अन्त में छप्पर का कालापन दूर करने के लिए गोबरी का लेप चढ़ाए छप्पर की सतह पर सरेस मिले चूने के घोल से एक या दो बार पुताई कर दी जाती है। इससे छप्पर का रंग सफेद हो जाता है और इसलिए देखने में अच्छा लगता है।

कटबैकयुक्त चिकनी मिट्टी का गारा बनाने की विधि

गारा बनाने के लिए चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की मिट्टी आमतौर पर कच्चे मकान बनाने में प्रयुक्त की जाती है। सर्वप्रथम चिकनी मिट्टी में प्रति घन फुट 1.8 किलोग्राम के हिसाब से गेहूं या चावल के पुआल का बारीक भूसा मिलाया जाता है। और तब जरूरत के मुताबिक पानी मिलाकर गूंथा जाता है। इस तरह से तैयार किए गए भूसा मिले चिकनी मिट्टी के गारे को एक सप्ताह के लिए छोड़ दिया जाता है और तब पैरों तथा फावड़े की सहायता से अच्छी तरह से गूंथा जाता है ताकि चिकनी मिट्टी में सड़ा हुआ भूसा अच्छी तरह से मिल जाए। अंत में भूसा मिले चिकनी मिट्टी के गारे में पहले से तैयार किया हुआ कटबैक मिलाकर

इतना गूंथा जाता है कि कटबैक के काले धब्बे दिखाई न दें।

कटबैक क्या है? तारकोल और मिट्टी के तेल या डीजल के घोल को कटबैक कहते हैं। 10 घन फुट चिकनी मिट्टी के गारे के लिए 15 किलोग्राम तारकोल (80/100 ग्रेड) और 3 किलोग्राम मिट्टी का तेल या डीजल की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तारकोल को गर्म करके पिघलाया जाता है। फिर पिघले हुए तारकोल को एक कनस्तर में, जिसमें मिट्टी के तेल या डीजल की आवश्यक मात्रा पहले से ही रखी रहती है, धीरे-धीरे डालते जाते हैं, और किस डंडे या छड़ की सहायता से चलाते जाते हैं ताकि तारकोल और तेल आपस में अच्छी तरह से घुल-मिल जाए।

अब प्रश्न उठता है कि तारकोल और मिट्टी का तेल दोनों ही अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थ हैं। इसलिए तुरन्त आग पकड़ लेते हैं। फिर कटबैकयुक्त चिकनी मिट्टी के गारे का इस्तेमाल करके बनाया गया छप्पर अग्नि अवरोधक कैसे हो जाता है? बात यह है कि चिकनी मिट्टी के गारे में बहुत ही कम मात्रा में मिट्टी का तेल और तारकोल मिलाया गया होता है, जिसमें से मिट्टी का तेल उड़ जाता है और तारकोल गारे में इस तरह मिल जाता है कि उसके कण अलग-अलग हो जाते हैं। अतः कटबैकयुक्त चिकनी मिट्टी के गारे में आग लगने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

अग्नि एवं जलरोधी छप्पर की विशेषताएं

- अग्नि एवं जलरोधी छप्पर बनाने की विधि इतनी सरल है कि एक बार करके बता देने पर गांव के सभी लोग अपने कच्चे मकान एवं झुग्गी-झोंपड़ी के लिए अग्नि एवं जलरोधी छप्पर खुद ही बना सकते हैं।
- छप्पर बनाने में प्रयुक्त होने वाली सारी सामग्री जैसे बांस, घास-फूस, ताड़ एवं नारियल के पत्ते, नारियल की जटा, सरकंडा, मूंज एवं नारियल की सुतली इत्यादि गांवों में ही आसानी से मिल जाती है। केवल मिट्टी का तेल और तारकोल प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का सहयोग लेना पड़ता है।

अग्निरोधी एवं जलरोधी छप्परों का रख-रखाव

हर वर्ष बरसात शुरू होने से पहले छप्पर के प्लस्तर में पड़ गई दरारों को कटबैकयुक्त चिकनी मिट्टी के गारे से भर देना चाहिए और सूखने के बाद चूने से पोत देना चाहिए।

अग्नि एवं जलरोधी छप्परों के इस्तेमाल के फायदे

- परीक्षणों से यह साबित हो गया है कि अग्निअवरोधक छप्परों में आग नहीं पकड़ती है। केवल उतना भर स्थान, जो आग के समीप रहता है, सिर्फ काला पड़ जाता है। फलस्वरूप कच्चे मकानों और झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले गरीब किसानों और खेतिहर मजदूरों को आग की विनाश लीला से मुक्ति मिल जाती है।
- अग्निरोधी छप्पर स्वतः जल अवरोधक बन जाता है। इसलिए वर्षा का पानी छप्पर से होकर नीचे नहीं टपकता। फलस्वरूप घर में रखा सामान सड़ने-गलने से बच जाता है। तथा भारी वर्षा में भी गरीब किसान और मजदूर छप्पर के नीचे चैन की नींद सो पाते हैं।
- छप्पर बनाने में प्रयुक्त किए गए फूस, ताड़ और नारियल पत्ते, सरकंडे इत्यादि अग्निरोधी और जल निरोधक चिकनी मिट्टी के प्लस्तर से ढके रहते हैं इसलिए पानी के सम्पर्क में नहीं आते हैं। अतः घास-फूस, पत्ते सरकंडे, इत्यादि पर पानी का कोई असर ही नहीं पड़ता। इसलिए वे सड़ने-गलने से बच जाते हैं। फलस्वरूप हर साल नया छप्पर लगाने की मुसीबत से छुटकारा मिल जाता है।
- घास-फूस, पत्ते, सरकंडे इत्यादि पर तारकोलयुक्त मिट्टी के गारे का प्लस्तर चढ़ाने और फिर गोबरी के लेप पर तारकोल के घोल का लेप करने से छप्पर में दीमक नहीं लगती है।
- अग्निरोधी और जल अवरोधक छप्पर इतने वजनी होते हैं कि आंधी-तूफान में भी नहीं उड़ते।
- फूस और सरकंडे का परम्परागत छप्पर कितना भी मोटा और मजबूत क्यों न बनाया जाए, दो-तीन वर्ष से ज्यादा नहीं चल पाता है। लेकिन अग्निरोधी एवं जलरोधी छप्पर इतने टिकाऊ होते हैं कि आठ-नौ साल चलते हैं। इसलिए गांवों के गरीब किसान एवं मजदूर को सर्दी, गर्मी और बरसात की मौसमी बीमारियों से बहुत हद तक छुटकारा मिल जाता है।
- अग्निरोधी एवं जलरोधी छप्परों के अन्दर की सतह पर प्लस्तर चढ़ा रहता है। इसलिए घास-फूस, पत्ते, सरकंडे के टुकड़े इत्यादि नीचे नहीं गिरते। अतः घर साफ-सुथरा रहता है।
- अग्निरोधी और जलरोधी छप्पर देखने में भी सुंदर लगते हैं।

प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना – 800005

एहसास

जिन्दगी के हर मोड़ पर
मैं
कुछ पल रुकती हूं
देखती हूं मुड़कर
शायद,
तुम आ जाओ
नहीं जानती
तुम आओगे या नहीं
पर
मन के किसी अज्ञात कोटर में
छुपे तुम्हारे आने के विश्वास को
मिटा नहीं पाती
इसी एहसास के दम पर
मैंने
तय की हैं इतनी दूरियां
संभव है
तय कर जाऊं
सारी उम्र

संगीता सहाय
रेलवे लाइन के उत्तर में
दरियावां टोला, छपरा (बिहार)

वानिकी विकास परियोजना

जापानी समीक्षा दल द्वारा वानिकी विकास कार्यों की सराहना

घनश्याम वर्मा

राजस्थान के गैर मरुस्थली 15 जिलों में वन संवर्धन की महत्वाकांक्षी योजना वानिकी विकास परियोजनान्तर्गत विगत पांच वर्षों की अवधि में कराए गए कार्यों की गुणवत्ता और सफलता को देखकर जापान का समीक्षा दल अत्यन्त प्रभावित हुआ है। परियोजना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली संस्था जापान बैंक फोर इन्टरनेशनल कोआपरेशन (जे.बी.आई.सी.) के नई दिल्ली स्थित कार्यालय की प्रतिनिधि श्रीमती तोमोको कोइके तथा वरिष्ठ परियोजना अधिकारी श्री विनीत सरीन ने विगत 14 से 17 जनवरी तक परियोजना क्षेत्र के राजसमन्द, भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर जिलों में विभिन्न वृक्षारोपण कार्यों तथा जल संरक्षण संरचनाओं का अवलोकन कर इनकी गहन समीक्षा की और गहरा संतोष व्यक्त किया।

समीक्षा दल ने राजसमन्द जिले के पलासमा

जापान बैंक फार इंटरनेशनल कोआपरेशन दल के सदस्य वानिकी परियोजना का निरीक्षण करते हुए

गांव के समीपस्थ गूजरों का गुढ़ा वृक्षारोपण 1998, पलासमा एनीकट 1997–98, देवरिया वृक्षारोपण – 1999 तथा ओलना का खेड़ा वृक्षारोपण – 1996, भीलवाड़ा जिले के भूणास तथा सादास गांवों के समीप वन सुरक्षा समितियों द्वारा ईंधन वृक्षारोपण माडल के तहत 20–20 हैक्टेयर में चारागाह भूमि पर कराए गए वृक्षारोपण कार्यों, अजमेर जिले की किशनगढ़ रेंज में केरियों की ढाणी वृक्षारोपण–1996 तथा जयपुर जिले के विरासना वृक्षारोपण 1997–98 को मौके पर जाकर देखा तथा पौधों की वृद्धि एवं जीवित प्रतिशतता की मुक्त कंठ से सराहना की।

समीक्षा दल को परियोजना के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान में वृक्षों के प्रति गहरी श्रद्धा है। कई अवसरों पर विभिन्न प्रजाति के वृक्षों की पूजा की जाती है। परियोजना के तहत चलाए गए पंचवटी वृक्षारोपण कार्यक्रम, पीपल विवाह, वृक्षयज्ञ कार्यक्रम, कलश यात्रा तथा देववनियों की स्थापना जैसे अभिनव धार्मिक कार्यक्रमों के कारण वानिकी विकास कार्यों की सफलता में आम आदमी से प्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त हुआ है। समीक्षा दल को यह भी अवगत कराया गया कि परियोजना क्षेत्र के आठ जिलों में उपग्रह सर्वेक्षण के अनुसार पिछले दो वर्षों में लगभग 308 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन वृद्धि हुई है। यह बढ़ोतरी वन विभाग तथा वन सुरक्षा समितियों की भागीदारी से ही संभव हुई है।

दल के सदस्य अधिकारियों ने वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों की सहभागिता, सदस्यता वृद्धि, महिलाओं की भागीदारी, समिति का बैंक खाता, नियमित बैठकों का आयोजन, वन विकास तथा सुरक्षा कार्यों से ग्रामवासियों को हो रहे लाभों, उनकी भावी जरूरतों एवं समस्याओं के बारे में भी प्रत्यक्ष चर्चा कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की। ग्रामवासियों तथा सुरक्षा समितियों के सदस्यों ने उनके गांव में परियोजना के तहत अब तक करवाए गए वानिकी कार्यों को ग्रामवासियों के लिए वरदान बताया। ग्रामवासियों ने कहा कि पहले वर्ष में जब वृक्षारोपण कार्य आरंभ हुआ था, तब उन्होंने यह कल्पना भी नहीं की थी कि इन कार्यों से उन्हें इतना लाभ होगा। आज वे लोग वृक्षारोपण क्षेत्रों से न केवल अपने मवेशियों के लिए चारा, बल्कि सूखी जलाऊ लकड़ी तथा कई प्रकार की लघु वन उपज भी प्राप्त कर रहे हैं। मिट्टी का कटाव रोकने, पानी के जल स्तर में वृद्धि होने, नमी का संरक्षण, रोजगार की प्राप्ति तथा पर्यावरण में सुधार होने जैसे अनेक लाभ भी वानिकी कार्यों के फलस्वरूप ही प्राप्त होने लगे हैं। दल ने राजसमन्द जिले में पलासमा गांव की वन सुरक्षा समिति के सदस्यों से अरावली की 1316 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित जरगा जी तीर्थधाम पर आयोजित बैठक में विस्तृत चर्चा की। दल के अधिकारियों ने सुझाव दिया कि साझा वन प्रबन्ध के तहत वानिकी विकास के प्रयासों को और अधिक गति एवं सुदृढ़ता प्रदान की जाए, जिससे कि परियोजना अवधि के उपरान्त परियोजना के तहत तैयार हुई परिसम्पत्तियों को संरक्षित कर, उनसे सतत लाभ प्राप्त किया जा सके।

दल के सदस्यों ने ऐतिहासिक हल्दीघाटी स्थल पर आयोजित ग्राम वन सुरक्षा समिति बलीचा के सदस्यों तथा महिलाओं से भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने हल्दी घाटी में चैती गुलाब के फूलों से निर्मित गुलकन्द एवं गुलाब जल आदि उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया को दिलचस्पी से देखा। दोनों सदस्यों ने महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त अश्व चेतक की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। जे.बी. आई.सी. के समीक्षा दल के सदस्यों का स्थान–स्थान पर ग्रामवासियों ने पारम्परिक ढंग से हार्दिक स्वागत किया।

समीक्षा बैठक एवं वानिकी प्रदर्शनी

प्रदेश में वन संवर्धन एवं संरक्षण की महत्वाकांक्षी योजना वानिकी विकास परियोजना के प्रमुख उद्देश्यों तथा निर्धारित भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है। राज्य के पन्द्रह जिलों – कोटा, बून्दी, बारां, झालावाड़, करौली,, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, राजसमन्द, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक एवं डूंगरपुर जिलों में जापान सरकार की वित्तीय संस्था जापान बैंक फोर इन्टरनेशनल कॉपरेशन (जे.बी.आई.सी.) के आर्थिक सहयोग से वर्ष 1995–96 से आरम्भ हुई इस परियोजना के तहत अब तक 148 करोड़ रुपये से अधिक की राशि व्यय हो चुकी है।

परियोजनाओं में 55 हजार हैक्टेयर में वृक्षारोपण के लक्ष्य के मुकाबले 55 हजार 578 हेक्टेयर में विभिन्न माडलों में वृक्षारोपण कार्य करवाया गया है। इसी प्रकार 7 करोड़ 66 लाख पौधों का वितरण, 252 उन्नत शवदाह गृहों तथा 571 मृदा और जल संरक्षण संरचनाओं (एनीकटों) का निर्माण कार्य भी करवाया गया है।

सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी
वानिकी विकास परियोजना
कोटा (राज.)

कुरुक्षेत्र मंगाने का पता

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक प्रकाशन विभाग
ईस्ट ब्लाक–4 लेवल–7
आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

ग्रामीण क्षेत्रों में एड्स के खिलाफ लड़ाई

अजित कुमार

कोई छह महीने पहले, प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के अग्रणी उद्योगपतियों से सरकार के साथ मिलकर देश में एच.आई.वी./एड्स के फैलाव पर रोक लगाने और समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को कम से कम करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया था। उन्होंने सुझाव दिया था कि व्यापार क्षेत्र को पारम्परिक उद्योग संस्थाओं और व्यापार समूहों से परे सहयोग के मंच बनाने चाहिए। इनमें सभी बड़े, मध्यम और छोटे उद्योगों का प्रतिनिधित्व हो, जो इस राष्ट्रीय प्रयास में हाथ बटाएं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लड़ाई चार मोर्चों पर लड़ी जा सकती है :

पहला, लोगों की जानकारी को बढ़ाना, क्योंकि एच आई वी/एड्स का कोई इलाज नहीं है। इसका एकमात्र इलाज इसकी रोकथाम ही है।

दूसरा, रोग के फैलाव को रोकने के लिए संस्थागत और प्रशासनिक उपाय करना।

तीसरा, रोग के वायरस से प्रभावित लोगों की देखभाल करना और उन्हें सहारा देना तथा यह देखना कि उनके प्रति कोई भेदभाव न हो और उनकी गरिमा को ठेस न पहुंचे।

चौथा, एच आई वी/एड्स की रोकथाम और इलाज के लिए व्यापारिक घरानों द्वारा अनुसंधान पर ध्यान देना।

स्थिति की गम्भीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ग्रामीण इलाकों में प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। काम की तलाश में दूसरी जगहों पर चले जाने वाले प्रवासी मजदूर अपने प्रवास के दौरान वेश्याओं के कोठों पर जाते हैं और इस रोग से संक्रमित हो जाते हैं तथा वापिस अपने घर लौटने पर अनजाने में ही अपनी पत्नियों को भी यह रोग दे बैठते हैं। दुख की बात तो यह है कि ये लोग कंडोम का इस्तेमाल अभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि इसे वे दूरदराज की इस जगह पर काम क्रीड़ा के आनंद में बाधक समझते हैं। जानकारी की कमी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार मानी जा सकती है, जिसकी वजह से वे यह रोग पाल बैठते हैं।

प्रधानमंत्री ने इस रोग के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील इन प्रवासी श्रमिकों के लिए हस्तक्षेप कार्यक्रमों के महत्व पर जोर दिया था। जनसंख्या के इस वर्ग के कार्य और जीवन–स्थितियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने व्यापारिक समुदाय से एच आई वी/एड्स की रोकथाम का संदेश इस असंगठित क्षेत्र तक पहुंचाने और उनके कार्य स्थल तथा रहने की जगह के आस–पास स्वास्थ्य, साफ–सफाई और सामान्य स्थितियों के अनुसार सुधार करने का आग्रह किया। उन्होंने ट्रक आपरेटरों, गैराजों और सड़क के किनारे छोटे–छोटे ढाबों में काम करने वालों को कारगर ढंग से इस अभियान में शामिल करने पर भी जोर दिया।

सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

1986 में देश में एच आई वी/एड्स के पहले मामलों का पता लगाने के बाद, सरकार ने समस्या की गम्भीरता को पहचाना तथा इस महामारी से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए। अफ्रीकी देशों में एड्स महामारी का रूप धारण कर चुकी थी और विश्व में कई देशों में यह फैल रही थी। भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए और उच्च जोखिम वाली जनसंख्या प्रायोगिक जांच शुरू की। 1986 में एक उच्च स्तरीय एड्स समिति स्थापित की गई और 1987 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया।

आरम्भिक वर्षों में इस कार्यक्रम में अधिक संख्या में जन संचार कार्यक्रमों, रक्ताधान के लिए खून की जांच और महामारी के केन्द्रों में निगरानी गतिविधियां चलाने के जरिए जन–चेतना फैलाने पर जोर दिया गया।

शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों, रक्त सुरक्षा उपायों, अस्पताल संक्रमण पर नियंत्रण, एच आई वी/एड्स की रोकथाम के लिए कंडोमों के इस्तेमाल को बढ़ावा, रतिज रोगों व एच आई वी/एड्स दोनों ही के लिए वैधानिक सेवाओं को मजबूत बनाने में तेजी 1992 में ही जाकर आ पाई।

बेहतर समन्वय और भागीदारी के प्रधान मंत्री के विचारों को मूर्त रूप देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आगे की कार्यवाही होनी चाहिए। उनके सुझाव थे :

- प्रचार और भागीदारी के उद्देश्य से सरकारी एजेंसियों, व्यापार संघों, स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक संस्थाओं के बीच तालमेल;
- जागरूकता उत्पन्न करने के लिए व्यापारिक विज्ञापनों व जन–संचार साधनों का इस्तेमाल;
- कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं के वास्ते धन;
- कर्मचारियों तथा स्थानीय समुदाय के सदस्यों को आसानी से कंडोम उपलब्ध कराना;
- रोजगार पूर्व डाक्टरी परीक्षण के दायरे से एच आई वी को जांच हटाना;
- कार्यस्थलों में भेदभाव को दूर करना तथा कार्यस्थल पर कारगर हस्तक्षेप कार्यक्रमों की शुरूआत;
- नशीले पदार्थों की लत के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान में शामिल होना;
- एच आई वी/एड्स से संक्रमित व पीड़ित कर्मचारियों के परिवारों के लिए आय–अर्जक

गतिविधियां शुरू करना।

गांवों के लिए भिन्न रणनीतियां बनानी होंगी। वहां रेडियो की प्रमुख भूमिका होगी। इसके लिए नुक्कड़ नाटकों, तमाशों, नृत्य–नाटिकाओं, रेलों जैसे पारम्परिक माध्यमों का इस्तेमाल करना होगा। इस बात का भी उचित प्रचार करना होगा कि अपने साथी के प्रति निष्ठा बनाए रखने से सुरक्षा की संभावनाएं सर्वाधिक होती हैं। लोगों को विश्वास में लेना होगा और अभियान में स्कूली बच्चों को भी शामिल करना होगा। इसके लिए साक्षरता मिशन के साथ उचित समन्वय भी करना होगा।

एक ऐसा माहौल बनाना होगा, जिसमें अपनी यौन समस्याओं के बारे में लोग डाक्टरों व परामर्शदाताओं से सलाह लेने आगे आएं। गांवों के शिक्षित लोग इस अभियान के लिए सबसे अधिक कारगर साधन सिद्ध हो सकते हैं। पतंगों या हिंदी में बोर्ड पर प्रचार तथा डाक्टरों, सलाहकारों व ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मचारियों के नियमित दौरों पर जोर दिया जाना चाहिए। इस माहौल में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिसके बिना इस रोग द्वारा होने वाले नुकसान की उस मात्रा व गम्भीरता का पता लगाना काफी मुश्किल होगा, जो अर्थव्यवस्था और प्रभावित व्यक्तियों के स्वास्थ्य को इससे पहुंचता है।

शहरी और ग्रामीण इलाकों में रतिज रोगों की दरें इस प्रकार हैं :

- उच्च संभावना वाले राज्यों में रतिज रोगों के फैलाव की दर 10 प्रतिशत, मध्यम संभावना वाले राज्यों में 7 प्रतिशत और निम्न संभावना वाले राज्यों में 5 प्रतिशत होगी। पुरुषों व स्त्रियों दोनों के लिए दरें एक जैसी होंगी।
- सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण जनसंख्या में फैलाव दर 5 प्रतिशत होगी। उच्च जोखिम जनसंख्या में एच आई वी अनुसंधानों के लिए सभी राज्यों में शहरी और ग्रामीण अनुपात 3 प्रतिशत होगा। इसी तरह, सभी राज्यों में निम्न जोखिम जनसंख्या में एच आई वी फैलाव दर का शहरी व ग्रामीण उनुपात 8:1 होगा।

शहरी–ग्रामीण और पुरुष–स्त्री अनुपात का औचित्य इस प्रकार होगा –

माना जाता है कि एच आई वी का प्रसार शहरों से गांवों की ओर होता है तथा एच आई वी फैलाव के अत्यंत उच्च स्तरों पर भी यह अनुपात बना रहता है।

जहां तक इलाज का सम्बन्ध है, कुछ दवाएं आई हैं, जो इस रोग का इलाज करने या काफी हद तक इसे नियंत्रित कर सकती हैं, लेकिन इनका खर्च गरीबों के बूते से बाहर है जबकि गरीब को ही एड्स होने की सर्वाधिक संभावना रहती है।

इस रोग और दवाओं की कीमतों से चिंतित विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डा. ग्रो हार्लेम ब्राइटलैंड ने 14 फरवरी 2001 के "इंटरनेशनल हेरल्ड ट्रिब्यून" में सस्ती एड्स दवाएं बूते के भीतर हैं (अफोर्डेबल एड्स ड्रग्स आर विदिन रीच) शीर्षक से लिखा है : "एक साल पहले, एड्स के बढ़ने की प्रक्रिया को धीमी करने के लिए जरूरी दवाओं की कीमतें अधिकांश अफ्रीकी, लैटिन अमरीकी और एशियाई लोगों या उनकी सरकारों के बूते से एकदम बाहर थीं। प्रतिव्यक्ति 10 से 15 हजार डालर की इन दवाओं का खर्च उठाना हरेक के बस की बात नहीं थी और एच आई वी के रोगियों के उपचार को अपनी स्वास्थ्य सुविधा प्रणाली में शामिल करने के लिए विकासशील देशों की कोई खास इच्छा भी नहीं थी। आज एंटीरेट्रोवायरस का संयोजित औषधि उपचार कुछ अफ्रीकी देशों में लगभग 1000 डालर प्रति रोगी प्रति वर्ष के पहले की तुलना में दसवें हिस्से के खर्च पर उपलब्ध हो गया है। जेनेटिक औषधियां तैयार करने वाली एक दवा कम्पनी के पिछले सप्ताह के प्रस्तावों पर अगर गौर करें तो ये संयोजन उपचार अफ्रीका में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 600 डालर या उससे भी कम पर उपलब्ध कराया जा सकता है।"

उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इन दवाओं की कीमतें और भी कम होंगी। साथ ही इनकी कीमतें कम करने की कोशिशों की जरूरत पर भी उन्होंने बल दिया है।

अनुवाद : जया ठाकुर

लेखकों से

कुरुक्षेत्र के लिए मौलिक लेख, कहानी, कविता, संस्मरण, लघुकथा आदि रचनाएं टाइप कराकर दो प्रतियों में भेजिए। रचनाओं के साथ मौलिकता का प्रमाणपत्र संलग्न होना चाहिए। जिन रचनाओं के साथ ऐसा प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होगा, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाना न भूलें। सभी रचनाएं संपादक, *कुरुक्षेत्र*, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001 के पते पर भेजें।

— सम्पादक

झारखण्ड के वन–क्षेत्रों में पर्यटन संभावनाएं

अंकुश्री

प्राकृतिक हरियाली से परिपूर्ण झारखण्ड की धरती विशेषताओं से भरी–पूरी है। इसका अधिकतर भाग वनों से आच्छादित है। इन वनों में और वनों से बाहर भी अनेक प्रकार की विशेषताएं भरी हुई हैं।

वनों, पहाड़ों झरनों, खादानों, उद्योगों और संस्थानों के कारण इस क्षेत्र का महत्व पहले भी अधिक था। किंतु 15 नवंबर, 2000 को

वन्यप्राणियों की बहुलता और विविधता झारखण्ड की विशेषता है। पूरे देश में मध्य प्रदेश के बाद झारखण्ड का ही नाम वन्यप्राणियों की विविधता के लिए लिया जाता है। यहां के गैंडा और जंगली भैंसा जैसे विशाल वन्यप्राणी भले विलुप्त हो गए हों मगर अब भी ऐसे वन्यप्राणियों की यहां कमी नहीं है जिन्हें देश में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है

झारखण्ड अलग राज्य घोषित हो जाने के बाद इसका महत्व और बढ़ गया है। इस क्षेत्र का अब बहुमुखी विकास होने की संभावना बढ़ गई है। अनेकानेक संभावनाओं में पर्यटन भी महत्वपूर्ण है। यहां ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक, औद्योगिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की बहुलता है।

यह क्षेत्र चूंकि वनों की प्रचुरता का क्षेत्र है, इसलिए यहां वन्यप्राणियों से जुड़े अनेक प्राकृतिक पर्यटन स्थल हैं। ऐसे स्थलों में झारखण्ड की वन्यप्राणी आश्रयणियां प्रमुख हैं।

वन्यप्राणियों की बहुलता और विविधता झारखण्ड की विशेषता है। पूरे देश में मध्य प्रदेश के बाद झारखण्ड का ही नाम वन्यप्राणियों की विविधता के लिए लिया जाता है। यहां के गैंडा और जंगली भैंसा जैसे विशाल वन्यप्राणी भले विलुप्त हो गए हों मगर अब भी ऐसे वन्यप्राणियों की यहां कमी नहीं है जिन्हें देश में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, राष्ट्रीय प्राणी शेर राज्य के पलामू, हजारीबाग और सिंहभूमि के जंगलों में पाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर ठहरा उड़ता–फिरता प्राणी भी है। पलामू, सिंहभूमि, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में यह सर्वाधिक पाया जाता है।

हाथी धरती पर विचरण करने वाला विशालतम जीवित प्राणी है। इसकी विशेषता है कि इसका कोई निश्चित निवास स्थल नहीं होता। वैसे तो सभी वन्यप्राणी घुमक्कड़ होते हैं मगर हाथी उस मामले में कुछ ज्यादा ही आगे है। एक जगह नहीं रह कर यह इस जंगल से उस जंगल में घूमता रहता है। इसका प्रमुख कारण है भोजन की तलाश। जब जंगल में आहार नहीं मिल पाता तो यह वहां से पलायन कर जाता है और भटक जाता है गांवों की ओर, खेतों के बीच, उसके बाद ग्रामवासियों के बीच हो–हल्ला होने लगता है। खेत, घर और जान–माल की क्षति के कारण ग्रामवासी परेशान होने लगते हैं। बेतला, दालमा, हजारीबाग, धनबाद, सिंहभूमि, रांची आदि में सैकड़ों हाथी पाए जाते हैं।

सांभर भारत का सर्वाधिक बड़ा हिरण है। पलामू, हजारीबाग आदि के जंगलों में हजारों सांभर पाए जाते हैं। गाय से मिलता–जुलता मगर उससे बड़ा और बलिष्ठ प्राणी – गौर पलामू आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। इस राज्य में जंगली सूअर भी हजारों की संख्या में हैं।

झारखण्ड के प्रायः हर जंगल में तेंदुआ पाया जाता है। यह शेर से भी खतरनाक जानवर है, क्योंकि बिल्ली की तरह किसी पेड़ पर चढ़ जाना और ऊपर से अचानक छलांग लगा देना इसकी विशेषता है। इस गुण के कारण जंगल के जानवर इससे भयभीत रहते हैं।

मदारी सड़कों पर लबादा ओढ़े भालू का खेल आए दिन दिखाता रहता है। झारखण्ड के जंगलों और उसके निकटवर्ती इलाकों में सैकड़ों की संख्या में भालू पाए जाते हैं। मदारी बंदरों का भी नाच दिखाता फिरता है। बंदर जंगली और गैर–जंगली क्षेत्रों में बहुसंख्या

झारखण्ड के प्रायः हर जंगल में तेंदुआ पाया जाता है। यह शेर से भी खतरनाक जानवर है, क्योंकि बिल्ली की तरह किसी पेड़ पर चढ़ जाना और ऊपर से अचानक छलांग लगा देना इसकी विशेषता है। इस गुण के कारण जंगल के जानवर इससे भयभीत रहते हैं।

में पाये जाते हैं। बंदरों की तरह लंगूर भी झारखण्ड के जंगली और गैर–जंगली क्षेत्रों में बहुसंख्या में पाया जाता है।

हमारे पालतू कुत्ते की तरह जंगलों में भी एक प्रकार का कुत्ता पाया जाता है, उसे जंगली कुत्ता कहते हैं। पलामू, दालमा, हजारीबाग आदि जंगलों में यह सैकड़ों की संख्या में है। यह अपनी सामूहिक शक्ति के लिए विख्यात है। अपनी एकता के बल पर यह अपने से बड़े जानवरों को भी मार डालता है।

पूर्वी सिंहभूमि का जमशेदपुर नगर लौह नगरी के नाम से प्रख्यात है। लौह नगरी की धमनभट्टियों के निकटवर्ती क्षेत्र दलमा में प्रकृति ने वन्य प्राणियों की एक अच्छी आश्रयणी प्रदान की है। यहां अनेक प्रकार के वन्यप्राणी पाए जाते हैं जिनमें हाथी, कोटरा, तेंदुआ,

लंगूर, बंदर, माउस, डियर, जंगली सूअर, भालू, भेड़िया, जंगली कुत्ता, लकड़बग्घा, मोर, जंगली मुर्गी, आदि पाए जाते हैं। दालमा आश्रयणी को हाथियों के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। हाथी दर्शन हेतु कुछ सुरक्षित जगह बनी हुई हैं।

सारण्डा पश्चिमी सिंहभूमि का एक प्रमुख प्राकृतिक स्थल है। यहां का साल–वन न केवल झारखण्ड क्षेत्र में बल्कि पूरे एशिया में अपने आप में अकेला है। यहां भी तरह–तरह के वन्यप्राणी पाए जाते हैं। यातायात की अनेक सुविधाएं विकसित हो जाने के बावजूद सारण्डा के वन अब भी सुरक्षित प्रायः हैं।

जिस तरह साल वन के लिए सारण्डा को पहचाना जाता है, उसी तरह वन्यप्राणियों की विभिन्नता और बहुलता के लिए पलामू स्थित बेतला को जाना जाता है। 1972 में यहां 'प्रोजेक्ट टाइगर' की स्थापना के बाद तो यह क्षेत्र वन्यप्राणियों का स्वर्ग और पर्यटकों का तीर्थस्थल बन गया है। 980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए टाइगर रिजर्व में शेरों के अलावा हाथी, तेंदुआ, गौर, जंगली सूअर, सांभर, चीतल, बंदर, भालू आदि वन्यप्राणी बहुतायत में पाए जाते हैं। यहां मोर, धनेश, वनमुर्गी आदि अनेक प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं। जो पूरे क्षेत्र को अपने मधुर कलरव से गुंजायमान किए रहते हैं।

झारखण्ड में वन्यप्राणियों की अनेक आश्रयणियां हैं, मगर सभी पर्यटन सुलभ नहीं हैं। बेतला (पलामू), हजारीबाग, कोडरमा, तोपचांची (धनबाद), लावालौंग (हजारीबाग) महुआडांड़ (पलामू), दालमा (पूर्वी सिंहभूमि), पारसनाथ (गिरिडीह), पालकोट (गुमला) आदि स्थलों में वन्यप्राणियों को प्राकृतिक अवस्था में देखा–परखा जा सकता है।

राज्य में कुछ स्थल ऐसे हैं, जहां वन्यप्राणियों को लाकर रखा गया है। ऐसे चिड़िया घर या जैविक उद्यान हैं – भगवानबिरसा जैविक उद्यान, चकला (ओरमांझी, रांची), भगवान् बिरसा मृग विहार, कालामाटी (चाईबासा रोड, रांची), मगर प्रजनन केन्द्र, मूटा (ओरमांझी, रांची), जवाहर लाल चिड़ियाखाना, बोकारो स्टील सिटी (बोकारो), साकची चिड़ियाखाना (जमशेदपुर) आदि।

वन्यप्राणियों और वनों की शोभा के साथ ही वनों में फैली अन्य प्राकृतिक विशेषताएं भी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। झारखण्ड क्षेत्र में अनेक जल प्रपात पाए जाते हैं। नेतरहाट से आगे सदनी जल प्रपात (बूढ़ाघाघ) और रांची–जमशेदपुर मार्ग पर बुण्डू के निकट दाहिनी ओर दशम जल प्रपात है। रांची चाईबासा मार्ग पर बन्दगांव के निकट बायीं ओर हिरणी जल प्रपात है। उसी मार्ग में ब मुरहू के निकट पड़ेवा जल प्रपात है। रांची पुरुलिया मार्ग पर अनगड़ा से आगे हुण्डरू जलप्रपात है।

प्राचीन काल से झारखण्ड बाहरी लोगों के लिए आकर्षण का क्षेत्र रहा है। प्राकृतिक रमणीयता और खनिज की प्रचुरता इसका कारण रहा होगा। चाहे जो भी हो, बाहर से आए लोगों ने इस क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया। जमशेदजी टाटा ने आकर लोहे का कारखाना निर्मित किया, जो आज विकसित होकर लौह नगरी का रूप ले चुका है, जहां देशी–विदेशी हजारों पर्यटक आते रहते हैं। भारी इंजीनियरी निगम के निर्माण में भी देश के बाहर रूस से आए हुए अभियंताओं के योगदान के लिए यह क्षेत्र हमेशा ऋणी रहेगा। बोकारो इस्पात संयंत्र हो या भारतीय इस्पात प्राधिकारण का 'मेकन' और 'रिसर्च एण्ड डिजाईन', ये सभी दूर–दूर से आए हुए लोगों की ही देन हैं। औद्योगीकरण और नगरीकरण ने इस क्षेत्र के विकास और पर्यटन संभावनाओं को और बढ़ा दिया है। उद्योगों और नगरों के विकास के परिणामस्वरूप सड़कों का विकास हुआ ही। बाहरी लोगों का आना–जाना और बढ़ गया, जो पर्यटन का मुख्य आधार है।

पर्यटकों द्वारा ही किसी क्षेत्र की संस्कृति की पहचान की जाती है। कतारबद्ध आदिवासियों का हाथ में हाथ डाले नृत्य हो या मुखौटा पहने करतब दिखाने वाला नृत्य पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। जंगली फूलों की सुगन्धों के बीच मान्दर की थाप पर थिरकते पांवों की पहचान पर्यटन–विशेषता के रूप में की जा सकती है। राजस्थान आदि राज्यों में लोक नृत्य को पर्यटकों के लिए उपयोगी प्रस्तुति बनाया गया है। इससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला है।

बाहर से आई ईसाई मिशनरीज ने भी इस क्षेत्र के विकास में काफी योगदान दिया है। इतने घने जंगलों के बीच जाकर वहां रहने वालों के बीच औषधि, वस्त्र, शिक्षा आदि का वितरण कर उन्हें जीना सिखाया। बाहरी पर्यटक यहां आते रहे हैं।

झारखण्ड में समय–समय पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के मेलों को भी पर्यटन–महत्व प्रदान किया जा सकता है। नंगे पांव आग पर चलना, हूक और सुए से पीठ और जीभ को बींधकर भार खींचना कुछ आदिवासियों की पारंपरिक एवं धार्मिक विशेषता है, जिसका प्रदर्शन वे समय–समय पर करते रहते हैं। तमाड़ क्षेत्र में श्रवण मास शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाला नागपंचमी का पर्व कई दिनों तक चलता है। इनको पर्यटकों के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है।

समूचे झारखण्ड क्षेत्र में पुरातात्विक एवं प्राचीन महत्व के कई स्थल फैले हुए हैं। इन स्थलों को पर्यटकों के लिए विकसित किया जा सकता है। स्वाधीनता संग्राम से जुड़े अनेक शहीदों, जैसे बाबा तिलका मांझी, पाण्डेय गनपत राय, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, शेख भिखारी, टिकैत, उमराव सिंह, वीर बुधु भगत, बिरसा मुण्डा, गया मुण्डा, जतरा भगत आदि के स्मारकों को भी पर्यटन–महत्व प्रदान किया जाना संभव है।

रजरप्पा (हजारीबाग) स्थित मां छिन्नमस्तिका का मंदिर एक सिद्ध तांत्रिक पीठ है। वासुकीनाथ (दुमका) और बैद्यनाथ धाम (देवघर) सिद्ध स्थल हैं। यहां शिव भक्तों की यों तो साल भर भीड़ लगी रहती है, लेकिन श्रावण मास में विशेष भीड़ जुट जाती है और विश्व का विशालतम मेला लग जाता है। आंजन गांव (गुमला) में हनुमान जी का जन्म हुआ बताया जाता है। रामरेखा धाम (सिमडेगा) रामकथा से संबंधित है। रांची–जमशेदपुर मार्ग पर तमाड़ के निकट स्थित देऊरी मंदिर में मां दुर्गा की सोलहभुजी प्रतिमा अति प्राचीन है। दुमका के निकट तारापीठ एक सिद्ध स्थल है, जहां तांत्रिकों की भीड़ लगी रहती है। पालकोट (गुमला) में भी पर्यटन महत्व के अनेक स्थल हैं, जिनका विकास अपेक्षित है।

पर्यटक स्थलों को विकसित करने और पर्यटकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में हुए खर्च की भरपाई पर्यटन उद्योग से ही हो जाएगी। जरूरत है, सिर्फ सरकारी और गैर–सरकारी संस्थानों द्वारा इस हेतु पहल करने की। तब हम शान से कह सकेंगे कि झारखण्ड भी पर्यटकों को आकर्षित करने में किसी राज्य से कम नहीं है।

सी. 204, लोअर हिनू,
रांची – 834002

शाक–सब्जी खाइए, रोग भगाइए और स्वस्थ रहिए

जितेन्द्र सिंह* एवं डा. डी.के. सुजान**

हमारे दैनिक जीवन में सब्जियों का बड़ा महत्व है। बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक सभी लोगों के आहार में सब्जियों का समावेश, उन्हें आजीवन स्वस्थ बनाए रखने के लिए नितान्त आवश्यक है। भारत जैसे देश में, जहां की अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है, सब्जियों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। आहार को पौष्टिक और सन्तुलित बनाने में शाक–सब्जियों का प्रमुख स्थान है क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जीवन तत्व, (विटामिन्स) एवं खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सन्तुलित आहार के द्वारा हम अपने को पूर्ण रूप से बिना किसी औषधि के शारीरिक एवं मानसिक रूप से आजीवन स्वस्थ एवं तरो–ताजा रख सकते हैं। महान दार्शनिक और महापुरुष इन्सान के स्वास्थ्य को ही सर्वश्रेष्ठ धन मानते थे। इसी शरीर के माध्यम से हम अपने समस्त अच्छे बुरे कार्यों का सम्पादन करते हैं। जब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होते तो किसी कार्य करने की हमारी क्षमता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हम कोई भी अपना कर्म दक्षतापूर्वक नहीं कर पाते। मात्र किसी न किसी पोषक तत्व की कमी या अधिकता से अधिकतर बीमारियां होती हैं। यदि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा भी सचेत रहें तो बहुत ही कम पैसे से मौसमी शाक–सब्जी का सेवन करके अपनी किसी भी बीमारी का पूरी तरह से निदान कर सकते हैं। सन्तुलित पौष्टिक आहार में वो सभी पोषक तत्व रहते हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। सन्तुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, रेशा, पानी और खनिज पदार्थों में

* वरिष्ठ शोध छात्र

** रीडर, प्रसार शिक्षा विभाग, कृषि विज्ञान संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

15 तत्वों का होना आवश्यक होता है। जिनमें लोहा, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटैशियम, क्लोरीन, सल्फर, मैंगनीज, ब्रोमीन, कापर, कोबाल्ट, जिंक तथा आक्सीजन आदि आते हैं। इनकी थोड़ी भी कमी से मानसिक विकार के साथ–साथ नाना प्रकार की बीमारियां मनुष्य को घेर लेती हैं। फलों की अपेक्षा हरी शाक–सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए दैनिक आहार में इनका सन्तुलित मात्रा में सम्मिलित करना बहुत ही आवश्यक है जिससे शरीर के सभी कार्य सुचारु रूप से होते रहे। हरी शाक सब्जियां शरीर की ताजगी और भूख को बढ़ाती हैं और पाचन शक्ति को ठीक बनाए रखती हैं। इनसे मनुष्य विभिन्न प्रकार की बीमारियों से दूर रहने के साथ–साथ शरीर की बाहरी त्वचा, रूप रंग और केश आदि प्राकृतिक रूप से कान्तिमय एवं आकर्षक दिखते हैं।

आहार विशेषज्ञों के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन सन्तुलित आहार में 300 ग्राम सब्जी (जिसमें 70 ग्राम जड़ों वाली, 115 ग्राम पत्तियों वाली एवं 115 ग्राम अन्य सब्जियों को सम्मिलित करना चाहिए। पोषक तत्वों के प्रचुरतम स्रोत निम्नलिखित हैं –

कार्बोहाइड्रेट : यह शरीर को ऊर्जा या शक्ति प्रदान करता है। भोजन को स्वादिष्ट बनाता है और आहार में रेशा प्रदान करता है। इसके मुख्य स्रोत हैं आलू, अरबी, शकरकन्दी, चुकन्दर, जिमीकन्द, मटर, ग्वार की फली, गाजर, प्याज, कमल ककड़ी, सेम, ब्रुसल्स स्प्राउट, सूखा लहसुन, करी पत्ता इत्यादि।

प्रोटीन : यह भी शरीर को शक्ति प्रदान करता है। नए तन्तुओं का निर्माण करता है। शरीर की वृद्धि करता है। एन्जाइम और हार्मोन्स का निर्माण करता है। शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है जैसे रक्त के प्रभाव को ठीक प्रकार से क्रियान्वित करता है, रोग निवारण शक्ति को बढ़ाता है। इसके मुख्य स्रोत हैं मटर, सभी प्रकार की सेम, ब्रुसल स्प्राउट, लोबिया, चौलाई, सरसों, मेथी, कुल्फा, ग्वार की फली, बथुआ, करी पत्ता, धनिया, गोभी के पत्ते, अरबी के पत्ते, शलजम के पत्ते इत्यादि।

वसा : ये शरीर में संचित आहारीय पदार्थ के रूप में मिलते हैं। और ये कोमल अंगों की रक्षा करते हैं। वसा कैलोरी ऊर्जा का सान्द्र रूप है। तथा लिपिड का कार्य अस्तर के रूप में करता है। लिपिड आवश्यक वसा अम्ल का पूरक है। लिपिड आहारीय मूल्य बढ़ाता है और ये आहार को स्वादिष्ट बनाने का भी कार्य करते हैं। इसके मुख्य स्रोत हैं जैसे सेम के बीज, पत्ते व फली वाली सब्जी, स्वांजना के पत्ते , गांठ गोभी, अरबी के पत्ते, शलजम के पत्ते, करौंदा, टमाटर इत्यादि।

विटामिन (जीवन रक्षक तत्व)

विटामिन 'ए' : नेत्र सम्बन्धी रोगों की एवं उनकी ज्योति को बढ़ाने का कार्य करता है पाचन संस्थान के लिए उपयोगी है। शरीर की वृद्धि के लिए प्रयोग में आता है। दांत व मसूड़ों को मजबूत रखता है। मूत्र नलियों में पथरी बनने की सम्भावना को कम करता है। जिससे आज कल बहुत लोग चपेट में आ रहे हैं। श्वांस संस्थान को ठीक रखता है। प्रजनन ग्रन्थियों को सुचारुरूप से रखता है। स्नायु संस्थान को ठीक रखता है और प्रोटीन के बनाने में भी सहयोग करता है। इसके मुख्य स्रोत हैं गाजर, पका टमाटर, पालक, शलजम के पत्ते, सरसों का साग, चौलाई, धनिया, अरबी के पत्ते, पीली शकरकंदी, लेट्यूस, शिमला मिर्च, पुदीना, कुल्फा, बथुआ, चुकन्दर के पत्ते, मूली के पत्ते, करी पत्ता, स्वांजना के पत्ते इत्यादि।

विटामिन 'डी' : यह शरीर की उचित वृद्धि करता है। अस्थियों के विकास और दांतों को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है। कैल्शियम और फास्फोरस को देह में शोषण करने में सहायता करता है। स्तनपान कराने वाली एवं गर्भवती स्त्रियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका मुख्य स्रोत सम्पूर्ण जगत को अंधेरे से उजियारे में बदलने वाले सूर्य देवता जी हैं जो निःशुल्क निस्वार्थ हम सबको यह विटामिन प्रदान करते हैं जो कि सूर्योदय के समय कुछ मिनटों तक तो बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है। इसकी पूर्ति हम मात्र कुछ मिनट सुबह सूर्योदय के समय धूप में खड़े होकर कर सकते हैं।

विटामिन 'ई' : यह स्त्रियों एवं पुरुषों में प्रजनन क्षमता बनाए रखता है। यह शरीर की ताप सहन शक्ति बढ़ाता है। स्नायु एवं मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए भी यह अत्यन्त आवश्यक है। यह गर्भवती महिलाओं के गर्भ की रक्षा और वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। व्यक्ति में कैरोटीन से विटामिन 'ए' के परिवर्तन के लिए विटामिन 'ई' की उपस्थिति आवश्यक है तथा विटामिन 'ए' को सुरक्षित रखता है। हमारी देह में विटामिन 'ई' पिट्यूट्री, एड्रिनल और अण्डग्रन्थियों की क्रिया सम्पादन के लिए भी आवश्यक हैं इसका मुख्य कार्य सन्तानोत्पत्ति शक्ति में मदद पहुंचाना है। इसके अभाव में मांसपेशियों का विकास सुचारु रूप से नहीं हो पाता है और इसके अभाव में हृदय गति ठीक प्रकार से नहीं चल पाती है जिसके कारण शारीरिक क्रियाओं में व्यवधान पहुंचता है। इसके मुख्य स्रोत हैं सिंघाड़ा, पत्तेदार व अन्य हरी सब्जियां, लेट्यूस, शलजम के पत्ते इत्यादि।

विटामिन 'के' : यह प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में एवं रक्त के थक्का जमाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रोथ्रोम्बिन के लिए रक्त में विटामिन 'के' की उचित मात्रा का होना आवश्यक है। जिगर के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए विटामीन 'के' का होना आवश्यक है। इसके मुख्य स्रोत हैं जैसे सिंघाड़ा, टमाटर, मेथी, पालक, फूल गोभी के पत्ते, आलू, स्पीनेच, शलजम के पत्ते, पेठा इत्यादि।

विटामिन 'सी' : विटामिन 'सी' से हमारी देह में संक्रामक रोगाणुओं से संघर्ष करने की क्षमता आ जाती है। यह हमारी देह की शुद्ध अस्थियों और दांतों को सशक्त और विकसित करता है। शरीर में लौह की मात्रा के अवशोषण में सहायक होता है तथा शरीर को स्फूर्ति प्रदान करता है। रक्तवाहिनियों को शक्तिशाली और मजबूत बनाता है। यह नेत्रों की ज्योति बढ़ाने व कण्ठ को नीरोग रखने में सहायता प्रदान करता है। यह स्कर्वी रोग से मुक्ति मिलाने के लिए अति आवश्यक विटामिन है। यह चोट का घाव भरने में सहायक होता है तथा मसूड़ों से खून बहना, सूजन, तथा शरीर के और हिस्सों की सूजन को कम करता है और शरीर की कमजोरी दूर करता है। इसके मुख्य स्रोत हैं सिंघाड़ा, शिमला मिर्च, हरी मटर, सरसों का साग, शलजम के पत्ते, सेम, बंदगोभी, हरी मिर्च, पुदीना, गाजर, मूली के

पत्ते, धनिया, गांठगोभी, कुल्फा, करेला, चौलाई, स्वांजना की पत्ती, आलू, ब्रूसल स्प्राउट, फूलगोभी इत्यादि।

विटामिन 'बी1' : यह वसा वाले आहारीय पदार्थों के पूर्ण पाचन, शोषण और ज्वलन कार्य में सहायता प्रदान करता है। यह हमारी देह के पाचन अंगों को भी स्वस्थ रखता है। हमारे रक्त में रोगाणुओं से संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करता है। यह स्नायु संस्थान और हृदय सम्बन्धी रोगों से सुरक्षा करता है। इसके मुख्य स्रोत हैं मूली के पत्ते, चुकन्दर, हरी मिर्च, कुल्फा, सेम, पालक, शलजम के पत्ते, वलफली, आलू हरी मटर, सरसों का साग इत्यादि।

विटामिन 'बी2' : इसके कार्य विटामीन बी1 से मिलते जुलते हैं। यह कार्बोज और वसा के उपापचय में मदद करता है तथा शरीर से ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है। यह शारीरिक विकास में सहायक होता है। यह दूसरे दैहिक एन्जाइमों से मिलकर देह की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेता है। यह आक्सीकारी प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। और कोशिकाओं के लिए आवश्यक है। एवं स्वस्थ आंखों के लिए आवश्यक है। इसके मुख्य स्रोत हैं जैसे लेटूस, करी पत्ते, बैंगन, कुल्फा, फूलगोभी, अरबी के पत्ते और अरबी, चौलाई, बथुआ, मूली के पत्ते, पालक, शलजम के पत्ते, सेम, धनिया, सरसों का साग, लोबिया, टमाटर, गाजर इत्यादि।

विटामिन 'बी3' : यह भी विटामिन बी1 और बी2 के समान ही हमारे शरीर में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट अथवा श्वेतसार के उपापचय में मदद करते हैं। यह औषजनीकरण के लिए बहुत आवश्यक है। यह मधुमेह के रोगियों में इन्सूलिन के प्रभाव को बढ़ाता है। यह स्नायु कोषों, रक्त कोषों को स्वस्थ और उचित क्रियाओं के लिए आवश्यक है। यह दमा की भी अचूक दवा है। चोट, बुखार, उल्टी तथा अन्य खराबी में यह शरीर को शक्ति प्रदान करता है। इसमें पैलाग्रा बीमारी के अवरोधक तत्व भी है। यह तत्व आन्त्र के क्षेत्र तथा शरीर की तंत्रिकाओं के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। निकोटिन एमाइड दो को एन्जाइम का हिस्सा है। जो कई एन्जाइम के कार्य में भाग लेता है और यह शारीरिक उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक है। इसके मुख्य स्रोत हैं जैसे कमल ककड़ी, चौड़ी सेम, मूली व मूली के पत्ते, चुकन्दर के पत्ते, मटर, आलू, चौलाई, गाजर के पत्ते, सलाद कुल्फा, अरबी के पत्ते, करी पत्ता, पुदीना, शकरकन्दी के पत्ते, जंगली जिमीकन्द इत्यादि।

पैन्टोथेनिक अम्ल : यह देह की वृद्धि में सहायक है तथा कोएन्जाइम 'ए' का आवश्यक भाग है। बालों को भूरे रंग होने से बचाता है। विटामिन बी2 तथा पायरीडोक्सिन विटामिन बी3 के साथ तन्तुओं की टूट–फूट में सहायता करता है। इसके मुख्य स्रोत हैं जैसे ऐस्पेरगस, लीमाबीन, फूलगोभी, मटर, शकरकन्दी, लोबिया इत्यादि।

विटामिन 'बी6' : यह छोटे बच्चों के विकास के लिए अनिवार्य है। पायरीडाक्सिन फास्फेट को एन्जाइम की तरह कार्य करता है। शरीर के उपापचयन कार्य में विटामिन 'बी' कोएन्जाइम रूप में कई एन्जाइमों में कार्य करता है। लाल रक्त कणिकाओं को बढ़ाने में भी मदद करता है। नसों की सूजन आदि को कम करता है। यह वसा तथा अमीनो अम्ल के उपापचयन में भाग लेता है। यह हमारी मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाता है। हमारी देह की वृद्धि में सहायक होता है। हमारे कण्ठ को अवरुद्ध होने से बचाता है। इसकी समुचित मात्रा डरमेटाइटिस नामक रोग से बचाती है। इसके मुख्य स्रोत हैं जैसे शकरकन्दी, स्पीनेच, आलू, हरी मटर, फूलगोभी, लीमाबीन, ऐस्पेरागस इत्यादि।

विटामिन 'बी12' : यह यकृत में पैंटोथेनिक अम्ल के संग्रह को प्रोत्साहित करता है भ्रूण के प्रारम्भिक स्नायविक संस्थान में विकास के लिए आवश्यक है। यह उपापचयन की क्रिया में कार्बन की इकाई को बदल देता है। यह रक्त निर्माण में सहायक है, रक्तक्षीणता (ऐनिमिया) को रोकने में भी सहायक होता है। यह रक्तस्राव रोकने में सहायता प्रदान करता है। इसके मुख्य स्रोत हैं जैसे कच्चा केला, चौलाई, बन्दगोभी, करी पत्ता, पुदीना, स्पीनेच, जिमीकन्द, प्याज, आलू, गाजर, अरबी, लोबिया, टमाटर, बैगन, सेम, खीरा, कद्दू, चिचिन्डा इत्यादि।

खनिज लवण : इनका रक्षात्मक अहारीय पदार्थों में विशिष्ट स्थान है, क्योंकि इनके अभाव से हमारी देह में विभिन्न प्रकार की कमियां आ जाती हैं यद्यपि ये खनिज लवण जैसे कैल्शियम, लौहा, फास्फोरस, आयोडीन, गंधक, मैंगनीज और तांबा आदि हमारे शरीर का मात्र चार प्रतिशत भाग ही बनाते हैं, पर इनके अभाव में हमारे शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। ये हमारे शरीर के बहुत ही लाभदायक महत्वपूर्ण तत्व हैं। खनिज लवण मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य करते हैं।

- निर्माणात्मक कार्य – हमारी देह में यह दृढ़ तन्तुओं का निर्माण करते हैं। यह कोमल तन्तुओं को बनाते हैं। ये हमारी देह में पाये जाने वाले कुछ यौगिकों की क्रिया संचालन में भी मदद करते हैं।
- नियामक कार्य – खजिन लवण हमारी देह में अम्ल माध्यम को संतुलित बनाए रखते हैं। ये हमारी देह में तरल पदार्थों के रसाकर्षण दाब को बनाए रखते हैं तथा हमारे हृदय की साधारण गति के लिए आवश्यक हैं। ये स्नायु तन्तुओं की उचित क्रिया में मदद करते हैं और रक्त को थक्के के रूप में बदलने के लिए कार्य करते हैं।
- आहार में समुचित विटामिनों के साथ खनिज लवण लेने से *औसाद* कम होता है, तथा बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है।
- प्रौढ़ व्यक्ति की देह के लिए साधारण रूप से खनिज लवणों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है यदि कैल्शियम, लोहा और आयोडिन आदि काफी मात्रा हमारे आहार में हो, तो शरीर में बाकी खनिज लवणों की कमी की संभावना कम रहती है।
- कैल्शियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम खून के दबाव को तथा हृदय के कार्य को सुचारू रूप से रखते हैं। मुख्य खनिज लवणों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं –

कैल्शियम – यह सामान्यतया फास्फोरस के साथ हमारी अस्थियों, दांतों व अन्य अंगों में पाया जाता है। कैल्शियम हमारे दांतों को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाता है। इसके अतिरिक्त ये रक्त को थक्के के रूप में जमाने में भी मदद पहुंचाता है। यह खून के दबाव को निरन्तर करने में सहायक होता है। यह

अम्ल और क्षार की मात्रा देह में एक सी बनाए रखने में काम करता है। इसके मुख्य स्रोत हैं जैसे चौलाई, चुकन्दर, पालक, कुल्फा, धनिया, सेम, करी पत्ता, स्वांजना, मेथी, पुदीना, सरसों का साग, प्याज, कद्दू के पत्ते इत्यादि।

फास्फोरस – हमारे शरीर में फास्फोरस का कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फास्फेट बना लेता है जो हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। यह कैल्शियम के शोषण में मदद करता है। यह हमारी देह में स्थित द्रव पदार्थों की मात्रा स्थिर रखने में सहायता पहुंचाता है और देह के समुचित विकास में सहायक होता है। इसके मुख्य स्रोत हैं कुल्फा, फूलगोभी के पत्ते, अरबी के पत्ते, सेम, स्वांजना, लहसुन, मटर, कद्दू के पत्ते, सेम के बीज इत्यादि।

लोह : इसका मुख्य कार्य देह में लाल रक्त कणों के हीमोग्लोबिन को बनाता है। यह आक्सीजन की पूर्ति करता है और कार्बन डाइआक्साइड को शुद्ध करने के लिए ले जाता है। इसके मुख्य स्रोत हैं आलू, खीरा, सरसों का साग, शकरकन्दी, चौलाई, कुल्फा फूलगोभी के पत्ते व अरबी के पत्ते, पालक, धनिया, मेथी, पुदीना, मूली के पत्ते, स्पीनेच, सभी प्रकार के सेम व उनके बीज, स्वांजना के पत्ते इत्यादि।

आयोडीन : यह थाइराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले थाइराक्सिन के विभिन्न हारमोन का मुख्य अंग है। इसलिए थाइराक्सिन के विभिन्न कार्यों के लिए आयोडीन आवश्यक है। यह दैहिक विकास व उपापचयी गतिविधियों को तीव्रता प्रदान करता है। यह आहार में उपस्थित कैरोटीन को विटामीन 'ए' में बदल देता है। यह ऊर्जा उत्पादन में सहायता करता है। अमीनो अम्ल के आक्सीकरण व नाइट्रोजन के निकालने में यह मदद देता है। यह कोलेस्ट्राल के निर्माण को नियमित रखता है। इसके मुख्य स्रोत जैसे सभी पत्तेदार सब्जियां और कन्दमूल सब्जियां इत्यादि।

सोडियम : सोडियम हमारी देह में क्षार और अम्ल में संतुलन बनाए रखता है। यह रसाकर्षण दाब में सहायता प्रदान करता है। यह हमारे शरीर में जल के संतुलन को ठीक रखता है और मलमूत्र और पसीने के रूप में जल का निष्कासन ठीक प्रकार से करता है। हमारी मांशपेशियों को यह संकुचन, उत्तेजना के संवाहन के लिए आवश्यक है। इसके मुख्य स्रोत हैं जैसे कच्चा पपीता, हरा चना, लोबिया, चौलाई, धनिया, मेथी, लेटूस, स्पीनेच, चुकन्दर, गाजर, मूली, चौड़ीसेम, फूलगोभी, हरा टमाटर, गांठ गोभी, कमल ककड़ी इत्यादि।

पोटैशियम : यह सोडियम व क्लोरीन की तरह रसाकर्षण दाब और क्षार तथा अम्ल के संतुलन को बनाये रखता है। यह अन्तः कोशिका रस के निर्माण में मदद करता है। हड्डियों की उत्तम कैल्सीफिकेशन के लिए आवश्यक है। यह मांसपेशियों के संकुचन, हृदय की नियमित गति, स्नायुउत्तेजना के संवाहन के लिए अनिवार्य है। इसके मुख्य स्रोत हैं हरा केला, कमल ककड़ी, फूलगोभी, आलू, टमाटर, प्याज, पालक, कच्चा कटहल व उसके बीज करेला, बन्दगोभी, गाजर, स्पीनेच, अरबी, कई प्रकार के सेम, सरसों का साग, चौलाई, मूली, स्वांजना व इसके पत्ते, हरी मिर्च, धनिया, ब्रुसल स्प्राइट, पेठा, घीया, परवल, बैंगन इत्यादि।

सल्फर : (गंधक) यह प्रोटीन के पाचन और उपापचयन में मदद करता है। यह हमारी शरीर में औसजीनकरण की क्रिया करता है। इसकी मदद से रक्त में शर्करा की मात्रा नियमित रहती है। यह केश व नाखूनों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसके मुख्य स्रोत हैं – बैंगन, सेम, मटर, धनिया, करी पत्ता, पुदीना, कुल्फा, कच्चा लाल चना, गांठ गोभी, फूलगोभी, चौलाई, लोबिया, हरा चना, पालक, ब्रुसल स्प्राउट, सलाद, स्वांजना के पत्ते व कली, बंद गोभी, मेथी, कमल ककड़ी इत्यादि।

तांबा : यह हीमोग्लोविन के निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह लाल रक्त कणों में उचित संगठन रखता है। यह लोहे के अवशोषण व उपापचय में मदद करता है। इसके मुख्य स्रोत हैं जैसे कच्चा केला, खीरा, फ्रेन्चबीन, सलाद, भिण्डी, मटर, पेठा, कद्दू, करेला, बैंगन, धनिया, लोबिया, स्वांजना के पत्ते व कली, हरा चना,कमल ककड़ी, परवल, हरी मिर्च, आलू, मूली, चुकन्दर, साग, टमाटर इत्यादि।

मैंगनीज : यह लिपिड, प्रोटीन और श्वेतसार के उपापचयन में हिस्सा लेने वाले एन्जाइम की क्रिया तीव्र कर देता है। यह तांत्रिकाओं को स्वस्थ बनाता है। जिससे व्यक्ति शान्त एवं स्थिर मन रहता है। इसके मुख्य स्रोत हैं जैसे मटर, चुकन्दर, सरसों का साग, सेम, नीबू इत्यादि।

जल : यह हमारी पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करता है। जल ही जीवन है। यह हमारे शरीर के तापक्रम के सन्तुलन को बनाए रखता है। हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले विभिन्न रसों को यह तरलता प्रदान करता है। हमारे रक्त को समुचित तरल अवस्था में रखता है। यह हमारे शरीर में पनपने वाले विषैले हानिकारक और व्यर्थ के पदार्थों को मल–मूत्र और पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालता है और कब्ज दूर करता है।

रेशा (फाइबर) : रेशा हमारे आहार की मात्रा को बढ़ा देता है। ये हमारे शरीर से जल को उत्सर्जित करने में मदद पहुंचाते हैं। इनमें जल शोषण की अच्छी शक्ति होती है तथा ये हमारी पाचन व अवशोषण क्रियाओं के उत्सर्जन की गति में तीव्रता कम कर देते हैं। यह कैलोरीज प्रदान नहीं करते तथा भूख मिटा सकते हैं। इनका प्रयोग मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति के आहार में काफी मात्रा में किया जाता है। इसके मुख्य स्रोत हैं जैसे टमाटर, स्प्राउट, बंदगोभी, शलजम, प्याज, आलू, गाजर, मटर, सरसों का साग, पालक, सेम, चना इत्यादि।

सब्जियों के पोषक तत्वों के ह्रास को कम करने के लिए निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए।

- पकाते समय कम से कम पानी मिलाना चाहिए।
- विटामिन का ह्रास कम करने के लिए अधिक नहीं पकाना चाहिए।
- इनको छिलके के साथ ही पकाना चाहिए।
- अधिक तेल और मसाले का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
- सदैव सब्जियों को ताजे रूप में प्रयोग करना चाहिए।
- सब्जियों को बहुत छोटे–छोटे टुकड़ों में नहीं काटना चाहिए।
- सब्जियों को काटने के बाद अधिक समय तक पानी में नहीं रखना चाहिए।

प्रसार शिक्षा विभाग, कृषि विज्ञान संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात को धनराशि जारी

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मरुभूमि विकास कार्यक्रम के तहत गुजरात सरकार को दो करोड़ रुपये की राशि जारी की है। भूजल, पशुओं और मानव संसाधनों के संरक्षण द्वारा पर्यावरण संतुलन बनाए रखना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की आर्थिक हालत सुधारने का प्रयास किया जा रहा है।

पेयजल के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को 215 लाख रुपये की धनराशि जारी

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत आंध्र प्रदेश की पांच उप–मिशन परियोजनाओं के लिए 215,71 लाख रुपये जारी किए हैं। इस परियोजना से राज्य के विभिन्न जिलों के करीब 400 ग्रामीण क्षेत्रों को सुरक्षित पेय जल मिल सकेगा।

मंत्रालय ने कोलेरू उप मिशन परियोजना के 53.26 लाख रुपये की अंतिम किस्त जारी कर दी है। इस परियोजना पर कुल 568.04 लाख खर्च आएंगे जिसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा 426.03 लाख रुपये होगा।

येरागोंडाफ्लेम उप मिशन परियोजना के लिए 27 लाख रुपये की अंतिम किस्त जारी कर दी गई है। इस उप मिशन परियोजना पर कुल 1,384 लाख रुपये के खर्च का अनुमान लगाया गया था जिसमें से केन्द्र सरकार का हिस्सा 1,038 लाख रुपये है। इस उप मिशन परियोजना से 48 बस्तियों को लाभ होगा।

नन्दीगामा तम्बलपाले मेडक उप मिशन परियोजना के लिए भी चौथी किस्त के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 135.45 लाख रुपये की धनराशि जारी कर दी है। इससे 300 ग्रामीण बस्तियों को सुरक्षित पेय जल प्राप्त होगा। इस उप मिशन पर कुल 3139.35 लाख रुपये के खर्च का अनुमान लगाया गया था। इसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा 2354.50 लाख रुपये है।

जल की गुणवत्ता से प्रभावित रिहाइशी इलाकों को स्वच्छ पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उप–मिशनों की शुरुआत की गयी। इनमें जो परियोजनाएं शामिल हैं वे हैं : गिनी कृमि उन्मूलन, खारेपन का नियंत्रण, अधिक लौह को दूर करना, फ्लोरोसिस पर नियंत्रण, संखिया नियंत्रण, स्थायित्व सुनिश्चित करना और जल गुणता पर निगरानी रखना।

साभार : पत्र सूचना कार्यालय

आर. एन./708/57
डाक–तार पंजीकरण संख्या : डी (डी.एल.) 12057/2001
आई.एस.एस.एन. 0971–8451
पूर्व भुगतान के बिना के अधीन आर.एम.एस. दिल्ली में डाक में डालने की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी.एन.)–55/2001

R.N./708/57
P&T Regd. No. D(DL) 12057/2001
ISSN 0971-8451
Licenced under U (DN)-55/2001
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.

श्री सुरेश चोपड़ा, महानिदेशक प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली–110001 द्वारा प्रकाशित और मुद्रित।
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू–30 ओखला इन्डस्ट्रीयल एरिया–II, नई दिल्ली–20 संपादक : बलदेव सिंह मदान